खण्ड-240, अंक-5
शुक्रवार, 24 फाल्गुन, शक संवत् 1884
(15 मार्च, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 240 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	४०७–४१०
प्रश्नोत्तर	४११–४३५
प्रश्नों का समय से उत्तर न मिलने पर आपत्ति	४३५
श्री छेदालाल गुप्त के निधन पर शोकोद्गार	४३५–४३७
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	४३८
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	४३८
नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं	४३८–४३९
बोर्ड आफ हाई-स्कूल ऐण्ड इन्टरमीडियेट की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों के खुल जाने (आउट हो जाने) के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	४३९–४४२
स्वदेशी काटन मिल में लूमों के बन्द होने के सम्बन्ध में श्रम मंत्री का वक्तव्य ..	४४३
श्री उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का संकल्प (वापस ले लिया गया) ..	४४३
१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ११—गांव सभायें और पंचायतें (स्वीकृत) ..	४४४–४८७
नत्थियां	४८८–४८९

उत्तर प्रदेश विधान सभा।

शुक्रवार, १५ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य--३३२

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जुगुलकिशोर, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगल किशोर, श्री
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्मेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री

बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बैदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
रामनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक , श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री

रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम , श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, १५ मार्च, १९६३

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

अन्तरिम जिला परिषद्, उन्नाव के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*१—श्री भीखालाल, श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव), श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया), श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़), श्री बिपिनबिहारी तिवारी, (जिला सीतापुर), श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद् उन्नाव के अधीन कार्य करने वाले अध्यापकों का वेतन तथा वार्षिक वेतन वृद्धि को कब से नहीं दिया गया है और क्यों ? क्या १५ जनवरी, १९६३ से १३ अध्यापक उक्त परिषद् भवन के सामने आमरण अनशन भी कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री अजीज इमाम)—

इस सम्बन्ध में प्राप्त सूचना से विदित होता है कि प्रश्नगत अध्यापकों का वेतन सितम्बर, १९६२ से अब तक का दिया जाना शेष है और वेतन वृद्धियां गत दो वर्षों की शेष हैं। इसका कारण यह है कि जिला परिषद् की सेवा में सम्प्रति जितने अध्यापक हैं उनका वेतन देने के लिए शासकीय देय अनुदान के दिये जाने पर भी पर्याप्त धनराशि परिषद् के पास उपलब्ध नहीं है।

प्रश्नगत अनशन २१ जनवरी, १९६३ को समाप्त हो गया।

श्री भीखालाल—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ये परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हुईं और क्या परिषद् के पास सरकारी अनुदान मिलने पर भी इतना धन नहीं है कि अध्यापकों का वेतन दिया जा सके ?

श्री अजीज इमाम—

परिषद् में ज्यादा स्कूल खोल दिये गये और बजट प्रावीजन से ज्यादा मास्टर रख लिये गये इसलिये उनकी तनख्वाहें नहीं दी जा सकीं।

श्री भीखालाल—

स्वीकृत संख्या से कितने स्कूल अधिक खोले गये और कितने टीचर अधिक रखे, और इससे परिषद् पर कितने अधिक आर्थिक भार पड़ने की सम्भावना है ?

श्री अजीज इमाम—

१९६१-६२ और ६२-६३ में १,५७० प्राइमरी टीचर्स और ३४५ जूनियर हाई स्कूल के टीचर्स ज्यादा रखे गये। ४८ प्राइमरी स्कूल और १०० जूनियर हाई स्कूल अन-रिकग्नाइज्ड ज्यादा खोले गये।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या अनशन समाप्त इसलिये हुआ कि मास्टरों की मांगें पूरी कर दी गईं ?

श्री अजीज इमाम---

उनकी प्रमुख मांग वेतन की थी और जब २ महीने का वेतन दिया जाने लगा तो उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

जिन बोर्डों ने इस प्रकार अनुचित तरीके से अपने खर्चे को बढ़ा लिया है जिससे उनकी और सरकार की बदनामी होती है, उन पर नियंत्रण के लिये सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री अजीज इमाम---

यह नियंत्रण का मामला सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मंत्री जी बतावेंगे कि सितम्बर से अब तक कुल कितना रुपया वेतनों में दिया गया और उसकी पूर्ति के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री अजीज इमाम---

सरकार ने अपनी तीसरी किस्त, जो करीब ४ लाख रुपये की होती है वह जिला परिषद् को भेज दी है। चूंकि जिला परिषद् से कोई रसीद उस खर्चे की नहीं आई है इसलिये चौथी किस्त नहीं दी जा सकी है । फिर भी, फाइनेंस डिपार्टमेंट को मूव किया गया है कि वह इस कंडीशन को वेव कर दें ताकि चौथी किस्त भी भेज दी जाय ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

सितम्बर से अब तक कुल कितनी धनराशि बाकी है और उसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री अजीज इमाम---

सरकार तो अपना हिस्सा देती है । बकाया की रकम इस वक्त नहीं बता सकता हूं ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---

इस बात को देखते हुए कि इस सदन में अक्सर ऐसी शिकायतें सुनने को मिलती हैं कि अमुक बोर्ड ने अपने अध्यापकों का वेतन नहीं दिया, या महंगाई भत्ता नहीं दिया या बढ़ोत्तरी नहीं दी, क्या सरकार ऐसी बोर्डों की आर्थिक व्यवस्था ठीक करने का उपाय कर रही है ताकि ये शिकायतें न आवें ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)---

जिला परिषद्, उन्नाव ने बहुत से ऐसे अध्यापक रख लिये जिनके लिये बजट में प्रावीजन नहीं था । हमारे लिये उनका खर्चा देना बड़ा मुश्किल हो गया । न हमें कोई ऐसी सूची प्राप्त होती है जिससे हम निर्णय कर सकें कि कौन से अध्यापक अधिकार से नियुक्त किये गये और कौन से नहीं । हम इसकी इनक्वायरी करा रहे हैं ।

[शुक्रवार, १५ मार्च, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

शिक्षा संस्थाओं में प्रतिरक्षा कोर्स के सम्बन्ध में जानकारी

*१---श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हायर सेकेन्डरी स्कूलों, डिग्री कालेजों तथा विश्वविद्यालायों में अनिवार्य रूप से प्रतिरक्षा कोर्स कार्य-क्रम शुरू करने की योजना भारत सरकार द्वारा उनके पास अभी हाल ही में कोई आयी है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

*२---क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय द्वारा भेजे गये इस प्रकार के अध्यादेश का पालन कब से किया जा रहा है ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री केशभान)—

सम्प्रति ऐसी कोई योजना भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है। किन्तु विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कालेजों के समस्त स्वस्थ छात्रों को एन० सी० सी० ट्रेनिंग देने की व्यवस्था शैक्षिक वर्ष १९६३-६४ से की जा रही है।

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा कोर्स कार्यक्रम चालू करने में कुल कितना वार्षिक व्यय पड़ेगा और उसमें भारत सरकार का कितना हिस्सा होगा ?

श्री केशभान—

उक्त व्यवस्था के लिये अगले वर्ष कुल ६९ लाख रुपया अतिरिक्त व्यय होगा। इसमें से लगभग ४० लाख रुपया भारत सरकार का अंश होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

६९ लाख रुपये में से प्रान्तीय सरकार ने कितने रुपये की मांग भारत सरकार से की थी ?

श्री केशभान—

४० लाख रुपया उनसे मिलना है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

हायर सेकेन्डरी स्कूल जहां इंटर तक की पढ़ाई होती है उनमें सरकार इस प्रकार की शिक्षा देने का प्रबन्ध करेगी जिससे लाखों नौजवान जो इस काम में दिलचस्पी रखते हैं वे शिक्षित किये जा सकें ?

श्री केशभान—

यूं तो इस प्रकार की थोड़ी बहुत व्यवस्था है ही, लेकिन व्यापक व्यवस्था के लिये स्काउटिंग, एन० सी० सी० वगैरह हैं। उन्हें इंटीग्रेट करने के बारे में विचार हो रहा है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मंत्रीजी इस बात का प्रयत्न करेंगे कि देहाती हायर सेकेन्डरी स्कूलों में अनिवार्य रूप से एन० सी० सी० की व्यवस्था हो सके और क्या वे इस कार्य के लिये खर्च की केन्द्रीय सरकार से मांग करेंगे।

आचार्य जुगलकिशोर—

सरकार की यह नीति है कि डिग्री कालेजों में जहां तक हो सके एन०सी०सी० की भर्ती की जाय। सभी स्कूलों और कालेजों से कहा गया है कि स्वस्थ बालकों को जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में हैं उन्हें दाखिल किया जाय। गांव के कालेजों के लिये प्रदेशीय शिक्षा दल है जिसके अन्तर्गत ट्रेनिंग दी जाती है और काफी संख्या में बालकगण उसमें भर्ती होकर शिक्षा प्राप्त करते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि इस इमर्जेंसी को देखते हुए क्या शिक्षा मंत्री ने कोई योजना भारत सरकार के पास एन० सी० सी० के अलावा और किसी रूप में अनिवार्य मिलिट्री ट्रेनिंग हाईस्कूल, इन्टरमीडियेट कालेज, डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटी में दिये जाने के लिये भेजी है ? यदि हां, तो उसके क्या प्राक्कलन हैं और उसमें कितना धन प्राप्त किया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

गवर्नमेंट इस बात की कोशिश कर रही है कि स्कूलों में जहां तक संभव हो सके मिलिटरी ट्रेनिंग के रूप में प्रान्तीय शिक्षा दल, व्याय स्काउट्स, तथा गर्ल्स गाइड्स की ट्रेनिंग दें।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

इस बात को देखते हुए कि केन्द्रीय सरकार ने एक निश्चित धनराशि दी है इस कार्य के लिये और जैसा कि अभी मंत्रीजी ने बताया कि अभी उनको यह मालूम नहीं है कि इस कार्य के लिये कितना रुपया मिलेगा तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास कोई ऐसी योजना भेजी है जिसमें यह मांग की गयी हो कि जो पया ४० लाख के अतिरिक्त व्यय होगा, उसकी वे स्वीकृति प्रदान करें ? यदि हां, तो प्रान्तीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार को क्या लिखा था ?

आचार्य जुगलकिशोर—

इस समय तो यह नहीं बता सकता। यदि सदस्यगण चाहेंगे तो बता दिया जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

इस बात को देखते हुये कि दिन ब दिन शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, क्या माननीय मंत्री जी २ महीने की छुट्टियों में एन० सी० सी० की ट्रेनिंग देने की कृपा करेंगे ताकि बाकी दिनों में लड़कों का नुक्सान न हो ?

आचार्य जुगलकिशोर—

इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है वैसे गवर्नमेंट समय-समय पर कैम्प्स का आयोजन करती है और इनमें नवयुवक भाग भी लेते हैं, किन्तु अनिवार्य रूप से भेजने के बारे में अभी विचार नहीं हो रहा है।

हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट शिक्षा बोर्ड में हरिजन प्रतिनिधित्व

*४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाई स्कूल व इन्टरमीडियेट शिक्षा बोर्ड में हरिजन प्रतिनिधित्व व संरक्षण किया गया है? यदि हां, तो १९६२ की परीक्षा के लिये ३२ सदस्यों में से केवल एक ही हरिजन सदस्या रखने का क्या आधार है ?

श्री केशभान—

हां। तीन व्यक्तियों को अल्प संख्यक वर्गों में से सदस्य नामजद करने का अधिकार सरकार को है। इस समय इनमें से एक सदस्या अनुसूचित जाति की है।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जब उन्होंने हाईस्कूल और इन्टरमीडियेट शिक्षा बोर्ड में अनुसूचित वर्ग को संरक्षण देना स्वीकार कर लिया तो फिर ३२ सदस्यों में से १८ प्रतिशत के हिसाब से कम से कम ५ हरिजन सदस्य न रख कर केवल एक ही हरिजन सदस्या के रखने का क्या कारण है ?

श्री केशभान—

यह तो जो ऐक्ट पास हुआ है उसी के अनुसार किया गया है।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि ३ सदस्यों में से केवल एक ही सदस्य रखने का क्या कारण है तथा २ और सदस्य क्यों नहीं बढ़ाये गये ?

श्री केशभान—

ये तीनों परिगणित जाति के ही रखे जाने वाले नहीं थे, और दूसरी अल्पसंख्यक जातियों में से भी रखे जाने वाले थे। इसलिये एक अनुसूचित तथा २ अन्य रखे गये।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्य दो जो हैं वे किस अल्पसंख्यक वर्ग के हैं और कौन-कौन हैं ?

श्री केशभान—

श्री अजीजुल हक, प्रधानाचार्य, मुस्लिम यूनिवर्सिटी हाई स्कूल, अलीगढ़ और दूसरे सरदार किशन सिंह, प्रधानाचार्य, गुरुनानक हाई स्कूल, देहरादून ।

श्री रघुवीरसहाय कँथवार—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब सरकार को केवल ३ ही सदस्य अल्पसंख्यक वर्ग के नामजद करने का अधिकार हैं तो बोर्ड के बकिया २९ सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं और उनके चुनाव में भी हरिजनों को संरक्षण न देने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

देखिये श्री रघुवीरसहाय जी, उत्तर यह मिला है कि अधिनियम के अन्तर्गत यह कार्यवाही की गयी है । अगर अधिनियम का हवाला देते हुए आप प्रश्न करें कि अधिनियम में यह उपबन्ध है और आपने नहीं बरता, तब तो ठीक है, वरना कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री रघुवीरसहाय कँथवार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है कि हरिजनों की सुरक्षा बोर्ड में है ।

आचार्य जुगुलकिशोर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सुरक्षा दी गयी है वह विद्यार्थियों के लिये दी गयी है कि इतनी संख्या में भर्ती की जाय अगर वे भर्ती के लिये आते हैं । बोर्ड में सुरक्षा देने का कोई सवाल नहीं है । वह तो माइनारिटी को रेप्रेजेंटेशन देते हैं, उस में हरिजन भी आ जाते हैं और अन्य माइनारिटी भी आ जाती हैं । तो बोर्ड की दृष्टि से यह रेप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है और उसमें एक हरिजन सदस्य आ गये हैं और किसी वर्ग के भी मेम्बर आ सकते हैं । बोर्ड का काम तो यह है कि जितने विद्यार्थी इम्तहान में बैठते हैं उन्हें वह इक्जामिन करें । हो सकता है कि वहां और हरिजन सदस्य भी आ जायं, इसके लिये कोई रुकावट नहीं है । सरकार केवल ३ रिप्रिजेन्टेटिव्ज माइनारिटी की तरफ से वहां भेजती है ।

महाराजगंज तहसील में भिसवां ग्राम समाज की भूमि

*५—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील के भिसवां उर्फ कोटिया ग्राम समाज ने सन् १९६२ में किन-किन व्यक्तियों को किन-किन शर्तों पर उपरोक्त ग्राम समाज की भूमि का बटवारा किया है तथा उन व्यक्तियों का नाम पता क्या है और इस सम्बन्ध में कितने लोगों के आवेदन पत्र आये थे ? जिन व्यक्तियों को जमीन दी गयी है वह ग्राम समाज के किस प्रस्ताव से दी गयी है तथा उनको अलग-अलग क्या तारीखें देने सम्बन्धी हैं ?

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

सन् १९६२ में ग्राम समाज द्वारा स्थानीय प्राइमरी स्कूल तथा सहकारी संस्था को भूमि देने का प्रस्ताव पास हुआ था । विवरण इस प्रकार है:—

दिनांक	प्लाट नं० / क्षेत्रफल (एकड़ में)	संस्था का नाम
४-३-१९६२	२३२ / ५	स्थानीय प्राइमरी स्कूल
५-१०-१९६२	१६९/२ / २	सहकारी समिति (बीज तथा खाद के गोदाम के लिये)

भूमि प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कोई अन्य व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र नहीं मिले ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी मेरी बात को सूचना मान कर पुनः जांच करायेंगे कि जो गांव समाज का प्लाट था वह करीब ४० एकड़ का था जिसे विभिन्न लोगों ने आपस में बांट लिया और वहां के स्थानीय विधायक और एक दूसरे गांव समाज के श्री महात्तम सिंह और हुगली केन डेवलपमेंट यूनियन के मैनेजिंग डाइरेक्टर व उनके रिश्तेदारों के नाम भी यह जमीन बांटी गयी है ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

लिख कर दे दीजिये तो मैं जरूर जांच कराऊंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन व्यक्तियों में जमीन बांटी गयी, क्या वे भूमिहीन थे या ५ एकड़ से अधिक के खातेदार थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

व्यक्तियों को नहीं दिया गया, संस्थाओं को दिया गया।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उस क्षेत्र के विधायक ने तथा कोटिया ग्राम समाज के सभापति ने अपने नाम तथा अपने रिश्तेदारों के नाम उक्त ग्राम समाज की जमीन दर्ज करा ली है ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच करा कर उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुझे तो ऐसी सूचना है नहीं।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि उस गांव समाज का कुल रकबा क्या है और गांव समाज मैनुअल के मुताबिक किसी भी संस्था को कितनी जमीन दी जा सकती है और उसके मुताबिक जमीन दी गयी या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसकी मुझे कोई सूचना नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस मतलब के लिये यह जमीन ली गयी ? कहा तो यह गया है कि स्थानीय प्राइमरी स्कूल और सहकारिता समिति के भवन निर्माण के लिये यह जमीन ली गयी, लेकिन मेरी जानकारी यह है कि वहां पर कोई प्राइमरी स्कूल व सहकारिता समिति है ही नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसा प्रस्ताव हुआ, उससे तो कयास होता है कि है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरी सूचना है कि कोई ऐसी सहकारी समिति नहीं है। तो क्या मन्त्री जी इस की जांच करके कोई रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगे कि इस तरह की कोई सहकारी समिति नहीं है और कोई भवन निर्माण नहीं हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैंने तो पहले ही अर्ज किया कि यह सब विस्तारपूर्वक लिख कर दे दें, जांच करा ली जायगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह निवेदन कर दूं कि इस सदन में प्रायः ऐसे प्रश्न होते हैं कि क्या मेरी बात की सूचना मान कर मंत्री जी ऐसा करेंगे ? मैं समझता हूं कि सदस्य पहले यह पूछ लिया करें कि अमुक सूचना है या नहीं। अगर मंत्री जी को सूचना न हो तो तरीका यही है कि माननीय सदस्य नये प्रश्न द्वारा सूचना दे कर सुझाव दें।

इटावा जिले में पीपों के पुलों का निर्माण

*६—श्री घासीराम जाटव (जिला इटावा)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि परगना भर्थना, जिला इटावा चकन नगर ब्लाक के अन्तर्गत सहस्रों चम्बल घाट तथा डिबौली यमुना घाट पर पीपे का पुल बनाने के लिए सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीन लाख रुपये स्वीकार किये थे किन्तु वह अभी तक बन नहीं पाया है ? इसका क्या कारण है और कब तक उनके बनने की आशा है ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—

चम्बल नदी पर सहस्रों घाट में पीपों का पुल—इस पुल की स्वीकृत लागत में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण इसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना से निकाल देना पड़ा। इस कार्य को तृतीयपंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कर दिया गया है और इसके सितम्बर, १९६३ तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

यमुना नदी पर डिबौली घाट में पीपों का पुल—इस पुल के हेतु निर्मित पीपों को एक अन्य घाट पर स्थानान्तरित कर देना पड़ा अब डिबौली घाट पर मथुरा से फालतू (spare) नावें ला कर नाव का पुल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

श्री घासीराम जाटव—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सहस्रों चम्बल घाट पर पहले एस्टीमेट क्या था और अब क्या है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

पहले इसका एस्टीमेट २.४८ लाख रुपया था और अब इसका एस्टीमेट ६.७० लाख रुपया बढ़ गया।

श्री घासीराम जाटव—

क्या डिबौली यमुना घाट के मुताल्लिक मंत्री जी बतायेंगे कि वहां के पीपे किस घाट पर गये और जहां गये वहां के पीपे किस घाट पर भेजे गये ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

वहां से उदी घाट पर गये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार ने इन तीनों घाटों की उपयोगिता और महत्व को देखते हुये उन पर शीघ्रातिशीघ्र पीपों का पुल बनाने की योजना पर विचार करना तय किया है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

विचार तो हो ही रहा है।

श्री घासीराम जाटव—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कैंसिल किस समय हुआ था और इसका कारण क्या था ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

राजघाट का पुल बहुत ही आवश्यक पुल है। इसके लिये नये पीपे जो १४ बने हैं यहां लाये गये और राजघाट के उदी घाट पर लाये गये और इसी तरह से डिबौली घाट पर जो पार्ट्स फाल्तू हो गये उनको भी दूसरी जगह ट्रान्सफर किया गया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

यह जो पहले प्राक्कलन २.४८ लाख रुपये का था वह बढ़कर ६.७० लाख का कैसे हो गया?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

श्रीमन्, इसके कई कारण हैं। एक तो पुल की लम्बाई बढ़ गई नदी के बढ़ जाने से और इससे पीपों की संख्या बढ़ गई। इसके साथ उसकी डेकिंग करने की सामग्री में वृद्धि हो गई और कुछ लोहे की चादरें जो इस समय उपलब्ध नहीं हुई थीं, जो बाद में मिलीं उनकी भी कीमत बढ़ चुकी थी।

श्री रघुवीर—

मंत्री जी बतायेंगे कि जब पहले स्थान पर २ लाख रुपये की लागत से पुल तैयार हो रहा था तो उस स्थान पर पुल न बनाने का क्या कारण है?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

यह स्थान वही है। उसी स्थान पर बनाया जा रहा है। मैं कई दफ़ा बता चुका हूं पहले कि शुरू शुरू में प्लान में या बजट में जो एस्टीमेट रखा जाता है वह अंदाजे के तौर पर रखा जाता है उसके बाद डिटेल सर्वे में कम भी हो जाता है और बढ़ भी जाता है।

*७—श्री कल्पनार्थासिंह—

[१९ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न ४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गोरखपुर जिले में बर्ड घाट पुल का निर्माण

*८—श्री कल्पनार्थासिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में बर्ड घाट पुल के बनवाने के सम्बन्ध में कोई गबन आदि पकड़ा गया है? यदि हां, तो उक्त गबन कितने रुपये का है और उस की जांच में कौन-कौन से अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाये गये हैं?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*९-१०—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[२० मार्च, १९६३ के लिए प्रश्न १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

खानापुर चपरा ग्राम से चकबन्दी के विरुद्ध शिकायत

*११—श्री रतीपाल—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मौजा खानापुर चपरा, तहसील महाराजगंज, जिला रायबरेली के किसानों ने चकबन्दी के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सरकार के पास १९६१ तथा १९६२ में उनके शिकायती पत्र भेजे हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त प्रार्थना-पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बृजबिहारी—

मौजा खानापुर चपरा, तहसील महाराजगंज, जिला रायबरेली के किसानों से चकबन्दी योजना के अन्तर्गत भ्रष्टाचार के विषय में १९६१ तथा १९६२ में सरकार को कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है।

श्री रतीपाल—

मंत्री जी बतायेंग कि १९६२ दिसम्बर में वहां के कुछ विधायक और किसान मंत्री जी से डेपूटेशन के रूप में मिले थे जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम उन अधिकारियोंके खिलाफ़ उचित कार्यवाही करेंगे। अब कार्यवाही नहीं कर रहे हैं तो इसका क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

याद नहीं पड़ती बातें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मंत्री जी पुनः अपनी फ़ाइल को देख कर याद करेंगे और फिर उस बारे में कोई मुनासिब कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

याद दिला दीजियेगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां।

जालौन जिले में प्रसार अध्यापक को वेतन न मिलना

*१२—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जालौन जिले के कितने एक्सटेन्शन टीचर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ किसी जांच किये जाने के कारण १ जनवरी, १९५८ के बाद उनका वेतन नहीं दिया गया ? क्या उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री केशभान—

एक, श्री रघुवंशी।

श्री विजयसिंह—

पिछले सत्र में मंत्री जी ने उत्तर देते हुये बताया था कि लिस्ट १२ आदमियों की है और आज केवल एक श्री रघुवंशी ही इस लिस्ट में आये हैं, तो जो सेवा मुक्त टीचर हैं वह भी इसमें शामिल कर लिये गये हैं कि नहीं ?

श्री केशभान—

जिस प्रश्न के उत्तर की चर्चा की है वह मेरे सामने नहीं है। उत्तर मिले तो विचार किया जा सकता है।

श्री विजयसिंह—

१ जनवरी, १९५८ के बाद चाहे सेवामुक्त हों या नहीं, दोनों इसमें, अध्यक्ष महोदय, आ जाते हैं आप स्वंय प्रश्न को देख लें।

श्री अध्यक्ष—

आप यों पूछ लीजिये कि यह उत्तर सही है या पहला सही है।

श्री विजयसिंह—

जो उत्तर पहले दिया था वह सही है या यह सही है ?

श्री अध्यक्ष—

उस उत्तर को पढ़ दीजिये। अगर नहीं है तो फिर पूछियेगा।

इटावा जिले में नये पुलों के लिए सर्वेक्षण

*१३—श्री घासीराम जाटव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला इटावा, बढ़पुरा ब्लाक के अन्दर यमुना पर राजघाट व उदी चम्बल घाट जो सरकार द्वारा स्वीकार हो चुके हैं और उसका सर्वे भी हो गया है वह पुल कब तक बन कर तैयार हो जायंगे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

इन पुलों का अभी केवल सवक्षण हो रहा है। अभी यह बताना संभव नहीं है कि ये पुल कब तक बन कर तैयार हो जायेंगे।

*१४--श्री घासीराम जाटव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त पुलों का एस्टीमेट क्या है और वे कब तक बनकर तैयार हो जावेंगे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

पुलों के सर्वेक्षण के पश्चात् आगणन तैयार होने पर इनकी सही लागत ज्ञात हो सकेगी। इन पुलों के आगणन अक्तूबर, १९६३ तक बन जाने की आशा है।

श्री घासीराम जाटव--

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह पुल कब तक बनने की आशा है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

जब सर्वे शुरू हो जाता है तो काम तो शुरू ही हो जाता है, लेकिन आगणन तैयार हो जाने के बाद सेन्ट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाता है वहां से एप्रूव होने के बाद आशा की जाती है कि अगली मार्च और अप्रैल तक काम शुरू हो जायगा।

श्री घासीराम जाटव--

सर्वेक्षण का कार्य कई सालों से चल रहा है, कबतक चलेगा ?

श्री गिरधारीलाल--

सर्वेक्षण का कार्य तो अभी इसी वर्ष शुरू हुआ है।

*१५-१७--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

[२० मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न २३-२५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

कालिंजर-चित्रकूट सड़क पक्की करने की मांग

*१८--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला बांदा के चित्रकूट धाम में पन्ना राज्य के निर्माण कराये गये २६५ मन्दिर गंगा के किनारे किनारे व घाट तथा परिक्रमा (कामदगिर) में अब तक मौजूद है तथा पन्ना राज्य से कालिंजर होती हुई सड़क है जो पन्ना से कालिंजर तक पक्की बन चुकी है किन्तु कालिंजर से चित्रकूट धाम तक कच्ची है। क्या सरकार कालिंजर-चित्रकूट कच्ची सड़क को चित्रकूट उत्थान समिति के साथ जोड़ कर उसे पक्की करा देने की कृपा करेगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी-

जी हां। कालिंजर चित्रकूट सड़क इस समय कच्ची है। उसको पक्का कराना इस समय संभव नहीं है।

श्री मतोलासिंह--

यह सड़क बहुत चालू है और यात्री उस पर आते-जाते हैं तो इसे क्यों नहीं बनवाया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल--

सरकार को ज्ञात है, परन्तु अन्तरिम जिला परिषद् ने इस सड़क को कोई प्रायरिटी नहीं दी।

श्री मतोलासिंह--

इस सड़क का अधिक महत्व है इसलिये इसको कालिंजर चित्रकूट धाम उत्थान समिति के पास क्यों नहीं जोड़ दिया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल---

यह ख्वाहिश तो जरूर है और एक समिति बनी हुई है लेकिन जो अन्तरिम जिला परिषद् है उसने इसमें कोई प्रायरिटी नहीं दी। लिहाजा इस सड़क को नहीं ले पाये।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

कालिंजर चित्रकूट उत्थान समिति जो है उसका जिला परिषद् से कोई संबंध नहीं, तो क्या उसके एतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए जो समिति बनी हुई है उस उत्थान समिति से सरकार सम्बंध जोड़कर कोई विशेष अनुदान उस समिति को देकर सड़क बनाने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल---

इस उत्थान समिति का सार्वजनिक निर्माण विभाग से कोई संबंध नहीं है और जहां तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की बात है उससे प्लान बनाते वक्त सलाह मश्विरा लिया जाता है जिसकी वजह से कोई प्रायरिटी इसे नहीं दी गयी।

अध्याप्त भूमि का मुआवजा

*१९---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार कर रही है कि भारत सरकार प्रदेश में जहां पर जमीन किसी कार्य के लिये लेगी उस का मुआवजा उससे बाजार रेट के हिसाब से किसानों को दिलवाया जायगा ?

श्री बृजबिहारी---

लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट में अध्याप्त भूमि का मुआवजा बाजार दर पर देने का पहले से ही प्राविधान है।

*२०---श्री ऊदल---

क्या सरकार का इरादा लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में इस तरह का परिवर्तन करने का है ताकि किसानों को जमीन का पूरा मुआवजा मिल सके ? यदि हां, तो यह कब तक सम्पन्न होगा ?

श्री बृजबिहारी---

ऐक्ट में संशोधन का प्रश्न नहीं उठता। [फिर भी मुआवजा निर्धारित करने की जो वर्तमान पद्धति है उस में परिवर्तन का प्रश्न अवश्य विचाराधीन है।

श्री ऊदल---

मैंने यह पूछा था कि भारत सरकार प्रदेश में कहीं जमीन लेगी तो सरकार मुआवजा दिलायेगी। उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि इससे पहले से ही प्राविधान है। भारत सरकार ने राबर्टसगंज सगढ़वा रेलवे लाइन, मिर्जापुर के लिये जमीन ली है और हमारे प्रदेश को उसके लिये २,७४७ एकड़ का मुआवजा २,८८,७९३.८५ नया पैसा मिला है जब कि बिहार की जमीन के लिये २४६ एकड़ के लिये २,५७,२६५ रुपये मुआवजे के लिये दिये गये तो इन दोनों बाजार भाव में कितना अन्तर है और ऐसा क्यों हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जितना फर्क है उतना ही फर्क बाजार भाव में है। हिसाब से जोड़ लीजिये।

श्री मैनेजरसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार रेलवे या किसी अन्य कार्य के लिये जो जमीन लेती है तो उत्तर प्रदेश में यहां के कानून के अन्तर्गत मुआवजा देती है और बिहार में बिहार के कानून के अन्तर्गत देती है और दोनों में असमानता है जिसका जिक्र माननीय ऊदल जी ने किया, तो क्या सरकार यहां के मुआवजा कानून में परिवर्तन करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

एक सेन्ट्रल लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट भी है । लिहाजा जब वह है तो तरमीम करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । लेकिन जैसा उत्तर में बताया गया है, हम इस पर विचार कर रहे हैं कि भूमिधर, सीरदार, इन सब की अगर जमीन एक्वायर की जाय तो मुआविजा किस तरह से दिया जाय ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

लैन्ड एक्वीजीशन के मुआवजे की समस्या बड़ी गम्भीर है और बार बार इस बात को टाल दिया जाता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपने यहां किसानों को उतना ही मुआवजा दिलवाने का कोई प्रयत्न कर रही है जितना कि और प्रदेशों में उसी जमीन का दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष--

हरीशकुमार जी, एक उत्तर यह दिया गया कि सेन्ट्रल ऐक्ट है । उसके अन्तर्गत नियम बने हुये हैं । मार्केट रेट का उन्होंने रूल बना दिया है । अब उसके सम्बन्ध में आप अगर कोई प्रस्ताव लायें तो विचार हो सकता है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

माननीय मंत्री जी ने अभी बताया कि दोनों सरकारों के, यानी बिहार और य० पी० के अलग-अलग रेट्स हैं, लेकिन माननीय मंत्रीजी को इस बात की जानकारी है कि जमीन का वह सारा टुकड़ा एक ही स्ट्रेच आफ लैन्ड है । तो ऐसा होते हुये जो भेद है और यू० पी० के किसानों को इतना नुकसान हुआ है उसको ध्यान में रखते हुये क्या प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार का कोई सुझाव देगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

यह तो लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर तय करता है । जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं । उसकी अपील होती है । हम उसमें क्या करें ?

फतेहपुर जिले में रिन्द नदी पर पुल की आवश्यकता

*२१--श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिलान्तर्गत नवीन निर्मित पोख्ता मार्ग, जहानाबाद, अमौली वाया शाहबाजपुर पर रिहन्द नदी में पुल बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कब तक पूरा हो सकेगा ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

जी नहीं । इस समय इस पुल के निर्माण की कोई योजना नहीं है । यह पुल किसी विभागीय सड़क पर नहीं पड़ता है इसलिये इस का निर्माण संभव नहीं है ।

*२२--श्री रामकिशोर वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पुल के निर्माण में कुल कितना धन व्यय होने की सम्भावना है तथा सरकार जनहित की आवश्यकता का अनुभव करते हुये उक्त पुल के निर्माण करने में शीघ्रता से कदम क्यों नहीं उठाती ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

बिना पूर्ण सर्वेक्षण के निर्माण का व्यय बताना संभव नहीं है ।

द्वितीय भाग--यह पुल किसी विभागीय सड़क पर नहीं पड़ता है ।

श्री रामकिशोर वर्मा--

जिस पुल का मैंने जिक्र किया है यह जहानाबाद, अमौली, शहबाजपुर जो आप का विभाग सड़क बना रहा है उस पर है और आप ने कहा कि आपके विभाग की सड़क पर नहीं पड़ता, तो क्या मंत्री जी ने इस बात की जानकारी कर ली है कि उनका उत्तर सही है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

श्रीमन्, इस सड़क का जहानाबाद से जफरगंज तक २३ मील ४ फर्लांग का जो हिस्सा है वह द्वितीय पंच वर्षीय योजना में स्वीकृत हो चुका है और इस पर काम हो रहा है। लेकिन जो इसका दूसरा भाग जफरगंज से फतेहपुर तक २० मील का है यह अभी तक अन्तरिम जिला परिषद् के हाथ में है और यह रिन्द का पुल इसी भाग पर पड़ता है। इसलिये यह अन्तरिम जिला परिषद् का है और हमारी जिम्मेदारी नहीं है।

श्री रामकिशोर वर्मा—

मैं जिस पुल का जिक्र कर रहा हूं वह आप की जो सड़क अमौली से शहबाजपुर को जाती है उस पर पड़ता है और आप जिस पुल का जिक्र कर रहे हैं उसको मैं नहीं कह रहा हूं। तो क्या माननीय मन्त्री जी अमौली से शहबाजपुर सड़क पर जो पुल पड़ता है उसको लेने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

जहां तक मुझे इत्तला है जो सड़क पी० डब्लू० डी० बना रहा है उसके ऊपर कोई पुल नहीं है। हां, जो उसके बाद दूसरा हिस्सा है उसके ऊपर पुल पड़ता है और वह सड़क अभी पी० डब्लू० डी० ने नहीं ली है। रिन्द नदी का जो पुल है यह इसी पर पड़ता है।

श्री रामकिशोर वर्मा—

जहानाबाद-अमौली मार्ग

*२३—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहपुर जिले के अन्तर्गत निर्मित होने वाली नवीन पोखरा मार्ग, जहानाबाद अमौली वाया शहबाजपुर अब किस स्थिति में है तथा उक्त मार्ग जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में ही पूरा हो जाने को था वह अब तक किन परिस्थितियों से पूरा नहीं हो सका ? और क्या सड़क में उपयोग किये गये अथवा किनारे एकत्रित कंकड़ के किस्म की जांच विभाग के किसी उच्च अधिकारी ने की है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

इस सड़क का निर्माण १९६० में स्वीकृत किया गया था भूमि प्राप्ति में कठिनाई तथा ईंटों के न मिलने से कार्य में कुछ विलम्ब हुआ। अब इस सड़क का मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा कंकड़ भराई का कार्य प्रगति में है। सड़क के कंकड़ों की जांच अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता द्वारा बराबर होती रही है।

श्री रामकिशोर वर्मा—

मंत्री जी, मुझे दुख होता है जब बार बार गलत उत्तर दिया जाता है। अभी तो सड़क की मिट्टी भराई का काम भी पूरा नहीं हुआ है ...

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न कीजिये।

श्री रामकिशोर वर्मा—

मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। इस सड़क पर अभी तो मिट्टी भराई का काम पूरा नहीं हुआ है मैं चाहता हूं कि आप जानकारी करा लें ताकि जो गलत उत्तर दे देते हैं वह बात न हो। मैं आप का ध्यान एक शब्द कंकड़ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके सम्बन्ध में आप का उत्तर है कि अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता ने कंकड़ की जांच कर ली है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनकी रिपोर्ट सही है और जो कंकड़ उपयोग में लाया जा रहा है वह उसके काबिल है या नहीं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

श्रीमन्, जांच तो बराबर होती रहती है और जो कंकड़ इस्तेमाल हो रहा है वह दुरुस्त है।

श्री कल्पनार्थसिंह—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि कब-कब इसकी जांच कराई गई और किस अधिकारी द्वारा कराई गई और क्या रिजल्ट हुआ ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि यह जांच सयम समय पर अधिशासी अभियन्ता और सहायक अभियन्ता द्वारा होती रहती है.....

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना यह है कि आर्डिनरी रुटीन में जांच होती रहती है। क्या आप स्पेशल जांच चाहते हैं?

श्री कल्पनाथसिंह—

जिस कंकड़ का हवाला दिया गया है उसकी कब कब जांच हुई है? समय समय की बात तो मेरी समझ में नहीं आती है, किस अधिकारी ने जांच की और उसका क्या परिणाम हुआ?

श्री गिरधारीलाल—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बताया गया, एस० ई० और एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हर जगह जाते हैं और कोई शिकायत आती है तो उसको भी देखते हैं। इस तरह से यहां पर भी एस० ई० ने देखा और उसको कोई शिकायत नहीं मिली।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न यह है कि आपके पास कोई सूचना है कि किन किन तारीखों में इन अफसरों ने जांच की।

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि कंकड़ की शिकायत है, विशेष जांच करायेंगे?

श्री गिरधारीलाल—

मैं इसकी खास जरूरत नहीं समझता। लेकिन माननीय सदस्य चाहें तो मुझसे मिल लें, मैं जांच करा लूंगा।

विश्वविद्यालयों में खर्च सम्बन्धी अनियमिततायें

*२४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किन-किन विश्वविद्यालयों में खर्च सम्बन्धी अनियमितताओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को जानकारी किसी कमेटी की रपट द्वारा प्राप्त हुई है? क्या उक्त रपट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री केशभान—

जी हां। उत्तर प्रदेश यूनीवर्सिटी इन्क्वायरी कमीशन ने निम्नलिखित विश्वविद्यालयों मेंखर्च सम्बन्धी अनियमितताओं के विषय में अपनी रिपोर्ट द्वारा सरकार को जानकारी कराई है:

१—लखनऊ यूनिवर्सिटी, लखनऊ।

२—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद।

३—आगरा यूनिवर्सिटी, आगरा।

४—गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर।

५—संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

रिपोर्ट को छपने के लिये भेजा गया है। इस समय उसकी प्रतिलिपि प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा गोरखपुर और संस्कृत विश्व-विद्यालय, वाराणसी, में कितने रुपये की अनियमितता की रिपोर्ट कमीशन ने दी है ?

श्री केशभान—

अध्यक्ष महोदय, कितने रुपये की अनियमितता है इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट तो नहीं है लेकिन कुछ अनियमितताओं की चर्चा रिपोर्ट में है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उसमें कितना रुपया इनवाल्ब्ड है, यह आप बता सकेंगे ?

श्री केशभान—

इसकी सूचना नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी इनक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को देखते हुए कोई हाई पावर कमेटी बनाने की कृपा करेंगे जो कि जो अनियमितताय रुपये के सम्बन्ध में या शासन में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में की गयी हैं उनके बारे में जांच करें और सदन की मेज पर वह रखी जा सके ?

आचार्य जुगलकिशोर—

मैं समझता हूं कि कमेटी के नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती है। कैबिनेट ने अपने आप इसके ऊपर विचार किया है। कैबिनेट ने कुछ फैसले किये हैं जो कार्यान्वित किये जा रहे हैं। चूंकि वह रिपोर्ट सदन के सामने नहीं है इसलिये मैं ज्यादा हवाला नहीं दे सकता, लेकिन गवर्नमेन्ट ने कोशिश की है, और गवर्नमेंट ने कदम उठाये है ताकि अनियमिततायें आगे न हों ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री जी यह बतलायेंगे कि नेचर आफ इर्रेगुलैरिटीज क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

सदन के सामने नहीं है और आप डिटेल्स पूछ रहे हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

नेचर आफ इर्रेगुलैरिटीज तो मासूम होगा, ग्रांट से सम्बन्धित है, या तनख्वाह से, स्टेशनरी से सम्बन्धित है, क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

जो चीज मेज पर नहीं है, उसकी डिटेल्स न पूछिये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी, जैसा कि उन्होंने कहा है कि कैबिनेट के सामने बहुत सी अनियमितताओं के संबंध में विचार-विमर्श हुआ है, उसके बारे में कार्यवाही की जा रही है, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन खास-खास चीजें है जिनके बारे में आप जांच करवा रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न यूनिवर्सिटियों के बारे में है । कुछ रिपोर्टें मेरे पास हैं उसको मैं सुना सकता हूं। एक तो यह है कि संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, के कुछ अध्यापक हैं जिनकी सर्विसेज दूसरी यूनिवर्सिटीज को लोन कर दी गयी हैं, उनके वेतन आदि का, अलावेंस आदि का भुगतान नहीं किया गया । गोरखपुर में यह है कि हिसाब आदि ठीक तरह से नहीं रखा जाता है। आगरा यूनिवर्सिटी में रिमूवेबिल प्रापरटी का कोई रजिस्टर नहीं है। इसी तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी में कैशबुक को ठीक तरह से नहीं रखा गया है। अलावा इसके, जो टीचर्स की क्वालिफिकेशंस, नम्बर और तनख्वाह होनी चाहिये उसके लिये आर्डिनेंस नहीं

बनाया गया । इस तरह की अनियमिततायें हैं। गवर्नमेंट ने निश्चय किया है कि एक फाइनेंशल ऐडवाइजर हर यूनिवर्सिटी के साथ रखा जायगा ताकि जो भी खर्चा होता है उसके बारे में कुछ प्रतिबन्ध रखे और समय समय पर यूनिवर्सिटी को सलाह देता रहे कि किन नियमों के आधार पर आगे के लिये काम किया जाय ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि प्रयाग विश्वविद्यालय के अन्दर ऐसे अध्यापक जिनका संबंध एग्जिक्यूटिव काउंसिल के मेम्बरों से है अभी हाल में नियुक्त हुये हैं और उनको रीडर्स ग्रेड की तनख्वाह दी जाती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

मेरे पास कोई इस तरह की सूचना नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जो हिसाब आदि में गड़बड़ी है उसमें स्टोर के बारे में, बिल्डिग के बारे में लाखों रुपये का गबन और अनियमितताओं का प्रश्न भी शामिल है, उस पर सरकार विचार कर रही है, और सरकार उसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री केशभान—

कांस्ट्रक्शन वर्क के संबंध में कुछ अनियमिततायें हुई हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

अभी बताया गया कि रिपोर्ट थोड़े दिनों में प्रकाशित हो जायगी तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कब प्रकाशित हो जायगी और क्या उसकी एक-एक प्रति हम लोगों को अवेलेबिल होगी।

श्री केशभान—

जो रिपोर्ट प्रकाशित होगी उसकी प्रति दी जा सकेगी ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

माननीय मंत्री जी पुनः अपने वक्तव्य से संबंधित इस बात को देखते हुये कि स्टोर और बिल्डिग वगैरह में अनियमिततायें हुई है और उसमें लाखों रुपये का गबन इन्वाल्व्ड है, तो जो अधिकारी उसके लिये जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप एक चीज अज्यूम करते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

यह तो उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप यह प्रश्न पूछिये कि क्या स्टोर में गड़बड़ी है।

श्री केशभान—

अध्यक्ष महोदय, मैंने बतलाया कि जनरल चर्चा है, कोई डीटेल नहीं है जिसके आधार पर कोई कार्यवाही की जा सके । उसमें कुछ सुझाव और दिये गये हैं जिन पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न केवल यह है कि स्टोर के संबंध में गबन की कोई रिपोर्ट है या नहीं ।

श्री केशभान—

ऐसी स्पेसिफिक कोई सूचना मेरे पास नहीं हैं ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध मेडिकल कालेज में कुछ अध्यापक ऐसे रखे गये हैं कि जिनके बारे में सरकार का निर्णय रहा है कि वह न रखे जायं ? फिर भी वह रखे गये और इस कारण करीब ३० लाख की अनियमिततायें उसमें हुई हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जहां तक मुझे मालूम है, इस तरह का प्रश्न नहीं उठा था।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

माननीय मंत्री जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के संबंध में बताया कि कैश बुक में गड़बड़ी है तो वह कैसी गड़बड़ी है, क्या उसमें मिसअप्रोप्रियेशन है ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं, नहीं, उन्होंने कहा कि नियमानुकूल नहीं रखे गये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

अगर नियमानुकूल नहीं रखे गये तो उसके लिये कौन लोग जिम्मेदार हैं कि वह नियमानुकूल नहीं रखे गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जायगी ?

श्री केशभान—

एकाउन्टेंट उसे रखते हैं। लेकिन उसके बारे में स्पेसिफिक अलग-अलग नहीं बताया गया है। यूनिवर्सिटी की जांच हुई थी, किसी विशेष अफसर की जांच नहीं हुई थी।

*२५–२६—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

[२९ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

देई सांड गांव में चकबन्दी के खिलाफ शिकायत

*२७—श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार को यह पता है कि जिला व तहसील बस्ती के ग्राम देई सांड के तेरह-तेरह बीघा खेत वाले किसानों के खेत सी० ओ० ने कुछ ही दिन पूर्व निकाल लिये हैं और उन्हें केवल छः बीघे खेत दिये हैं ?

श्री बृजबिहारी—

जिला व तहसील बस्ती के ग्राम देई सांड में एक भी किसान ऐसा नहीं है जिसके पास चकबन्दी के पूर्व कुल १३ बीघा जमीन थी और जिसे चकबन्दी में अब केवल ६ बीघा जमीन मिली है और जिसके बाकी खेत सी० ओ० ने निकाल लिये हैं।

*२८—श्री श्यामलाल—

यदि यह सब सत्य है, तो क्या राजस्व मंत्री देई सांड नामक ग्राम के सभी ऐसे त्रस्त किसानों की एक लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बृजबिहारी—

यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्यामलाल—

क्या माननीय राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि जिला बस्ती की तहसील बस्ती में देई सांड नामक ग्राम में पथरा नामक एक विधवा रहती है जिसके पास १३ बीघा जमीन थी लेकिन उसको ६ बीघे का चक दिया गया है, क्या यह सत्य नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ऐसी सूचना नहीं है।

श्री श्यामलाल--

श्रीमन्, मैंने इसी औरत के बारे में एक प्रश्न किया था और माननीय राजस्व मंत्री जी ने उसको अस्वीकार कर दिया यह कहकर कि यह व्यक्तिगत प्रश्न है तो क्या मेरी इस सूचना को सही मानकर फिर से राजस्व मंत्री जी इसकी इन्क्यायरी करायेंगे और क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो रिपोर्ट मिली है उनको कि किसी को १३ बीघे की जगह ६ बीघे का चक नहीं दिया गया है, यह किस सी०ओ० या ए०सी० ओ० के द्वारा इसकी जांच कराई गई? क्या उसी सी०ओ० नम्बर ८ और ए०सी०ओ० नम्बर ३८ के द्वारा यह जांच कराई गई है जिसके खिलाफ तमाम भ्रष्टाचार के आरोप हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

हमें तो जिले के अफसर से शिकायत आयी है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्याम लाल जी, आपकी शिकायत बहुत ठीक मालूम होती है। लेकिन कृपा करके अपने प्रश्न में उसका कुछ संकेत कर देते।

श्री श्यामलाल--

श्रीमन्, मैंने पहले संकेत किया था लेकिन उसको व्यक्तिगत कहकर अस्वीकार कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

आप मुझे बीजियेगा तो मैं देख लूंगा।

[जूनियर हाई स्कूल, बहजोई के अध्यापकों का बक़ाया भत्ता

*२९--श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हायर सेकेंडरी स्कूल, बहजोई (जिला मुरादाबाद) के ऐसे कितने अध्यापक हैं जो १९६० की यू०पी० बोर्ड की परीक्षा में एस०एम० चन्दौसी कालेज, मुरादाबाद में इंवीजिलेटर का कार्य कर चुके हैं परन्तु उन को टी० ए० तथा डी०ए० का धन अब तक नहीं मिला है?

आचार्य जुगलकिशोर--

हायर सेकेंडरी स्कूल, बहजोई नहीं, बल्कि जूनियर हाई स्कूल, बहजोई के दो अध्यापकों, सर्वश्री बुद्धसेन तथा सोहन लाल ने परिषद् की १९६० की परीक्षा में एस० एम० कालेज, चन्दौसी नहीं बल्कि एस०एम० हायर सेकेंडरी स्कूल, चन्दौसी केंद्र पर वाह्य निरीक्षक के रूप में कार्य किया था और उनके टी०ए० और डी०ए० का भुगतान अभी नहीं हुआ है।

*३०--श्री बिशनलाल यादव (अनुपस्थित)--

हायर सेकेंड्री स्कूल, बहजोई के अध्यापकों ने यू०पी० बोर्ड के सेक्रेटरी महोदय को लिखा तो सेक्रेटरी महोदय ने उत्तर दिया कि आपके बिल १८ अप्रैल, १९६२ को पत्र नं० एफ०/४ टी० ए०/जी० आर० थर्ड/२६० के अनुसार डाइरेक्टर महोदय, शिक्षा विभाग, इलाहाबाद को सैन्कशन होने को भेज दिये गये हैं? परन्तु अभी तक कुछ पता नहीं चला कि उन बिलों का क्या हुआ। क्या सरकार शीघ्र से शीघ्र उक्त धनराशि दिलाने की कृपा करेगी? यदि हां, तो कब तक?

आचार्य जुगलकिशोर--

इस प्रश्न में जिस पत्र का हवाला है उसका संबंध उक्त अध्यापकों से नहीं है। एस०एम० हायर सेकेंडरी स्कूल, चन्दौसी केंद्र पर कार्य करने वाले सभी निरीक्षकों का बिल त्रुटिपूर्ण होने के कारण दिनांक ३१ अगस्त, ६० को केंद्र व्यवस्थापक को इस आशय से वापस किया गया था कि वह संबंधित आपत्तियों को दूर करने के पश्चात् पास करने के लिये पुनः

लौटावें। तीन स्मरण-पत्र, जिसमें अंतिम पत्र २३ फरवरी, १९६३ को भेजा गया है, भेजने के बावजूद भी बिल वापस नहीं आया है। केंद्र व्यवस्थापक से बिल वापस प्राप्त होने पर उसे पारित और भुगतान की कार्यवाही की जायगी।

परसपुर क्षेत्रीय समिति द्वारा चकबन्दी के विरुद्ध शिकायतें

*३१—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले की परसपुर क्षेत्रीय समिति ने अपनी किसी पिछले माह की बैठक में चकबन्दी त्रुटियों तथा उस से उत्पन्न कठिनाइयों पर सरकार का ध्यान कुछ प्रस्तावों के द्वारा आकर्षित किया है? यदि हां, तो उन प्रस्तावों की एक प्रति क्या सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री बृजबिहारी—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

*३२—श्री शांतिचन्द्र शुल्क—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रस्तावों के संबंध में सरकार का विचार क्या है और उसे करने में प्रगति क्या है?

श्री बृजबिहारी—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

स्टाफ इन्स्ट्रक्टरों का वेतन

*३३—श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रादेशिक शिक्षा दल में स्टाफ इन्स्ट्रक्टरों की कितनी श्रेणियां हैं और उनके वेतन-क्रम अलग-अलग क्या हैं?

श्री अजीज इमाम—

स्टाफ इन्सट्रक्टरों की केवल एक श्रेणी है तथा उनका वेतन ७५ रु० प्रति माह अचल (fixed) है।

*३४—श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्टाफ इन्स्ट्रक्टरों से ही पी०टी० अध्यापकों का भी काम लिया जाता है किन्तु पी०टी० अध्यापकों के वेतन-क्रम में उन्हें नहीं रखा गया है? यदि हां, तो कारण क्या है?

श्री अजीज इमाम—

स्टाफ इन्सट्रक्टरों से पी०टी० अध्यापक का कार्य नहीं लिया जाता है। वे केवल प्रदेशीय शिक्षा दल के कैडेटों को पी०टी० कराते हैं। अतएव उनको पी०टी० अध्यापकों का वेतन-क्रम देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*३५—श्री केशरीप्रसाद पांडेय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विभाग के संचालक का वेतन-क्रम २ वर्ष पहले क्या था और अब क्या है तथा इस विभाग के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

श्री अजीज इमाम—

प्रदेशीय शिक्षा दल के संचालक का वेतन-क्रम दो वर्ष पूर्व ५००—५०—१,००० ई० बी० ५०—१,२०० रु० था तथा उनका वेतन-क्रम अब भी यही है। इस विभाग के सभी कर्मचारी पेंशन पाने के अधिकारी हैं यदि वे पेंशन के निर्धारित नियमों के अन्तर्गत आते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टाफ इन्सट्रक्टर का वेतन-क्रम निर्धारित न करने का क्या कारण है ?

श्री अजीज इमाम---

उनका वेतन ७५ रु० फिक्स्ड है। वे मिलिटरी से रिटायर्ड हैन्ड आते हैं ; उनको यह पेंशन मिलती है। इसलिये उनका वेतन-क्रम फिक्स्ड है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टाफ इन्सट्रक्टर को महंगाई भत्ता क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री अजीज इमाम---

इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मैनेजरसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि स्टाफ इन्सट्रक्टरों में पेंशनेबिल और नान-पेंशनेबिल स्टाफ इन्सट्रक्टरों की दो श्रेणियां हैं और उनके दो ही वेतन-क्रम हैं ?

श्री अजीज इमाम---

वेतन-क्रम एक ही है जो ७५ रुपये फिक्स्ड है। दो श्रेणियां नहीं हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने स्टाफ इन्सट्रक्टर हैं और उनमें कितने आदमियों को पेंशन मिलती है और जिनको नहीं मिलती है उनको न मिलने का क्या कारण है ?

श्री अजीज इमाम---

मैंने पहले जवाब दिया था कि जो पेंशन की केटगरी में आ जाते हैं उनको पेंशन दी जाती है पेंशन पाने के नियम के अनुसार और प्रदेशभर में १८१ स्टाफ इन्सट्रक्टर हैं।

*३६-३७---श्री काशीनाथ मिश्र---

[८वें गुरुवार के लिये प्रश्न १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३८---श्री रामसिंह तथा श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी)---

[२९ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

*३९-४१---श्री बृजेश्वरसहाय---

[हटा दिये गये।]

*४२-४४---श्री गंगाधर मैठाणी (जिला चमोली), श्री कैलाश (जिला देवरिया) तथा श्री बांकेलाल---

[२९ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

विशन नारायण इण्टर कालेज, लखनऊ की आर्थिक स्थिति

*४५---श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि विशन नारायण इंटर कालेज, हजरतगंज, लखनऊ, को कब मान्यता दी गयी थी और उसके लिये क्या प्रतिभूति (सिक्योरिटी) रखी गयी थी ?

आचार्य जुगलकिशोर---

उक्त विद्यालय को हाई स्कूल की मान्यता अगस्त, सन् १९४७ में एवं इंटरमीडियेट की मान्यता सितम्बर सन् १९५३ में प्रदान की गई थी।

हाई स्कूल की मान्यता के समय संस्था अधिकारियों ने १५,००० रु० से अधिक मूल्य की गृह सम्पत्ति प्राभूत में दिखाई थी। इन्टरमीडियेट की मान्यता के समय प्राभूत कुछ नहीं था।

*४६--श्री यादवेन्द्रदत्त (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को विदित है कि उक्त कालेज के अध्यापकों को महीनों वेतन नहीं मिलता और क्या इस संबंध में सरकार के पास हाल में कोई प्रार्थना-पत्र अध्यापकों की ओर से आया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर--

जी हां, अध्यापकों को दिसम्बर सन् १९६२ तक और निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को जनवरी सन् १९६३ तक का वेतन दिया जा चुका है।

अध्यापकों के प्रार्थना-पत्र पर जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा जांच हो रही है।

*४७--श्री यादवेन्द्रदत्त (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त कालेज का गत ५ वर्षों का परीक्षाफल क्या रहा है और सरकार द्वारा विभिन्न मदों पर प्रति वर्ष कितना-कितना रुपया अनुदान के रूप में दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर--

अपेक्षित सूचना संलग्न सूची में प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४८८ पर)

*४८--श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)--

[२९ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

तहसीलदार, भोगांव द्वारा सीमेंट के परमिट देना

*४९--श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित) तथा श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी जिले की भोगांव तहसील के मौजूदा तहसीलदार ने अपने कार्यकाल में भोगांव तहसील में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के नाम अब तक कुल कितनी बोरी सीमेंट के परमिट स्वीकृत किये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

कुल २०८ बोरी।

*५०--श्री सूबेदार सिंह (अनुपस्थित) तथा श्री महरामसिंह (अनुपस्थित)--

क्या उक्त तहसीलदार महोदय ने तहसील की बिल्डिंग की मरम्मत के नाम पर भी सीमेंट के परमिट बनाये हैं ? यदि हां, तो कितनी बोरी के और वह सीमेंट कहां लगाया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

जी हां। १० बोरी सीमेन्ट तहसील की इमारत की मरम्मत में लगाया गया।

*५१--श्री सूबेदारसिंह--(अनुपस्थित) तथा श्री महरामसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त तहसीलदार महोदय किस जिले के रहने वाले हैं ? भोगांव तहसील से उनका घर कितनी दूर है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

फर्रुखाबाद। लगभग २२ मील दूर है।

खाना कैफियत में इन्दराज

*५२—श्री महादेव (जिला फैजाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि लेखपालों द्वारा कैफियत खाने में इन्दराज पर विचार करने के लिये जो कमेटी बैठायी गयी थी उसने क्या रिपोर्ट दी और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। इस विषय में एक कमेटी बैठाई गई थी और उसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है जिसका तत्व यह है कि लेखपाल का खाना कैफियत में काबिज कराने का अधिकार समाप्त कर दिया जाये। यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

फतेहपुर जिले में नवीन सड़कें बनाने की प्रार्थना

*५३—श्री रक्षपाल सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुये कि फतेहपुर जिले में हुसेनगंज-कड़ा तथा बहुआ धाता ऐसी सड़कें हैं जिन पर यातायात सर्वाधिक होता है उनके निर्माण हेतु इस योजना में अथवा अगली योजना में प्राथमिकता देने की कृपा करेंगे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

वर्तमान योजना के अन्तर्गत इन सड़कों का निर्माण सम्भव नहीं है। अगली योजना के संबंध में भी किसी प्रकार का आश्वासन देना अभी सम्भव नहीं है।

*५४—श्री बांकेलाल—

[६ठे बुधवार के लिये प्रश्न १०४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

पी० ई० एस० क्लास २ का चुनाव

*५५—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फरवरी, सन् १९६२, को पी० ई० एस० क्लास २ के चुनाव में विभागीय चुनाव समिति द्वारा शिक्षा अधिकारियों के चुनाव में किन-किन बातों पर विचार किया गया था तथा क्या यह भी सत्य है कि उसमें ७५ प्रतिशत नं० कैरेक्टर रोल व १० योग्यता पर तथा १५ साक्षात्कार पर निर्भर थे ?

श्री केशभान—

योग्यता के आधार पर।

ऐसा कोई प्रतिबन्ध निर्धारित नहीं है। चुनाव समिति सभी बातों पर गौर करके निर्णय लेती है।

*५६—श्री मतोलासिंह—

क्या यह सत्य है कि कई शिक्षा अधिकारियों के कैरेक्टर रोल की ऐडवर्स इन्ट्रीज से उनको सूचित नहीं किया गया और यह कार्य सिविल सर्विस रूल के विरुद्ध है ? क्या सरकार इन अवैधानिक कार्रवाइयों के विरुद्ध जांच कराके संबंधित अधिकारियों को उसके लिये चेतावनी देगी और उन बेचारे निरपराध अधिकारियों को दोबारा चुनाव का अधिकार व अवसर देगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री केशभान—

जी हां,

कुछ अधिकारियों को एडवर्स रिपोर्ट की इत्तला नहीं दी गयी थी। समिति में इस बात का भी ध्यान रक्खा गया था। किसी अवैधानिकता का अथवा दोबारा अवसर देने का प्रश्न नहीं उठता है।

टिहरी-गढ़वाल जिले में बहुधन्धी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

*५७—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन (जिला टेहरी-गढ़वाल)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि सरकार की ओर से प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल के अन्दर टेहरी-गढ़वाल जिले में कितने बहुधन्धी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये ?

आचार्य जुगल किशोर—

एक।

*५८—श्रीमती विनयलक्ष्मी सुमन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह भी बतलायेंगे कि टेहरी-गढ़वाल में स्थित पोखरी के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्रदेशीयकरण कब होगा और कब इसे बहुधन्धी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में परिणत किया जायेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

रायबरेली जिले में लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई

*५९—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली में तहसील डलमऊ के अन्तर्गत थाना सरेनी के लेखपाल, हलका रालपुर के लेखपाल श्री राम नारायन जिनके ऊपर एक रिश्वत के केस में तहसीलदार महोदय, डल ऊ जांच कर रहे थे उस जांच की रिपोर्ट तहसीलदार साहब ने हाल ही में दे दी है ? यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

जी हां। आवश्यक विभागीय कार्यवाही के पश्चात् लेखपाल की ४ वेतन वृद्धियां रोक दी गई हैं और इसका उल्लेख लेखपाल की चरित्र-पुस्तिका में भी कर दिया गया है।

*६०—श्री गुप्तारसिंह—

क्या यह सही है कि उपरोक्त रिपोर्ट लेखपाल राम नारायन के खिलाफ है, फिर भी अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आवश्यक कार्यवाही हो चुकी है।

बदायूं जिले में लगान वसूली के खिलाफ शिकायत

*६१—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में लगान वसूलयाबी अमीन रबी, सन् १३७० फसली, का लगान किसानों से जबरन पेशगी वसूल कर रहे हैं ? क्या पेशगी वसूली का कोई आदेश है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

नोट—तारांकित प्रश्न ५५–५६ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

रामभरोसे आर्य इण्टर कालेज, राजा-का-रामपुर

*६२—श्री बृजेश्वर सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रामभरोसे आर्य इन्टर कालेज, राजा-का-रामपुर, (एटा) को वह कितनी एड (सहायता-धन) पांच वर्षों से देती है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

तालिका "क" संलग्न है ।

(देखिये नत्थी ख आगे पृष्ठ ४८९ पर)

*६३—श्री बृजेश्वरसहाय—

[२९ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

देवरिया जिले में नवीन जूनियर हाई स्कूल

१—श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद्, देवरिया द्वारा अक्तूबर, १९६१ से जुलाई, १९६२ तक कितने जूनियर हाई स्कूल खोले गये तथा उनको खोलने के लिये जिन औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है वह सभी पूर्ण कर ली गई थीं ? यदि नहीं, तो क्या कमियां रह गयी थीं ?

आचार्य जुगलकिशोर—

प्रश्नगत अवधि में अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा ४५ जूनियर हाई स्कूल खोले गये थे। उनके खोलने के सम्बन्ध में निम्नांकित आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की गई थी :—

उनके खोलने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक की स्वीकृति नहीं ली गई थी। तथा उन स्कूलों में कार्य करने वाले अध्यापकों के पदों की स्वीकृति भी नहीं ली गई है।

२—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त विद्यालयों पर अ० जि० परिषद् द्वारा अब तक कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा उक्त स्कूलों पर अब तक कोई धन व्यय नहीं किया गया है।

३—श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त विद्यालयों के अध्यापकों को गत कितने दिनों से वेतन नहीं दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

उक्त विद्यालयों के अध्यापकों को जनवरी, १९६२ से वेतन नहीं दिया गया है ।

पथरी वन में कृषि-भूमि की मालगुजारी

४—श्री सईद अहमद (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला सहारनपुर, तहसील रुड़की के उद्वासित लोग जो सन् १९५४ से पथरी वन, जिला सहारनपुर, में आबाद होकर और हरसी वाला, टिकौला, थारी वाला (जिला सहारनपुर) के उद्वासित लोग जो १९५६ से पथरी वन में आबाद होकर खेती कर रहे हैं उन पर मालगुजारी अभी तक कायम न होने का क्या कारण है ?

उपरोक्त ग्रामों के उद्वासितों को पथरी वन में जो भूमि सरकार ने एलाट की थी उसका विभाजन इन लोगों में किस आधार पर हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इन लोगों पर मालगुजारी न निर्धारित होने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(१) यह अभी निश्चय नहीं हुआ है कि यह क्षेत्र किन ग्रामों का क्षेत्रफल घोषित होगा।

(२) इस क्षेत्र का नवीन survey अभी नहीं हुआ है ।

(३) इस भूमि पर जिन लोगों के नाम एलाटमेंट किया गया है उनके अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी बिना अनुमति कब्जा कर लिया है। उनको बेदखल करने की कार्यवाही हो रही है।

भूमि का एलाटमेंट, पीड़ितों की मांग तथा परिस्थितियों के आधार पर, जिले की एक कमेटी ने किया है। उस कमेटी में सरकारी तथा गैरसरकारी व्यक्ति हैं।

प्रश्नों का समय से उत्तर न मिलने पर आपत्ति

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, आप नत्थी (ख) के २७-२८ प्रश्न पर गौर फरमायें। मैंने इन प्रश्नों को ११ फरवरी को दिया था और १६ फरवरी को राजस्व मंत्री जी ने बतलाया कि चौथे शुक्रवार के लिये ये प्रश्न स्थगित किये जाते हैं। चौथा सोमवार ८ मार्च को पड़ता है। उसका जवाब न देकर पांचवें शुक्रवार को जवाब मिल रहा है। यह विशेषाधिकार का प्रश्न है और सदन का अपमान है। मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री से जानना चाहता हूं कि जरा बतलायें कि यह घटना क्यों घटी।

माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)—

मुझे ताज्जुब है, मैंने कब कहा कि टाइम बढ़े ? बढ़ाना-घटाना तो आप के हाथ में है, मुझसे क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष—

मुझसे मिल लीजियेगा। जरा समझ लिया जाय।

श्री श्यामलाल—

श्रीमन्, यह विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप मिल लीजियेगा।

श्री छेदालाल गुप्त के निधन पर शोकोद्गार

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभान गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, आज फिर मैं सदन के समक्ष एक दुःखद समाचार जिसे सदन के सदस्यों ने अखबारों में पढ़ ही लिया है, उसकी जानकारी कराने के लिये इस समय खड़ा हुआ हूं। मेरा तात्पर्य हमारे इस सदन के पहले सम्मानित साथी माननीय छेदालाल गुप्त, हरदोई निवासी, के निधन से है। कल उन्हें कारोनरी थ्रोम्बोसिस हुआ और उसके बाद ही उनका देहांत हो गया। वह हमारे ४०–४२ वर्ष के साथी थे। गांधी जी ने जब राष्ट्रीय आन्दोलन देश में चलाया, उसमें १९२० में वे सम्मिलित हुये और जीवन-पर्यन्त उस संस्था के सदस्य रहे, जिसने देश में आजादी लाने में गांधी जी के नेतृत्व में एक अगुवा का कार्य किया। वे हमारे उन साथियों में से थे, जिन्होंने अपने जिले में सार्वजनिक जीवन में हिस्सा लेकर उन नये विचारों को अपने चारों तरफ के वातावरण में पैदा करने की चेष्टा की थी जिस वातावरण को उस समय सामे

[श्री चन्द्र भानु गुप्त]

की नितांत आवश्यकता थी। जब-जब गांधी जी के आदेश मिले, वह उन आदेशों के अन्तर्गत उन यातनाओं को सहने के लिये बराबर उद्यत रहे जो उस जमाने के राष्ट्रीय आन्दोलनों के अन्तर्गत प्रत्येक सार्वजनिक कार्यकर्ता को भोगनी पड़ती थीं। वे १९२० में विद्यार्थी थे, तभी से उन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलनों में बराबर हिस्सा लिया और सन् ३०-३२-४० और ४२ के आन्दोलनों में वे सम्मिलित हुये। कोई भी हरदोई जिले में ऐसा सार्वजनिक कार्य नहीं था जिसमें वे अगुवा न रहे हों। कई शिक्षा संस्थाओं के वे संचालक थे।

असेम्बली में सन् १९३७ में जब पहला चुनाव हुआ और सन् १९५७ तक वे सदस्य रहे और उसके बाद वे पार्लियामेंट के सदस्य चुने गये। इस तरह से उन्होंने सभी सार्वजनिक कार्यों में हिस्सा लिया। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे वे साथी जो सार्वजनिक क्षेत्रों में अगुवा रहे हैं, धीरे-धीरे, हमारे बीच से उठते चले जा रहे हैं। आज जब कि देश को बहुत से सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं की आवश्यकता है, ऐसे साथी जब उठते जा रहे हों, तो इससे सार्वजनिक जीवन को बहुत क्षति पहुंच रही है।

मैं अपनी ओर से और इस सदन के सभी साथियों की ओर से, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, उनके घरवालों के प्रति इस दुःखद समय में सदन की संवेदना भेजना चाहता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस सदन की संवेदना को उनके दुःखद परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें। मैं ईश्वर से भी इस बात की प्रार्थना करता हूं कि वह उस दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और हम सब उनके सार्थियों को वह बल प्रदान करें जिससे हम उन कार्यों का सम्पादन कर सकें जिनमें वे लगे हुये थे और अधिक रुचि रखते हुये उन कार्यों को पूरा करने की क्षमता उत्तरोत्तर अपने अन्दर बढ़ाते जायं। वही मार्ग होगा हम सब के लिये अपने साथी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारी भावनाओं को उनके घरवालों तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय छेदालाल गुप्त के निधन पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अपनी भावनायें व्यक्त की हैं उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि उनके संतप्त परिवार को जन संघ दल की सहानुभूति तथा संवेदना भेजने की कृपा करें।

*श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने को तथा अपनी स्वतंत्र पार्टी को, माननीय छेदालाल जी गुप्त के प्रति उन भावनाओं के साथ सम्बद्ध करता हूं जो यहां माननीय नेता सदन तथा माननीय उप-नेता विरोधी दल की ओर से व्यक्त की गयी हैं और आशा करता हूं कि आप मेरी तथा मेरे दल की संवेदना और श्रद्धांजलि को उनके दुखी व संतप्त परिवार तक भेजने की कृपा करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सन् १९५२ से स्वर्गीय छेदालाल जी से परिचित हूं और उनकी जो कार्य-प्रणाली यहां सदन में रही उसका काफी असर मेरे दिलो दिमाग पर रहा। मैं समझता हूं कि उनके निधन से इस प्रदेश के उन लोगों को ताकत कुछ कम हुई है जो सही माने में सादगी से जीवन व्यतीत करते हुये जनता की सेवा करने में ही अपना सारा समय लगाते रहे हैं। मैं अपनी ओर से तथा अपने समाजवादी संयुक्त दल की ओर से उनके संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप उनके दुखी परिवार को हमारी सम्वेदना भेजने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय छेदालाल गुप्त के सम्पर्क में ५ वर्ष तक इस सदन में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो चुका है।

वह एक त्यागी, तपस्वी और अपने जिले की राजनीति के प्रमुख स्तम्भ के रूप में रहे हैं। १९२०–२१ के महात्मा गांधी के आन्दोलन से हमारे देश के हजारों लाखों आदमी प्रभावित हुये और जिस प्रभाव से वशीभूत ये असंख्य आदमी अपना सब कुछ देश की स्वतंत्रता के लिये कुर्बान कर सके थे उनमें माननीय गुप्ता जी भी थे। विद्यार्थी की हैसियत से अपने भावी जीवन की सुख कामनाओं को छोड़कर वे राजनीति के क्षेत्र में कूदे थे और तब से जीवन के अन्त तक उसका उन्होंने निर्वाह किया है। ऐसे मौके पर दुख होता ही है। एक विशेष प्रकार की चिन्ता भी है, जो सबको होनी चाहिये कि हमारी पुरानी पीढ़ी के लोग जिन्होंने आजादी की लड़ाई में सिपाही और सेनानी के रूप में काम किया, एक-एक करके धीरे-धीरे हमारे प्रदेश और देश से उठते चले जा रहे हैं और नई पीढ़ी उनका स्थान लेने के लिये तैयार नहीं हो पा रही है। यह एक चिन्तनीय विषय राष्ट्रीय आधार पर है। मैं इन चन्द शब्दों के साथ अपने को और अपनी कम्युनिस्ट पार्टी को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा व्यक्त भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी संवेदना और श्रद्धांजलि के ये भाव उनके संतप्त और दुखी परिवार तक पहुंचाने की कृपा करेंगे।

श्री खेमचन्द (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन तथा अन्य नेताओं की भावनाओं से मैं अपने आप को तथा अपनी रिपब्लिकन पार्टी को सम्बद्ध करता हूं और त्रिरत्न भावना करता हूं कि संतप्त परिवार इस दुःखद क्षति को सहन करने की शक्ति प्राप्त करे। आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमारी समवेदना भी सन्तप्त परिवार के पास तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, निर्दलीय दल की तरफ से, जो भावनायें यहां पर मुख्य मंत्री जी ने और इस तरफ के नेताओं ने प्रकट की हैं, हम अपने को उनसे सम्बद्ध करते हैं और यह चाहते हैं कि हमारी समवेदना को भी उनके परिवार तक पहुंचा देने की आप कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

सदन द्वारा व्यक्त भावनाओं से मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। स्वाभाविक है कि काल की गति के साथ हमारी वे पंक्तियां क्षीण होती जा रही है जिन पंक्तियों में हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक और सेनानी थे। जाते हुये वे हमारे लिये एक आदर्श अवश्य छोड़ गये हैं कि जहां उन्होंने त्याग और तपस्या करके अपने देश और अपनी मातृभूमि के लिये यातनाओं को ओढ़ा वहां उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् अपने जीवन को देश और राष्ट्र की सेवा में समर्पित रखा। मेरा ऐसा विश्वास है कि ऐसे अवसरों पर हम लोगों की नयी पीढ़ी जो आ रही है, कर्त्तव्य यही है कि यद्यपि जेल की यातनाओं का प्रश्न इस समय नहीं उठता तो भी हमारे लिये अनुशासनबद्ध होने, अपने जीवन को संयमित करने और अपने देश और अपने राष्ट्र की एवं राज्य की विविध समस्याओं पर विचार करके उनका समाधान करने का प्रयत्न करने में सन्नद्ध रहना, इतना तो सबक हम उनसे अवश्य सीख सकते हैं।

मैं सदन की ओर से संतप्त परिवार को सहानुभूति और समवेदना का पैगाम भेज दूंगा। आशा है दिवंगत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करेंगे। अब दो मिनट के लिये हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिये और उसको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिये खड़े होकर प्रार्थना करेंगे।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर २ मिनट के लिये खड़े हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार के प्रश्न के ऊपर मैं अपना निर्णय सोमवार को दूंगा अथवा जो कुछ कार्यवाही करनी होगी सोमवार को कर दूंगा। अभी मैंने उसका पूरी तरह से अध्ययन नहीं किया है।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथ सिंह जी का एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है जिसमें उन्होंने यह शिकायत की है कि जिला अन्तरिम परिषदों के संबंध में कुछ नियम बनाये गये हैं, जिससे क्षोभ है। उनको यह जान लेना चाहिये कि जो नियम बनते हैं या जो कानून बनता है उनके संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता। वे नियम सदन में रखे जाते हैं, उनमें अगर संशोधन कराना हो तो १४ दिन के अन्दर इस सदन में उनको कराने के लिये सूचना दी जा सकती है। मुझे आफिस से यह भी पता चला है कि इन नियमों के संबंध में कुछ संशोधन के प्रस्ताव आये हैं और मैं इस बात का प्रयत्न कर रहा हूं कि इलेक्शन से पूर्व उन संशोधनों को सदन के समक्ष ला दूं ताकि उनके ऊपर विचार हो जाय और यह सदन निर्णय दे दे।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

इसके अतिरिक्त मेरे पास कई एक नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें आयी हैं। एक सूचना माननीय चन्द्रपाल जी की है जो कुछ महत्वपूर्ण मालूम होती है किन्तु मैं, कुछ अस्पष्ट होने के कारण, उनसे बातचीत करना चाहता हूं। अगर वह मेरी समझ में आ जायगा तो उसको रख सकूंगा। शेष को मैंने अस्वीकार कर दिया है और उस बारे में आदेश दे दिये हैं।

माननीय नरसिंह नारायण जी ने बाराहोती के बारे में सूचना दी थी जिसमें कहा था कि चिन्ता व्याप्त है। इमर्जेन्सी में चिन्ता होना ठीक है, होनी चाहिए लेकिन हमारा कर्त्तव्य यह है कि वहां के निवासियों को हम ढाढ़स दें, उनमें मनोबल उत्पन्न करें। अब रही बात यह कि वहां पर फौजें इकट्ठी हो रही हैं, तो उससे सम्बन्धित प्रबन्ध के बारे में हमारा विश्वास है कि हमारे जो प्रतिनिधि सेन्टर में हैं वे अपना उत्तरदायित्व जानते हैं और उसका प्रबन्ध कर रहे होंगे।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मैं इसके द्वारा सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता था।

श्री अध्यक्ष—

सरकार का ध्यान तो आकृष्ट हो गया।

अब एक नोटिस माननीय गया प्रसाद जी का है, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि उसका गवर्नमेंट से किस प्रकार से संबंध है, इसलिये मैंने उसको अस्वीकार कर दिया है। माननीय चन्द्रबली सिंह जी का विषय ऐसा है कि वे उसको अल्पसूचित प्रश्न द्वारा पूछ सकते हैं। माननीय काशीनाथ जी का भी विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है। वह आयुर्वेदाचार्य और बी० एम० बी० एस० के बारे में है जिसको मैं यहां पिछले पांच सालों से सुनता चला आया हूं। आप भी उसके बारे में प्रश्न कर सकते हैं।

माननीय बिपिन बिहारी लाल जी का भी एक प्रश्न है एक्सीडेंटों के बारे में। यह कोई नयी चीज नहीं है। यह ऐसा विषय है जिसको वे और तरीके से ला सकते हैं। वह नियम ५२ का विषय नहीं हो सकता।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैंने भी एक नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न दिया था, उसके बारे में क्या हुआ? कम से कम सरकार का वक्तव्य तो दिलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने भी एक नियम ५२ की सूचना दी है। उसको मैंने नियम ५२ में तो स्वीकार नहीं किया है लेकिन माननीय मंत्री महोदय के पास कार्यवाही के हेतु भेज दिया है। वे कहते हैं कि एक जगह १२ तारीख को गोरखपुर जिले में, कटाव पीड़ित क्षेत्र के बगहा नामक गांव में आग लग गयी और वह जल कर राख हो गया। यह एक विशेष गांव के बारे में हैं और उसको मैंने माननीय मंत्री जी के पास भेज दिया है कि वे इस पर शीघ्र कार्यवाही करें। श्री चन्द्रपाल जी यहां मौजूद हों तो मुझसे मिल लेंगे।

बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टर मीडिएट एजूकेशन की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों के खुल जाने (आउट हो जाने) के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब मद ६ के संबंध में शिक्षा मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

शिक्षा उपमंत्री (श्री केशभान)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह आशंका प्रकट की है कि बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इंटरमीडिएट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, द्वारा संचालित परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों के खुल जाने के कारण परीक्षा की पवित्रता तथा गोपनीयता समाप्त हो गयी है और इससे बोर्ड के प्रति जनता का विश्वास समाप्त हो गया है तथा बोर्ड का संचालन राज्य सरकार की संरक्षता में होने के कारण राज्य सरकार के प्रति भी घोर असन्तोष, उत्तेजना तथा अविश्वास का वातावरण व्याप्त हो रहा है।

वास्तविक स्थिति यह है कि बोर्ड की परीक्षा के प्रश्न-पत्र बहुत गोपनीय रखे जाते हैं और हर प्रकार से यह प्रयत्न किया जाता है कि इनकी छपाई तथा वितरण के बीच किसी भी प्रकार से प्रश्न पत्र "आउट" न हो सकें। इसके लिये बोर्ड ने ऐसी प्रणाली अपनाई है, जिसमें प्रश्न-पत्रों के आउट होने की कोई संभावना न रहे। इस वर्ष २ मार्च, १९६३ को जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़ को खैर इन्टर कालेज, खैर, अलीगढ़ और राष्ट्रीय विद्यालय इन्टर कालेज, खैर, अलीगढ़, के प्रधानाचार्यों से यह सूचना प्राप्त हुई कि उनके सेन्टरों के लिये प्राप्त प्रश्न पत्रों के कुछ थैले काटे हुए पाये गये हैं और उनमें से कुछ प्रश्न पत्र भी गायब हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने उसी दिन तुरन्त टेलीफोन द्वारा इसकी सूचना अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, को लखनऊ में दी जिन्होंने तुरन्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद, को भी सूचित किया। बोर्ड के अतिरिक्त सचिव घटना स्थल पर जांच के लिये ३ मार्च, को प्रातःकाल पहुंच गये और जांच की। जांच से यह पता चला कि खैर इन्टर कालेज, खैर, अलीगढ़ और राष्ट्रीय विद्यालय इन्टर कालेज, खैर, अलीगढ़ केन्द्रों के प्रश्न पत्रों के कुछ थैलों को कोने से सीवन काट कर कुछ पर्चे निकाल लिये गये हैं। थैलों की सील बिल्कुल सही पाई गई। इन केन्द्रों के अधिकारियों ने यह थैले पोस्ट आफिस से क्रमशः २८ फरवरी, तथा १ मार्च को छुड़ाये थे किन्तु १ मार्च को डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी के निधन की छुट्टी के कारण उस दिन थैलों की जांच नहीं की गयी और केवल सील देख कर ही थैले सेफ में रख दिये गये। दूसरे दिन संबंधित विद्यालयों के कुछ अध्यापकों और कर्मचारियों के समक्ष थैलों की जांच करने पर पर्चों का निकाला जाना मालूम हुआ। हाई स्कूल परीक्षा के अंग्रेजी प्रथम, हिन्दी प्रथम, गणित प्रथम तथा द्वितीय, इंग प्रथम तथा द्वितीय प्रश्न पत्रों की एक-एक दो-दो प्रतियां गायब पाई गयीं। यह सन्देह होने पर कि खैर पोस्ट आफिस के सब-पोस्ट मास्टर के लड़के द्वारा, जो कि हाई स्कूल परीक्षा का परीक्षार्थी है, यह कार्यवाही की गयी है, उनके मकान की तलाशी ३ मार्च की रात को ली गयी। वहां इनमें से कुछ पर्चे तथा उनका हल बरामद हुआ। इस पर लड़का तथा उसका पिता गिरफ्तार किये

[श्री केशभान]

गये। बाद में पिता को जमानत पर छोड़ दिया गया है और लड़का अब भी पुलिस की हिरासत में है। यह भी ज्ञात हुआ है कि राष्ट्रीय इन्टर कालेज खैर के स्थानापन्न हेड मास्टर, हेड क्लर्क और उनके पुत्र तथा कुछ अध्यापकों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। अभी जांच जारी है और जांच के फलस्वरूप जो व्यक्ति दोषी पाये जायेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

चूंकि प्रश्न पत्रों के आउट होने का सन्देह होते ही तुरन्त जांच-पड़ताल की गई और गायब पर्चे बरामद कर लिये गये, इसलिये यह संभावना कम है कि पर्चे व्यापक रूप से आउट हो गये हों। फिर भी परीक्षा की गोपनीयता को कायम रखने के लिये बोर्ड की परीक्षा समिति ने यह निर्णय लिया है कि हाई स्कूल परीक्षा के इंगलिश प्रथम, हिन्दी प्रथम, गणित प्रथम तथा द्वितीय तथा ड्राइंग प्रथम तथा द्वितीय के प्रश्न पत्रों को बदल दिया जाय। इसकी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है और फलस्वरूप परीक्षा के कार्यक्रम में आंशिक रूप से संशोधन कर दिया गया है। स्पष्ट है कि यह आशंका करना कि परीक्षा की पवित्रता और गोपनीयता नष्ट हो गई है, निर्मूल है। बोर्ड सचेष्ट है कि परीक्षा पूर्ण रूप से गोपनीय रहे और इसकी पवित्रता नष्ट न हो। बोर्ड ने ऐसी कोई ढिलाई नहीं की जिसके फलस्वरूप पर्चे "आउट" हुए हों और जिसके कारण बोर्ड के प्रति अविश्वास किया जाय।

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पर्चे आउट होने की जो घटना हुई उससे बोर्ड का कितना नुकसान हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

वह तो अखबार में भी आ चुका है....

श्री केशभान--

लगभग डेढ़ लाख रुपये का।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, जब पर्चे आते हैं तो उनकी सील और सीवन को देखकर आयरन सेफ में रख दिया जाता है और उन पर्चों को परीक्षा से आधा घंटा पहले इन्वीजिलेटर्स के सामने निकाला जाता है तो कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि २ तारीख को उन पर्चों को फिर आयरन सेफ से निकालकर देखने की कोशिश की गई ?

श्री केशभान --

वहां के अधिकारियों ने उसी दिन जांच की। क्यों जांच की, इसके बारे में सारी जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

उनका प्रश्न यह है कि कौन-सी बात ऐसी हुई, जिसके कारण दूसरी तारीख को उस पार्सल को टटोलने की आवश्यकता हुई।

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगल किशोर)--

जैसा कि अभी वक्तव्य में बताया गया है, जिस पार्सल में वह पर्चे थे वह कटे हुए दिखाई दिये, इससे सन्देह हुआ कि मुमकिन है उसमें से पर्चे निकले हों।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन पर्चों की गड़बड़ी के संबंध में पोस्ट मास्टर और उसका लड़का पकड़ा गया और हिन्दी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और ड्रांइग के पर्चे निकाले गये, इन विषयों के पर्चों की गड़बड़ी हुई तो जो और विषय थे उनके बारे में भी गड़बड़ी न हो, इसकी कोई विशेष छानबीन की गई हैं ?

श्री केशभान---
ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष---
(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर)
ऐसे जो प्रश्न किये जाते हैं तो उनका उद्देश्य यह है कि सरकार को सुझाव दिया जा रहा है कि प्रिकाशन लेना चाहिये। मेरा विश्वास है कि हर सरकार जो अपने उत्तरदायित्व को समझती है ऐसे प्रश्न पर कार्य करेगी। इस वक्त उन्होंने कह दिया है कि सूचना नहीं है; लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ऐक्शन न होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---
जैसा उन्होंने कहा कि थैले कटे हुए पाये गये तो जब थैले कटे हुए मिले पोस्ट आफिस से आने के बाद उसी समय उसकी जांच न कर के उसको सेफ़ में बन्द किया गया फिर दूसरे दिन सेफ़ से निकालने की कौन-सी आवश्यकता पड़ी? कटी हुई सील उसी समय क्यों नहीं देखी गई?

आचार्य जुगलकिशोर---
जैसा वक्तव्य में कहा गया, पैकेट्स थे, जब आये तो उनकी सील देखी, राजेन्द्र बाबू के निधन के कारण उस दिन छुट्टी थी, उन्हें सेफ़ में रख दिया। अगले दिन जब देखा तो मालूम पड़ा फटा हुआ है।

श्री अध्यक्ष---
उनका प्रश्न यह है कि सील देखी, संतोष हो गया और उन्हें सेफ़ में बन्द कर दिया। अब सेफ़ से फिर निकालने की क्यों जरूरत महसूस हुई?

श्री केशभान---
पहले बता दिया गया है कि वहां के पोस्ट आफ़िस के कर्मचारी और विद्यालय के कर्मचारी हिरासत में ले लिये गये हैं, उनकी जांच हो रही है। इसलिये इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है।

श्री अध्यक्ष---
खैर, इसका जवाब उनके पास नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---
मंत्री जी बतायेंगे कि जिस दिन पर्चे छुड़ाये गये, उसी दिन उनकी सीवन कटी हुई देखी या जिस दिन दोबारा उन्होंने देखा उस दिन देखी? और अगर उस दिन देखा तो कौन-सा कारण था जो दुबारा देखा?

श्री अध्यक्ष---
यह प्रश्न हो चुका है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---
मंत्री जी ने कहा कि अलीगढ़ के इंटर कालेज के कुछ अध्यापक भी हिरासत में ले लिये गये हैं। तो इस बात को देखते हुए कि उस विद्यालय के अध्यापकों पर भी संदेह है, उस परीक्षा केन्द्र को वहां से हटायेंगे या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि बाहर के सेन्टर के सुपरिन्टेडेंट और अध्यापक वहां रखे जायं ताकि परीक्षा की गोपनीयता बनी रहे?

आचार्य जुगलकिशोर---
अभी तो इस बात की जांच हो रही है।

श्री रक्षपाल सिंह—

मंत्री जी बतायेंगे कि पेपर्स की जो संख्या घटी, वह सब के सब रिकवर हो गये अथवा थोड़े ही मिल पाये हैं ?

आचार्य जुगुलकिशोर—

मैं नहीं कह सकता कि सब मिल गये कि नहीं। लेकिन यह मालूम हो गया कि पर्चे निकाले गये।

कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि वे थैले कटे हुए थे तो क्या कोई ऐसी सूचना है कि कितने कटे हुए थे जिसमें से पेपर्स निकाले गये और अगर ज्यादा कटे हुए थे तो पहली दफ़ा क्यों नहीं देखा गया ?

श्री अध्यक्ष—

महत्वपूर्ण चीज यह है कि पारसल टेम्पर्ड पाया गया। ज्यादा कटा हो या कम कटा हो, यह प्रश्न नहीं है। यह शंका उत्पन्न हो गयी उसे देख कर कि संभव है इससे कुछ गोलमाल हुआ हो। उस शंका के निवारण के लिये यह निश्चय किया एजूकेशन डिपार्टमेन्ट ने कि फिर से पर्चे तैयार किये जायं। इस पर आप सवाल कर सकते हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

वह टैम्परिंग कहां हुई ?

श्री अध्यक्ष—

वह जांच हो रही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

अभी कहा गया कि पार्सल टेम्पर्ड पाया गया तो उसकी इत्तिला कब मिली और यदि इत्तिला मिली तो एफ० आई० आर० दर्ज कराई ?

आचार्य जुगुलकिशोर—

२ तारीख को सूचना विभाग को मिली और उसी दिन विभाग ने किसी जिम्मेदार व्यक्ति को भेज कर जांच कराई और मालूम पड़ा कि कुछ पर्चे निकले हैं और उस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि २८ फरवरी को पार्सल छुड़ाया गया तो किसी तरह का आब्जेक्शन छुड़ाने वालों ने डाकखाने वालों को दिया ?

श्री केशभान—

२८ तारीख को कोई एतराज किया गया होता तो उसी दिन सारा भेद खुल गया होता।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है कि कोई रिपोर्ट किसी किस्म की हुई ?

आचार्य जुगुलकिशोर—

२८ को कोई रिपोर्ट नहीं हुई और कोई शंका नहीं आई दिल में कि इसमें टैम्परिंग हुई है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

यदि रिपोर्ट नहीं हुई तो गिरफ्तारियां कैसे हुईं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

स्वदेशी काटन मिल में लूमों के बन्द होने के सम्बन्ध में श्रम मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब श्रम मंत्राणी को स्वदेशी काटन मिल के लूमों के बारे में कुछ कहना हो तो कह लें।

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

८ तारीख को जो वक्तव्य देना था वह उपमंत्री ने दे दिया। अब केवल यही बतलाना है कि जो स्वदेशी काटन मिल के साथ हमारी बातचीत चल रही थी, उस में यह निर्णय हुआ कि मार्च के अन्त तक २०० लूम खुल जायंगे और जो लोग एज टेम्पोरेरी श्रमिक छुड़ाये गये हैं उन को फिर से रखेंगे। इसके बाद कोई बचेंगे तो कुछ वीवर्स जो रिजाइन करके जा रहे हैं उनकी जगह जैसे ही खाली होगी, उसमें उनको लिया जायगा। जितने लोग छुड़ाये गये हैं उनको आल्टरनेटिव जॉब दिया जायगा।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

१,४०० लूम बन्द पड़े हुए हैं. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने एक आश्वासन दिया था और जो कार्यवाही होगी उसे वह हमें बतला देंगी। इस सम्बन्ध में अगर माननीय सदस्यों को कोई भी सजेशन देना है तो मंत्राणी महोदया के पास चले जायं और बातचीत कर लें।

श्री उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने का संकल्प

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मैंने आप के पास लिख कर यह भेजा है। इस सम्बन्ध में हमारी विभिन्न नेताओं से बात हो रही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसको आप सोमवार या मंगलवार के लिये स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

जब बातचीत हो रही है तो इसको रखने की क्या आवश्यकता है? इसको वापस ले लीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आपने जो कहा वह तो शिरोधार्य है....

श्री अध्यक्ष—

इसको वापस ले लीजिये, प्लीज।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

मौका दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, इसको वापस ले लीजिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

अच्छा श्रीमन्।

श्री अध्यक्ष—

धन्यवाद।

१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या ११—गांव सभायें और पंचायतें

श्री अध्यक्ष—

अब आइटम नम्बर १० लिया जायगा। माननीय श्रम मंत्राणी।

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष जी, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ११—गांव सभायें और पंचायतें के अन्तर्गत १,३५,२७,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

यह जो बजट मैं सदन के सामने रख रही हूं, इसमें पंचायत राज डायरेक्टर के दफ्तर का सारा खर्चा, चीफ़ आडिट आफ़िसर, कोआपरेटिव सोसायटीज और डिस्ट्रिक्ट लेविल पर पंचायत राज के सारे स्टाफ का खर्चा, गांव सभाओं को ग्रान्ट-इन-एड जिसमें गांव सभा के कर्मचारियों की तनख्वाह, डेली एलाउन्स, टी० ए० यह सब आता है और एक नया महकमा आडिट एकाउन्ट्स आरगेनाइजेशन क्षेत्र समिति, जिला परिषद् के लिये खोला गया है, इस सब का खर्चा इसमें सम्मिलित है। नान-प्लान के लिये १,०७,८४,२०० रुपया है और प्लान पर २७,४१,८०० रुपया है। इसमें ५,१०,३०० रुपया शामिल नहीं है जो मद संख्या ५६ के अन्दर आयेगा जो गांव सभाओं को कर्जा देने के लिये है।

(इस समय १२ बज कर १३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

१९६२–६३ में पंचायत राज के काम में काफ़ी प्रगति हुई है और पंचायत राज इस समय कायम हो गया है ऐसा मानना चाहिये। क्षेत्र समितियां १८ जुलाई, १९६२ से स्टेटुटरी बाडीज बन गयी हैं और उसी दिन से अन्तरिम जिला परिषद् को वे अधिकार, जो जिला परिषद् के होने चाहिये, दे दिये गये। जुलाई, १८, १९६२ से यह माना जा सकता है कि प्रदेश में जो पंचायत राज का ढांचा हम बनाना चाहते थे वह कार्यतः कायम हो गया है। क्षेत्र समिति जिला परिषद् संशोधन ऐक्ट, १९६२ से कुछ ज्यादा अधिकार क्षेत्र समिति और जिला परिषद् को दिये गये हैं। इसके बाद से जिला स्तर पर जितनी डेवलपमेंटल ऐक्टिविटीज थीं वे सब जिला परिषद् के मातहत हो गयीं। इसके पहले जिला परिषद् के मातहत डेवलपमेन्ट के कुछ अफसर आते थे मगर ये सब नहीं आते थे। इसमें यह हो गया कि डेवलपमेंटल ऐक्टिविटीज से संबंधित सारे आफ़िसर्स को जिला परिषद् के मातहत कर दिया गया। हम आशा करते हैं कि जून के अन्त तक जिला परिषद् का चुनाव का जो काम बाकी है वह भी हो जायगा और तब से सम्पूर्ण रूप से त्रिदलीय ढांचा उत्तर प्रदेश में कायम हो जायगा।

यह जो पंचायत राज का काम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में शुरू किया है उसकी पृष्ठभूमि में social and political philosophy behind rural ademnistration की भावना है, यानी देहाती ऐडमिनिस्ट्रेशन इस ढंग से हो जिसमें छोटे-छोटे गांव की इकाई भी डेवलपमेन्ट के काम में हिस्सा ले सके। क्षेत्र समिति मानी जा सकती है पंचायतों का एक फ़ेडरेशन। पंचायत स्तर में शक्ति हो ताकि लोग अपना इनीशियेटिव दिखायें और जिम्मेदारी को उठायें और उनके ऊपर क्षेत्र समिति हो। क्षेत्र समिति का काम ज्यादातर पंचायतों को रास्ता दिखाना और उनको सहयोग देना मगर काम गांव समाज में पंचायत के द्वारा हो। इन्हीं सारी भावनाओं से यह नया ढांचा बनाया गया है। अब गांव के स्तर की पंचायतें और गांव सभायें सभी काम कर सकती हैं। उनके अधिकार इस ढंग से हम रखना चाहते हैं कि उनको काम करने में सहूलियत हो। उनको देने के लिये हमने थोड़े-थोड़े सुधार किये हैं।

गांव समाज एक अलग यूनिट थी उसको हमने अब खत्म कर दिया है। अब गांव सभा के नीचे एक भूमि प्रबंधक कमेटी एक सब-कमेटी बन जायगी; तो गांव स्तर पर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन

के सारे काम को streamline कर दिया गया है। इस से अब तक जो काम करने में दिक्कत पैदा होती थी वह दूर हो जायगी। फिर पंचायत राज के काम में जब जनता के नुमाइन्दों के हाथ में काम दिया जाता है तो उसमें पार्टीबाजी रहती है, गुटबाजी रहती है और काम में दिक्कत आती थी। पंचायत राज के काम में जो दिक्कतें आती थीं उनको दूर करने के लिये पंचायत राज ऐक्ट में एक संशोधन किया गया है जिससे ऐसा कानून बन गया है कि किसी प्रधान के विरुद्ध कोई नो कन्फीडेन्स मोशन एक साल में नहीं आ सकता है। अगर एक दफा नो कांफीडेंस मोशन आ गया और वह किसी भी प्रकार से नामंजूर हो गया चाहे वह कोरम पूरा न होने की वजह से हो या किसी भी वजह से हो तो एक और साल के अन्दर दूसरा मोशन नहीं आ सकता है। इसके अलावा नो कांफीडेंस मोशन Secret ballot से निश्चय होगा। यह इसलिये किया गया है जिससे प्रधान को काम करने का मौका मिल सके। ऐसा न हो कि वह आते ही झगड़े में पड़ जाय और पंचायत के काम को छोड़ कर अपनी पोजीशन को संभालने में लग जाय।

इन सब परिवर्तनों के बाद गांव सभायें इस परिस्थिति में पहुंच गयी हैं कि वे अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हैं। गांव सभाओं पर हम यह जिम्मेदारी देना चाहते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि करने का काम अन्ततः गांव सभाओं पर ही आयेगा। जो कुछ काम जिला स्तर पर होगा वह सब गांव सभाओं में पहुंचेगा यानी सम्पूर्ण जिम्मेदारी गांव सभाओं की होगी। पेय जल का इन्तजाम करने का काम भी गांव सभाओं को दिया गया है और इस काम में सारा पैसा उनके हाथ से खर्च किया जायगा। इसके अलावा शिक्षा का सारा कार्य भी गांव सभायें ही करेंगी। कम्यूनीकेशन का काम भी गांव सभायें करेंगी यानी रूरल सड़कों का काम भी गांव सभायें करेंगी। इसके अलावा और भी बहुत से काम हम इनको देना चाहते हैं। सुरक्षा के लिये साधन जुटाना, नेशनल डिफेंन्स फंड का चन्दा इक्ट्ठा करना वगैरह की जिम्मेदारी भी इन्हीं के ऊपर डाली गई है। छोटी बचत यानी स्माल सेविंग्स का काम भी इनको दिया गया है।

फिर जैसा कि कल मैंने बताया विलेज वालंटीयर फोर्स की जिम्मेदारी भी गांव सभाओं पर है। वे ही विलेज वालंटियर फोर्स को रिक्रूट करेंगी और देहात की उन्नति के लिये रचनात्मक कार्य भी वे ही इस फोर्स को देंगी। इसके लिये वे साधन जुटायेंगी और निरीक्षण भी करेंगी। गांव के अन्दर वाच ऐन्ड वार्ड का यानी इन्टरनल सुरक्षा का काम भी देखेंगी। नेशनल विलेज वालन्टियर फोर्स जो बनाया जा रहा है उसके पीछे एक भावना है। वह इसलिये तैयार किया जा रहा है कि यह एक नेशनल डिसिप्लिन मेजर होगा और देश में लोगों में जागरुकता लाने के लिये है ताकि देश के सामने जो खतरा है, उसके बारे में सब लोग होशियार रहें और सचेत रहें।

फिर मैंने कल यह भी बताया था कि देश की सुरक्षा तभी हो सकती है जब उत्पादन और विकास का काम द्रुत गति से चले और उत्पादन तथा बिकास के काम को द्रुत गति से चलाने के लिये हम इस फोर्स को इस्तेमाल करेंगे। यह हमारा स्पीयर हेड होगा। यह फैसला किया गया है कि हर पंचायत में लेबर बैंक रखा जाय। यह स्कीम ऐसी है कि एक आदमी जितना वालंटरी काम करना चाहे उतना रजिस्टर में दर्ज करा दे और जब पंचायत निर्णय करेगी कि फलां काम करना है तो जिन्होंने जितना काम करने का वायदा किया है उतना काम उनसे लिया जायगा। इसके अलावा हमने पंचायत एक्ट में एक तरमीम यह भी की है कि अगर दो-तिहाई मैजोरिटी से लोग यह फैसला करें कि गांव के हित के लिये किसी काम को करने की जरूरत है तो ९६ घंटे साल में काम लोगों से ले सकते हैं। अगर कोई आदमी काम करने के लिये तैयार नहीं है तो जितने घंटे काम नहीं करेगा उसके एवज में वह पैसा दे सकता है। इस विषय में दो, एक बातें बताना चाहती हूं। इस काम का उद्देश्य यह है कि पब्लिक के फायदे का काम हो, जैसे गांव की सड़कें हैं, तालाब साफ करना है, स्कूलों की मरम्मत करना है, ऐसे काम होंगे। उसके अलावा अन्य काम हम नहीं ले सकेंगे। दूसरी बात यह है कि इसमें आठ घंटे अगर एक दिन काम लगायें तो महीने में केवल एक दिन वालण्टरी काम

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

करना पड़ेगा। हमारी परिकल्पना यह है—चौखम्भा राज्य, या पचखम्भा राज्य, पंचायत राज से जो नीचे का काम है वह मजबूत बने। इसके लिये लोगों का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। यह सक्रिय सहयोग लेने के लिये श्रम लेने का प्रबन्ध किया गया है वालण्टरी तरीके से। लेकिन यह काम अच्छी तरह से नहीं कर पायेंगे जब तक पंचायत और गांव सभा की आर्थिक परिस्थिति न सुधारी जाय। इसके लिये कुछ टैक्सेज इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा यह प्रबन्ध किया जा रहा है कि उनको कुछ कर्ज दिये जायं जिससे वह अपने ऐसेट्स बढ़ायें, जैसे फिशरीज हैं, बाजार, मेला, ऐग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, छोटे-छोटे उद्योग, फारेस्ट, बगीचे, प्लान्टेशन, ईंट के भट्ठे आदि हैं। वह ऐसी चीजों में पैसा लगायें ताकि उससे रिटर्न मिलता रहे और उनकी आमदनी बढ़ती जाय। १९६१-६२ में २ लाख ८६ हजार रुपये ७१ गांव सभाओं को कर्जा दिया गया। १९६२-६३ में ३ लाख बांटा गया। इस साल में ५ लाख १० हजार रुपया रखा गया है, गांव सभाओं को अनुदान देने के लिये। पंचायतों के काम में एक बड़ी भारी परेशानी है। इनके जो टैक्सेज होते हैं वह एकत्र नहीं कर पाते हैं। इस लिये पंचायतों के पास आमदनी कम होती है। हर्ष की बात है कि उन्होंने अब बकाया टैक्सेज वसूल करने का काम शुरू कर दिया है। आधे साल की रिपोर्ट है कि ४६ लाख रुपया उन्होंने इकट्ठा किया है। आशा की जाती है कि मार्च तक के जब आंकड़े आ जायेंगे तो कुछ ज्यादा फीगर होगी। पिछले साल से उन्होंने ज्यादा कलेक्शन किया है। कलेक्शन अच्छा होने के साथ-साथ बहुत जगह पंचायतों में कुछ उत्साह भी पैदा हुआ है। बहुत-सी जगहों में खेती के उत्पादन में प्रगति दिखायी है। कहीं-कहीं हेल्थ और सैनिटेशन के अच्छे प्रोग्राम चलाये हैं। कहीं सड़कों का अच्छा काम किया है। इसके आंकड़े बहुत लम्बे-चौड़े हैं, लेकिन दो-एक बातें बता देना चाहती हूं। १० हजार से ऊपर कुयें बना चुके हैं। हैंड पम्प्स २३ हजार, पक्के नाले ७१७ किलोमीटर्स, सैनिटरी लैटरिन्स ९ हजार, बैदिंग ऐंड वाशिंग प्लैटफार्म्स १७ हजार, नये बगीचे १३ हजार, फ्युएल प्लांटेशन १९ हजार कर चुके हैं। अब पंचायतों में कुछ जान आई है। थोड़ा प्रगति से काम करना शुरू किया है। पंचायतों पर इमर्जेंसी की वजह से कुछ जिम्मेदारी आ गई है जैसे नैशनल डिफेंस फंड का कलेक्शन, इसमें आफिस बेयरर्स ने काफी उत्साह दिखाया है। ३६ लाख रुपया नवम्बर से जनवरी तक दिया है। हर एक पंचायत अपना लेबर बैंक बना रही है। पी० आर० डी० को भर्ती करवा रहे हैं और विलेज डिफेंस, प्रोडक्शन और मास एजूकेशन यह तीनों प्रोग्राम पी० आर० डी० के द्वारा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि पंचायतों के स्तर पर सारे मुहकमों का काम आ जाता है, तो सारे मुहकमों के जितने-जितने काम ग्रामीण स्तर पर आते हैं, उन कामों के कराने में पंचायत का काफी हाथ रहता है।

न्याय पंचायत के कामों में भी काफी तरक्की हुई है और पिछले साल जो मुकदमे फैसल हुये हैं उनमें खुशी की बात है कि १३ हजार मुकदमे समझौते से वह फैसल करवा पाये।

एक और बड़ी जिम्मेदारी का काम पंचायत डिपार्टमेंट ने किया है और वह है सेक्रेटरीज की ट्रेनिंग क्योंकि सेक्रेटरीज के ऊपर गांव पंचायत की एफिशेंसी बहुत कुछ निर्भर करती है। पिछले साल ३६ सौ को ट्रेनिंग दी गई है। इससे पहले साल १४ सौ को दी गई थी। इस तरह से इसमें भी काफी प्रगति की गई है और अब यह फैसला किया गया है कि २४ सौ को हर साल ट्रेनिंग दी जायगी। इसके लिये ६ लाख १४ हजार रुपया हर साल रखने का निश्चय किया गया है। एक शिकायत और थी कि सेक्रेटरीज की तनख्वाह और एलावेंसेज वगैरह कम हैं जिससे वह काम ठीक से नहीं कर पाता। तो सरकार ने १२ लाख ५ हजार ८०० रुपया सबसिडी ग्रांट इत्यादि के लिये रखा है जो इनको डेली एलावेंस और ट्रैवलिंग एलावेंस के रूप में दिया जायगा।

एक नया मुकदमा इसमें और कायम किया गया है आडिट ऐंड एकाउन्ट्स आर्गेनाइजेशन। यह जिला परिषद् और क्षेत्र समितियों के लिये है क्योंकि अब डेवलपमेंट के जितने

काम हैं वह जिला परिषद्, क्षेत्र समितियों और पंचायतों के मातहत होने हैं, उसके सारे खर्चे उनके द्वारा किये जाने हैं और यह सब पब्लिक की चुनी हुई बाडीज हैं जिनको फाइनेंशियल रूल्स रैगुलेशन्स से उतनी वाकफियत नहीं है। बहुत दफा मुश्किलात ऐसी होती हैं कि पैसा मंजूर होता है लेकिन खर्च नहीं हो पाता है या गलत ढंग से खर्च होता है। इस लिये यह महसूस किया गया है कि अगर जितना हम अनुदान देते हैं उसका प्रापर यूटिलाइजेशन चाहते हैं, उसका रेगुलर किस्म का इस्तेमाल चाहते हैं तो उनको सुपरविजन और कांस्ट्रक्टिव ढंग से मदद देना चाहिये। इसलिये यह फैसला किया गया है। इसमें ९ लाख रुपया इसके लिये रखा गया है, और यह डिपार्टमेंट क्षेत्र समिति और जिला परिषद् को आन दि स्पाट गाइडेंस और सुपरविजन देता रहेगा। इसके लिये हर जिले में एक-एक वित्त अधिकारी होगा जो जिला परिषद् के सारे रिसोर्सेज को देखकर कैसे खर्चा किया जाय और कैसे खर्च हो रहा है यह सब देखता रहेगा।

पंचायत डिपार्टमेंट में कुछ किफायत करने की कोशिश की गई है। टी० ए०, डी० ए० का हेडक्वार्टर का खर्च काटकर के ६ लाख ८५ हजार रुपये की किफायत की गई है। जैसा मैंने कहा पंचायत राज का काम सारे उत्तर प्रदेश में कायम हो गया है, मगर यह नक्शा सिर्फ उतारा गया है। इस नक्शे में जान लाने के लिये बहुत कुछ काम करना है और यह नक्शा इस उद्देश्य से उतारा गया है कि पंचायती राज में पीपुल्स पार्टीसिपेशन पूरा हो, वह अपना काम जिस तरह चाहे करें, ऐसा वातावरण पैदा हो। वह वातावरण पैदा करने के लिये हमें बहुत ज्यादा काम करना है। गवर्नमेंट की तरफ से हम रूल्स भी बना सकते हैं, सहूलियतें भी दे सकते हैं कि यह काम अच्छी तरह से कर पायें। मगर जनता की तरफ से इन संस्थाओं में, पंचायत, क्षेत्र समिति और जिला परिषदों में, पूरा-पूरा कोआपरेशन होना चाहिये, तब जाकर यह काम अच्छी तरह हो सकता है। पिछले जो एलेक्शंस हुये थे पंचायतों के उनकी एक एनालिसिस हम करवा रहे हैं अभी तक वह आयी नहीं है लेकिन कई बड़ी दिलचस्पी की बातें उसमें हैं। उसमें यह देखा गया है कि पहले जो प्रधानों और प्रमुखों के एलेक्शंस हुये, उसमें बहुत कम दिलचस्पी लोगों को होती थी, अब लोगों ने यह महसूस किया है कि यह एक इम्पार्टेंट पोस्ट है और इसको अपने हाथ में हासिल करना चाहिये। फिर एक बहुत सुन्दर बात यह हुई कि बहुत सी जगह पंचायतों के चुनाव अनकन्टेस्टेड हुये। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। ऐसे चुनाव पहाड़ों में ज्यादा हुये थे। पहाड़ों में कुछ ऐसा महसूस किया जाता है कि कम्युनिटी फंक्शनिंग अभी तक मौजूद है। प्लेन्स में ४२ परसेंट चुनाव अनअपोज्ड हुये प्रधानों के और पहाड़ों में ८१ परसेंट प्रधान अनअपोज्ड चुने गये। प्लेंस में ५४ परसेंट सीटें गांव पंचायतों की अनअपोज्ड चुनी गईं और पहाड़ों में ९७ परसेंट सीटें अनअपोज्ड चुनी गईं। यह चीज हमें बहुत ज्यादा शिक्षा भी देती है और आशा भी देती है।

हम लोग यह समझते हैं कि जो डेमोक्रेटिव ढांचा देश में हमने उतारा है उसमें पार्टीबाजी बढ़ती जा रही है। पार्टीबाजी से, जो कंस्ट्रक्टिव काम होना चाहिये, वह नहीं होगा। हम लोगों ने देखा कि ऊपर में चाहे लोग पार्टी बाजी में ज्यादा लिप्त हों लेकिन नीचे स्तर में जहां उन्होंने देखा कि उनकी पंचायत ठीक काम करती है या उन्होंने यह देखा कि उनका प्रधान ठीक काम करता है तो उसको उन्होंने दोबारा चुना है क्योंकि वहां प्रधान का जो काम है, वह एक सीमित क्षेत्र के अन्दर है। उसका काम वहां पर किसी से छिप नहीं सकता है। अच्छा काम अगर है तो वह भी उनके सामने है और बुरा काम अगर है तो वह भी उनके सामने है। गांव वाले यह समझते हैं कि ऐसा आदमी जब उनके सामने है और उनको मिला हुआ है तो उसको वह दोबारा चुनते हैं। यह एक हमारा होपफुल साइन है।

मेरे लिये यह पर्सनल दिलचस्पी की बात है कि काफी परसेन्टेज में औरतें भी रिटर्न हुई हैं। ९० फीसदी पंचायतों के चुनावों में उन्होंने भाग लिया था। दो गांव पंचायतें ऐसी हैं। जहां पर केवल औरतें ही उसकी मेम्बर हैं। कुछ ऐसी पंचायतें भी हैं जहां पर औरतें मेजारिटी

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]
में हैं। लखनऊ और वाराणसी में दो गांव पंचायतें हैं जहां पर केवल औरतें ही मेम्बर हैं। एक पंचायत को मैंने भी देखा था। वहां देखकर मुझे बहुत उत्साह हुआ। मैंने देखा कि उस गांव की खेती बड़ी सुन्दर थी। उस गांव के पुरुषों ने पूरा सहयोग स्त्रियों को दे रखा था। उसका नतीजा यह था कि वहां पर जो खेती मैंने उस जमाने में देखी थी उससे यह उम्मीद की जाती थी कि ६३–६४ मन अनाज पैदा होगा।

इन शब्दों के साथ मैं यह मांग इस आदरणीय सदन के सामने मंजूरी के लिये पेश करती हूं। मैं आशा करती हूं कि पंचायती राज का यह महत्वपूर्ण काम उत्तर प्रदेश में सुचारुरूप से चल सकेगा और इसमें हमें जनता के प्रतिनिधियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ११—गांव सभायें और पंचायतें के अधीन मांग की राशि घटाकर एक पया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

उपाध्यक्ष महोदय, आज मन्त्री जी ने गांव पंचायत के मेम्बरों, प्रधानों या गांव पंचायतों के ऊपर और ज्यादा बोझ लाद दिया है। दो चीज आज उन्होंने प्रधानों को दीं। एक तो यह कि एक साल तक उनके खिलाफ वोट आफ नो कांफिडेंस नहीं आयेगा और दूसरी यह कि जो गांव समाज के चेयरमैन थे, वह भी इसमें शामिल कर दिये हैं, गांव सभा के अन्दर। लैंड मैनेजमेंट कमेटी को गांव सभा के मातहत कर दिया है और एक सब-कमेटी बना दी है लेकिन इस प्रकार से ग्राम सभा या पंचायत का जितना बोझ है, उसके साथ-साथ १०–१२ आइटम और रख दिये हैं कि आप लोगों को यह काम और करना होगा। आज पंचायत राज के लिये १,३५,२७,००० रुपया मांगा गया है। यह कहा जाता है कि डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर की जितनी बुनियाद है वह पंचायत राज के जरिये से ही चलेगी क्योंकि गांवों के अन्दर यह सिस्टम सब से पहले हिन्दुस्तान के अन्दर ही बनाया गया था। अब देखना यह है कि पंचायतों के काम की दो आदमियों के कन्धों पर ज्यादा जिम्मेदारी होती है—एक प्रधान और दूसरा वहां का सेक्रेटरी। अगर सब मांग का हिसाब लगाया जाय तो तकरीबन ५० फीसदी रुपया सिर्फ सेक्रेटरी के खर्चे में आने की बात है। इसके माने यह हुये कि हमें यह देखना होगा कि गांव पंचायत का प्रधान और सेक्रेटरी, यह दोनों अपने-अपने कामों को किस हद तक पूरा कर पाते हैं और इनके सामने क्या-क्या दिक्कतें और परेशानियां आती हैं तथा उनको किस तरीके से दूर कर सकते हैं। यह एक खुली बात है कि अगर यह बुनियाद डिसेंट्रलाइजेशन आफ पावर की पंचायतों की मजबूत होगी तो उससे आगे का भी भविष्य अच्छा होगा। इस तरह से पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो जायगा। यदि उसमें नाकामयाब रहे तो यह सारा ढांचा ही नाकामयाब होगा।

एक बात और आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि इस वक्त जो प्रधानों की हालत है, या पंचायतों की हालत है वह ठीक नहीं है। १९४९ से ग्राम पंचायतों का नियम बना था। उस वक्त तक मुखिया गांवों में डोमिनेट करता था। कुछ समय तक प्रधानों के सामने यही मसला रहा आया कि गांव के अन्दर मुखिया ज्यादा ताकतवर है और जिम्मेदार है या कि प्रधान ज्यादा ताकतवर और जिम्मेदार है। बहरहाल यह दौड़ शुरू हुई। उसका नतीजा यह हुआ कि मुखिया खत्म कर दिया गया और प्रधान लोग गांव के अन्दर रखे गये कि प्रधान काम करेंगे। एक-एक प्रधान गांव पंचायत का जिम्मेदार हो गया। उसका नतीजा यह हुआ कि जितने सरकारी कर्मचारी मुखिया के जरिये से अपने को एजेंट समझते थे, चाहे वह पुलिस के हों, चाहे वह रेव्येन्यू विभाग के रहे हों, और चाहे वह किसी भी डिपार्टमेंट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के रहे हों, उन्होंने फौरन यह करवट ली कि हमारा जो काम पहले मुखिया करता था वही काम प्रधान को भी अन्जाम देना चाहिये। यह एक समस्या उठ खड़ी हुई। आमतौर से हर ग्राम सभा के मुखिया का और प्रधान का टकराव हुआ। पुराने मुखिया पुराने तरीके से ताकत में थे और प्रधान नये तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से ताकत में लाये गये। दोनों में बड़ा संघर्ष हुआ। उसके नतीजे पर यह चीज बनी कि आया हम भी उसी मुखिया के सांचे में ढलें या अपने को आजाद रखें और अपने तरीके से काम करें। यह चीज प्रधान के सामने आई और आज भी वही चीज आती चली जा रही है। क्योंकि आज भी जितना सरकारी वर्ग है, वह पुलिस का सिपाही हो या गांव का पटवारी हो या किसी भी तरीके का विलेज लेविल वर्कर हो, आप देखें कि वह प्रधान को ही इस्तेमाल करना चाहता है, अपने फायदे के लिये। परन्तु वह बदले में प्रधान को क्या देगा? जो अख्तियारात दिये हुये हैं प्रधान को कि वह पटवारी से लेखपाल के कागज ले सकता है, वह पुलिस के अन्दर भी कोई बात हो, तो थाने को इत्तिला भेज सकता है और गांव के तरक्कियात के लिये भी उसके सुझाव लिये जा सकते हैं। विलेज लेविल वर्कर को भी कुछ सुझाव दिये जा सकते हैं और उससे काम कराया जा सकता है। परन्तु मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि असल में ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि उस प्रधान को उस ग्राम पंचायत के अन्दर हर शख्स के पीछे भागना पड़ता है और पटवारी के पीछे कागज के लिये और पुलिस के काम के लिये भी प्रधान को पीछे-पीछे भागना पड़ता है। आपको यह साफ बता देना चाहता हूं कि कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रधान को इतनी अहमियत नहीं देता है जितनी अहमियत कि उसको मिलनी चाहिये। डेमोक्रेटिक सेट अप में गांव के अन्दर यह एक बड़ी भारी बदकिस्मती है, प्रधान के लिये, कि उसे क्या करना है और वह कितना कर पाता है। मेरा तो यह तजुर्बा है कि इस वक्त गांव पंचायत का प्रधान एक बिना तनख्वाह के चौकीदार से ज्यादा अहमियत नहीं रखता है। आप देखें कि उसके जिम्मे क्या काम है?

(व्यवधान)

लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं करने देते, आप इस्तेमाल नहीं करने देते और जो प्रधान अपनी ताकत को उस डेमाक्रैटिक सेट-अप में इस्तेमाल करना चाहता है, उसे क्रश किया जाता है। ताकत बहुत कुछ है। प्रधान से उम्मीद की जाती है कि वह देखे कि कोई भी ग्राम-समाज का पेड़ न काट ले, कोई ग्राम-समाज की बंजर को न जोते, रास्ते को न दबा ले, ग्राम समाज की प्रापर्टी के ऊपर कोई दस्तन्दाजी न कर सके। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है और वह अपनी एप्रोच करता है पुलिस में या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में तो अगर पुलिस में जायगा तो उससे ५-१० रुपया रिपोर्ट लिखाई के मांगे जाते हैं। वह तो पंचायत का प्रधान है, कम से कम इतनी ही रियायत उसके साथ हो कि उसकी रिपोर्ट तो बिला पैसे के पुलिस लिख ही ले। अगर उसे कोर्ट आफ ला में जाना पड़ेगा तो हर जगह वकील सरकारी मौजूद हैं, लेकिन वह उस मेहनताने के ऊपर कनाअत नहीं करता जो सरकार की ओर से मुकर्रर है। वह प्रधान की परवाह नहीं करेगा, बल्कि अलग से तय करेगा कि मैं तुम्हारे मुकदमे को डिफेंड करूंगा, क्योंकि ग्राम समाज का वकील हूं, लेकिन मेहनताना यह लूंगा। नतीजा यह होगा कि ग्राम समाज की प्रापर्टी की अगर उसे रक्षा करनी है तो उसे अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा तभी रक्षा हो सकेगी वरना नहीं कर सकता और इसका मतलब यह होता है कि प्रधान मजबूर हो जाता है तो आगे के लिये वह सोचता है कि इस मामले में खर्च करने के लिये कहां से लाऊं? इस चीज का अहसास जब उसे होता है तो वह क्या करे? और आप कहते हैं कि बड़े अख्तियारात प्रधान को दिये हुये हैं, यह उसका नमूना है।

तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद में एक गांव मंझोली खास है। वहां चकबन्दी हुई और आबादी के लिये प्लाट छोड़े गये। उनका सौदा ३ लेखपाल जो रहते हैं उन्होंने तहसीलदार, नायब तहसीलदार और कानूनगो से मामला बैठा कर जो ख्वाहिशमन्द थे उन

[श्री रियासत हुसैन]

को ४० रुपया फी प्लाट दे दिया और प्लाट पर कब्जा कर लिया और तहसीलदार और कानूनगो ने कब्जा करा दिया। गांव के प्रधान को जब मालूम हुआ कि चकबन्दी के प्लाट जो छोड़ गये थे उन पर कब्जा हो गया तो उन्होंने पूछा कि यह कैसे कब्जा कर लिया गया, किस से लिये हैं? तो उन्होंने कहा कि हमसे तो तहसीलदार ने कह दिया कि जाओ, कब्जा कर लो, हालांकि कानूनन उनको अख्तियार नहीं था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि आप जाकर कब्जा कर लो, उसके बाद हम कागज को दुरुस्त करते रहेंगे, उसकी चिन्ता बिलकुल मत करो। दूसरी तरफ उस प्रधान ने बाकायदा ओपिन आक्शन किया। जिन्होंने प्रधान से लिया उन्होंने कहा कि हमने ओपिन आक्शन में लिया, लिहाजा हमारा कब्जा होना चाहिये। लिहाजा झगड़ा खड़ा हो गया। उसकी इंक्वायरी होती है और हो रही है और उसमें पूरी तहसील और सब वहां के अफसर लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि प्रधान ने जो आक्शन किया है इसे नाजायज करार दे दिया जाय किसी सूरत से, और तहसीलदार और कानूनगो ने जो कब्जे दिलाये हैं उन्हें कागज ठीक करके जायज करार कर दिया जाय। तो यह अख्तियारात मौके पर प्रधान को प्रैक्टिकली हैं।

अब आगे चलिये। प्रधान को आपने एजूकेशन की जिम्मेदारी दे दी। क्या आप यह समझते हैं कि प्रधान के जिम्मे एजूकेशन की जिम्मेदारी देकर आपका मकसद सफल होगा? क्या यह कामयाबी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभा सकेगा? इसके लिये तो उसको देखना होगा कि कौन आदमी कारामद है, कौन गलत है, कौन सही है, और यदि वह यह देखेगा तो उसकी राय का क्या वजन होगा? होता क्या है? स्कूल बन गये। प्रधान ने कुछ कन्ट्रीब्यूशन आदि करके स्कूल कायम करवा दिया। अब वहां पर मास्टरों आदि की तकर्रुरी आदि तो जिला परिषद् करती है, वे अपने तरीके से सब काम करते हैं, तो प्रधान की बात का क्या वजन होगा और वही शिकायत हुआ करेगी जो पहले हो चुकी है। यदि प्रधान यह सुझाव देता है कि फलां स्कूल के मास्टर को ट्रांसफर कर दिया जाय, तो क्या उस की राय मानी जायगी? उसको जिम्मेदार तो बना दिया गया एजूकेशन के लिये, लेकिन उसकी बात का क्या वजन होगा, उसकी कोई गारेंटी नहीं दी गई है। जैसे प्रमुख के लिये आपने यह अधिकार दिया है कि वह बदली कर सकता है, लेकिन यहां यह बात नहीं है।

(लाल बत्ती होने पर)

अच्छा, अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मुझे १० मिनट का समय और देने की कृपा करें।

इनकम का सवाल है। आपने इकन्नी रुपये का टैक्स वसूल करने का अधिकार गांव पंचायतों को दिया है। उसी से वे अपनी तरक्की करें। उसमें आप देखें कि १३-१३ साल का बकाया अभी तक पड़ा हुआ है। यह जो आपकी रिपोर्ट है, इसमें यह कहा गया है कि अगर बकाया वसूल करने की कोशिश की गयी तो गलत तरीके इस्तेमाल किये जा सकते हैं क्योंकि १३-१३ साल का बकाया पड़ा है। आप १३ साल का बकाया किसी से मांगेंगे तो वह आसानी से नहीं देगा, उसे देने में उसे बहुत ज्यादा परेशानी होगी। फिर गांव पंचायत के प्रति भी उन लोगों की भावना गलत पैदा हो जायगी, जैसा कि इस रिपोर्ट के पृष्ठ ७ पर है। फिर अगर यह सोचा जाता है कि इसको राइट आफ कर दिया जाय, तो जिन लोगों ने दे दिया है वे सोचेंगे कि हम न देते तो अच्छे रहते। इन सब के लिय आखिर कौन जिम्मेदार है? आज भी जो वहां के सेक्रेटरीज हैं उनके पास कोई इस बात का रिकार्ड नहीं है कि कितना टैक्स वसूल हो गया है, कितना बाकी है, कोई अप-टू-डेट हिसाब उन के पास नहीं मिलेगा। नतीजा यह होता है कि लगान कुछ होती है और मांगी कुछ जाती है।

इसके अलावा आप देखें कि इसकी वसूली के लिये १० परसेंट कमीशन की बेसिस पर अमीनों को रखा गया। क्योंकि तहसील द्वारा इनको रखा गया था, अतः इन लोगों ने

जो कुछ वसूल किया उसे तहसील के खजाने में जमा कर दिया। अब प्रधानों का एकाउंट पोस्ट आफिस में होता है। अगर वह पोस्ट आफिस में होता तो वे उस पैसे का इस्तेमाल डेवलपमेंट के काम आदि में कर सकते थे, लेकिन वह वहां ट्रांसफर नहीं हुआ।

उसके बाद उस रुपये को देने के लिये आप उसको स्टेट बैंक का चेक देते हैं। अब प्रधान साहब का एकाउंट तो स्टेट बैंक में है नहीं, वह किसी वकील से शिनाख्त करने के लिये कहता है कि साहब दो रुपया ले लीजिये और इसपर यह शिनाख्त कर दीजिये कि हां इसको रुपया दे दिया जाय। ये प्राबलम प्रधान के साथ आती है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि जब आपने डेवलपमेंट का काम प्रधान के सुपुर्द कर दिया और उसे रुपया वसूलकरने का हकदार भी बना दिया, बैंक से रुपया निकालने के लिये भी हकदार बना दिया तब आप क्यों नहीं स्टेट बैंक की जगह कोआपरेटिव बैंक जो हर जगह मौजूद हैं, उसमें रुपया रखकर उसको कोआपरेटिव बैंक का चेक देते और वहां से रुपया उसको दिलाते ? क्यों उसको वकीलों के पास या जिनका करेंट एकाउंट उस बैंक में होता है उसके पास दौड़ने के लिये मजबूर करते हैं ? उसको रुपया खर्च करना पड़ता है और भागना पड़ता है रुपया निकालने के लिये।

तीसरी चीज यह है कि आप प्रधान को डेढ़ हजार रुपया ऐट ए टाइम दे देते हैं कि तुम अपने यहां स्कूल बनवाओगे, डेवलपमेंट करोगे, लेकिन जब वह चलता है उस रुपये को लाने के लिये तो सबको महसूस होता है कि आज प्रधान साहब डेढ़ हजार रुपया लाने जा रहे हैं, क्यों न इनको राह में घेर लिया जाय और रुपया इनसे छीन लिया जाय ? दसियों केसेज हुये हैं, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा कि जहां प्रधानों के अंडर हो गये हैं और उनका कोई पुरसां हाल नहीं है। जब आपने उस प्रधान पर रुपया निकालने तक का काम दे रखा है, जब आपने नेशनल इमरजेंसी के टाइम में डिफेंस का काम भी उसके सुपुर्द कर रखा है तो फिर क्यों नहीं आप ऐसा करते हैं कि जो गांव का प्रधान हो उसको बन्दूक का लाइसेंस दिया जाय ? वह लाइसेंस चेंज होता रहे और जो प्रधान होता रहे उसके नाम पर चेंज आसानी से हो जाया करे। जब आप इस तरह से लाइसेन्स की सहूलियत देंगे तब वह रुपया लाते वक्त अपनी हिफाजत और रुपये की भी हिफाजत कर सकेगा। मैं समझता हूं कि इस तरह से हरगांव में लाइसेन्स भी हो जायगा जो आपकी पालिसी भी है। इससे वह समस्या भी हल हो जायगी और प्रधान यह सोचेगा कि यह गवर्नमेंट उसकी रक्षा करना चाहती है, वह रुपया लेकर चलेगा और यह सारा काम होगा।

इसके अलावा, अब एक सवाल यह आता है कि प्रधान के पास कितने आदमी काम के लिये आते हैं। कलेक्शन अमीन साहब, लेखपाल साहब, सेक्रेटरी साहब, विलेज लेविल वर्कर साहब, गर्ज कि ८-१० आदमी ऐसे हैं जो प्रधान के मकान पर डेरा डालते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी हैं हमें आप खाना खिलाओ और हमारा लगान वसूल कराओ, कोई कहता है कि हमारा सम्मन तामील कराओ, उसको भी खिलाना ही पड़ता है। तो मेरा सुझाव है कि एक सेक्रेटरी के पास जो १२, १३ पंचायती अदालतों के हल्के आपने दे रखे हैं। नतीजा यह है कि बी० डी० सी० में अगर कोई जरूरत हुई तो शार्टेज सेक्रेटरी की होती है, वह बेचारा इन टाइम नहीं पहुंच पाता। तो फिर क्यों नहीं इन सब को अमलगमेट करके जिनका डाइरेक्टर कन्सर्न प्रधान से हो उनके लिये बजाय एक प्रधान के दो गांवों के प्रधानों को रख दें ? उसमें चाहे वी० एल० डब्लू० हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो जिनका डाइरेक्ट कांटैक्ट उन दोनों गांवों के प्रधानों से होगा उनको हर जगह आसानी होगी। कलेक्शन के कार्य में भी आसानी होगी। दूसरे मुल्कों के अन्दर क्या होता है। इसके सफे ५ पर लिखा हुआ है कि पंजाब, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, मद्रास, आन्ध्र, बम्बई, मैसूर इन सूबों में ५ परसेंट से लेकर ३३ १/३ परसेंट रेवेन्यू तक पंचायतों की पूंजी होती है। क्यों नहीं आप १५ या २० परसेंट रख लें और उसमें से सिर्फ ५ परसेंट आप प्रधानों को दे दें। १० परसेंट या १५ परसेंट पंचायत के खाते में डाल दें। उस ५ परसेंट से नतीजा यह होगा कि

[श्री रियासत हुसैन]

आपका कलेक्शन का काम भी उसी प्रधान की एजेंसी से और दूसरे जो सरकारी कर्मचारी होंगे उस क जरिये से आपके खाते में चला जायगा । रहा १० परसेंट उससे वह अपने गांव का डेवलपमेंट कर सकते हैं । उसमें बहुत कुछ आसानी होगी । ऐसी सूरत में फाइनेंशियल स्थिति पंचायतों की मजबूत हो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि जब तक हम उनकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने की बात नहीं करेंगे तब तक ये प्रधान सिवाय सरकारी कर्मचारियों के टूल होने के, उनके पाबन्द और नौकर से होने के और इससे ज्यादा आप उम्मीद ही क्या कर सकेंगे ? इसके अलावा आज अभी मत्राणी ने ८-१० कामों की फ़ेहरिस्त उस प्रधान को और थमा दी है कि विलेज बालंटीयर फोर्स होगी जो सड़कों को, शिक्षा को, प्रोडक्शन को, ला ऐन्ड आर्डर इत्यादि को देखेगी। दसियों केस होते रहते हैं कि फलां प्रधान साहब को मार डाला गया. . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त ।

*श्री बृजमोहन लाल गुप्त (जिला बांदा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सभा और पंचायत के अनुदान का विषय बहुत अहम है और हमारी सारी चीजों की बुनियाद इसी पर निर्भर करती है । प्रजातंत्र के द्वारा हमें अपना विकास करना है और आज दुनिया ने हमको चुनौती दी है कि हम प्रजातंत्र के द्वारा अपना विकास और उत्थान कर सकते हैं या जैसा रूस और चीन में हुआ है उसी तरीके से हमारा उत्थान होगा। इस मामले में हमारा देश एक परीक्षा के रास्ते से गुजर रहा है । हमें इस विषय पर बहुत गम्भीरता से, संजीदगी के साथ और मुस्तकिल मिजाजी के साथ सोचना है । हमारी उन्नति की बुनियाद हमारी ग्राम सभायें और ग्राम पंचायतें ही हैं । हमने जिस बुनियाद को लेकर आजादी की लड़ाई लड़ी है वही बुनियाद हमें मजबूत करनी है । पूज्य महात्मा गांधी ने कहा कि ग्राम राज्य होगा, राम-राज्य होगा । आज उसी की पहली इकाई, पहली ईंट, हमारी ग्राम सभा और यह ग्राम पंचायत राज्य है । मेरी राय में जो अनुदान इस विषय के लिये रखा गया है वह बहुत कम है। अगर सम्भव हो सकता था तो यह और अधिक होना चाहिये था । चूंकि यह हमारा बुनियादी महकमा है, बहुत अहम महकमा है ।

हमारी तरक्की की बुनियाद गांवों से ही शुरू होती है । आज हमको गांव सभाओं में, ग्राम सभा की मशीनरी के द्वारा, उन आदमियों को ट्रेन करना है जिन्हें आगे चलकर हमारे देश की, हिन्दुस्तान की बागडोर सम्भालनी है । जैसा हमारा इन्तजाम है, उसके अन्दर केन्द्रीय सरकार की हुकूमत जिस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में है, जैसे हमारे सूबे में विधान सभाओं के द्वारा वहां के मुख्य मंत्री काम करते हैं, जैसे हमारे जिले के स्तर पर जिला परिषदों में उनके अध्यक्ष काम करते हैं, जैसा ब्लाकों में ब्लाक प्रमुख काम करते हैं, ग्राम सभाओं में प्रधान क रते हैं और उनकी भी वही अहमियत है जो हिन्दुस्तान के सारे देश के लेविल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, प्रदेश के पैमाने पर मुख्य मंत्री जी की है । उसका पद बहुत पवित्र है और उसे हमें बहुत ऊंची निगाह से देखने की जरूरत है । हमें वे काम करने हैं जिनसे हमारी ग्रामीण जनता का स्तर ऊंचा हो, किसान और मजदूर का स्तर ऊंचा हो, उनकी आर्थिक स्थिति और रहने-सहने के ढंग ऊपर उठें । उन लोगों की भलाई की समस्या को वही ठीक समझ सकता है । हम गांवों में एक इनकलाब लाना चाहते हैं । मैं यह समझता हूं कि इसके द्वारा हमें दो लड़ाइयां लड़नी है, पहली यह कि हमें अपना विकास करना है और दूसरे, हमें उस आक्रमण का सामना करना है जो चीन ने हमारे ऊपर किया है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इस विभाग के ऊपर अधिक आती है । वह काम भी इसके द्वारा होना है । जब तक गांव क ा आदमी आगे नहीं चलेगा तब तक हमारी रक्षा नहीं हो सकती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब १ बजा है, इसलिये हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे । बृजमोहन जी, आप अपना भाषण तब जारी रखें ।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम जी लाल सहायक के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री बृजमोहन लाल गुप्त—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इससे पूर्व ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों की आवश्यकता और उपयोगिता पर प्रकाश डाल रहा था । हमारे प्रधान के पद की कितनी गरिमा और पवित्रता है, उस पर भी मैंने प्रकाश डाला । हमारे देश की संकटकालीन स्थिति को देखते हुए इन ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों का महत्व और भी बढ़ जाता है दूसरी ओर हमारी ग्राम सभायें और ग्राम पंचायतें जनतंत्र प्रणाली की इकाई हैं । हमने देखा कि हमारे ऊपर एक कठिनाई आयी और उसमें हमारी ग्राम पंचायतों ने हमारे देश की रक्षा में कितना बड़ा योगदान किया, यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है । मैं बांदा जिले की बात कहता हूं वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति न होगा जिसने सुरक्षा कोष में अपना अंशदान न किया हो । हमारे यहां १३ ब्लाक हैं और ८४० ग्राम सभायें हैं जिनके द्वारा सारे जिले में संगठन हो गया है और हमने यह तय कर दिया है कि हर ग्राम सभा सुरक्षा कोष में कम से कम ४० रुपया और अधिक से अधिक १०० रुपया प्रति माह दे । इस योजना के अनुसार प्रति माह एक लाख रुपया सुरक्षा कोष में जब तक लड़ाई चलेगी आता रहेगा चाहे वह १० साल चले अथवा २० साल चले । अगर हमारी ग्राम सभायें और ग्राम पंचायतें न बनतीं तो चीन के आक्रमण का हम इस प्रकार से मुकाबला नहीं कर सकते थे ।

इसके अतिरिक्त दूसरी ओर हमें उत्पादन भी बढ़ाना है । इसमें भी हम ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के माध्यम से ही अधिक सफल हो सकते हैं । इसके अतिरिक्त जब हमने विकेन्द्रीकरण की योजना बनायी है, नौकरशाही को हम खत्म करना चाहते हैं, जब नौकरशाही को बदल कर हम जनतंत्र के ढांचे में उसे ढालना चाहते हैं तो उसके लिये भी ग्राम सभाओं की इकाइयां हमारे लिये बहुत मूल्यवान साबित होंगी । उनके द्वारा हम विकेन्द्रीकरण ला सकते हैं और इस नौकरशाही को खत्म करके जनतंत्र की भावना पैदा कर सकते हैं । इसलिये इन ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों को एक उपयोगी स्थान देने की आवश्यकता है । मैं यह अनुभव करता हूं कि इसके अन्दर जो भी कार्यकर्त्ता हों वे सब देश की सेवा और लगन से काम करने की भावना वाले हों । उनमें मिशनरी स्पिरिट होनी चाहिये । जिस प्रकार कि बुद्ध धर्म में सेवा और त्याग की भावना थी, उसी तरीके से इन ग्राम सभाओं के जो प्रधान हैं, अधिकारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके अन्दर वही देश सेवा की भावना का लक्ष्य होना चाहिये । मैं इस बात की उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि उनके अन्दर भावनाओं में परिवर्तन लाने की जरूरत है । कुछ भाइयों ने इस बात को कहा कि काफी कर्मचारियों व अधिकारियों की फौज बढ़ा दी गयी है । मुझे इसकी चिन्ता नहीं है कि कितने अधिकारी व कर्मचारी बढ़ा दिये गये हैं बल्कि मुझे तो इस बात की चिन्ता है कि उसके अन्दर ऐसी भावना पैदा होनी चाहिये, जिससे देश सेवा की ओर हम बढ़ सकें और हम वास्तविक रूप में ग्राम राज्य बना सकें और जो महात्मा गांधी का स्वप्न था उस स्वप्न को हम सार्थक कर सकें । उसको पूरा करने के लिये ग्राम सभा ही एक बहुत बड़ी बुनियाद है । मैं आपके सामने संक्षिप्त रूप में इस बात को रखना चाहता हूं कि मैं इस मत का हूं कि ग्राम सभाओं को अधिक से अधिक अधिकार मिलने चाहिये । कुछ भाइयों ने कहा कि ग्राम सभाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं मिलना चाहिये । लेकिन मैं समझता हूं कि ग्रामों में रहने वाले किसान मजदूरों में इनकलाब पैदा करने के लिये कोई काम किया जाय तब उसका विरोध किसी के द्वारा भी नहीं हो सकता । साथ ही बगैर सहकारिता के देश का उत्थान व विकास नहीं हो सकता क्योंकि सहकारिता का इन ग्राम पंचायतों के साथ साथ बहुत बड़ा स्थान है ।

[श्री बृजमोहन लाल गुप्त]

आज के जमाने में कृषि का उत्पादन ही देश की सब से बड़ी बुनियाद है, जिससे हम अपने को ऊंचा उठा सकते हैं । खेती का उत्पादन बढ़ाने के लिये गांव सभाओं व सहकारिता से बड़ी मदद ली जा सकती है । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान बुन्देलखंड और बांदा जैसे पिछड़े हुये इलाके की तरफ दिलाना चाहता हूं । वहां कोई बहुत बड़ा कारखाना नहीं है, कोई बहुत बड़ा उद्योग-धंधा भी नहीं है, वहां कोई बहुत बड़ा पूंजीपति भी नहीं है । वह तो गरीब किसानों का क्षेत्र है जहां पर उनके रहने के लिये मकान नहीं है, पढ़ने के लिये स्कूल नहीं हैं, यातायात के लिये सड़कें नहीं हैं। उस इलाके को मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायतों के द्वारा, लघु उद्योग के द्वारा, लघु सिंचाई योजना के द्वारा ही जरखेज बनाया जा सकता है और देश की सुरक्षा के लिये चीन से लड़ने के लिये उस इलाके को हम तैयार कर सकते हैं । मैं माननीय मंत्री जी महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इस बजट में भी उस पिछड़े हुये इलाके की तरफ ध्यान देने की जरूरत है, जिसकी इस वक्त भी उपेक्षा की जा रही है । अंग्रेजों के जमाने में भी बुन्देलखंड को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा जाता रहा क्योंकि बुन्देलखंड की वीरांगनाओं ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है और जब अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय भी वहां के लोगों ने हर तरह की कुर्बानी की। आज के युग में भी जब चीन ने हमारे लिये सबसे बड़ी चुनौती दी है तो वहां के गरीब किसान भी हर तरह से सेवा करने के लिये तैयार हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस इलाके में जहां भुखमरी है, गरीबी है, उसकी तरफ भी सरकार निगाह दे और उस इलाके को इतना शक्तिशाली बना दे ताकि वे देश की रक्षा के लिये मजबूती के साथ खड़े हो सकें। इन चन्द शब्दों के साथ में सब भाइयों से प्रार्थना व अनुरोध करता हूं कि बिना विरोध के निर्विरोध रूप से सभी इस अनुदान का समर्थन करेंगे ।

*श्री बिपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय,मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह बात सत्य है कि राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो रहा है और ग्राम पंचायतों के निर्माण से जनता के अन्दर जागरण उत्पन्न हुआ है । यह भी सत्य है कि ग्राम ही हमारी विकेन्द्रित सत्ता की इकाई हैं और राजनीतिक जागरण की प्रथम पाठशाला भी हैं। हमने ग्राम पंचायतों की रचना अवश्य की है और ग्राम पंचायत के कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन ग्राम सभाओं का दुर्लक्ष्य होता जा रहा है, उनमें लोगों की रुचि पैदा नहीं हो रही है । हमारे विधान में लिखा है कि ग्राम पंचायतें साल में २ बार अपना बजट ग्राम सभा के सामने लायेंगी, लेकिन जहां तक हमारा अनुभव है आज तक कहीं पर भी पंचायतों ने ग्राम सभा के समक्ष अपना बजट प्रस्तुत नहीं किया है। यदि हमें उन को इस प्रकार विकेन्द्रित राज्य सत्ता देकर उत्साह पैदा करना है तो यह आवश्यक है कि हम ग्राम सभा के लोगों में रुचि पैदा करें कि वह अपने विकास के कार्यक्रम को प्रस्तुत करें, बजट को उनके सामने लायें और वहां तमाम आवश्यक कार्यों पर चर्चा हो जिससे लोग समझें कि ग्राम पंचायतों के द्वारा हमारे सब काम होंगे; क्योंकि ग्राम पंचायतें हमारी एक संस्था हैं और उन को कुछ शक्ति मिली है ताकि वह कायदे से काम कर सकें । इसलिये मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह ऐसी व्यवस्था करें जिस से ग्राम सभाओं में जो नियम हैं, उसके अनुसार कम से कम वर्ष में ३ मीटिंग्स हों ताकि लोगों में रुचि पैदा हो और सारे विकास कार्य और बजट प्रपोजल, नये टैक्सेशन का रूप, सब कुछ ग्राम सभाओं के सामने आ सके। ग्राम सभाओं के कई काम हैं, अभी संकट काल में मंत्री जी ने बताया कि ग्राम पंचायतों द्वारा सुरक्षा, शिक्षा, उत्पादन का बढ़ाना और सेवा के अनेक कार्य हैं जैसे सेनिटेशन का है, कुएं बनाने का है, यह सब काम बहुत आवश्यक हैं। जो पृष्ठभूमि में हमारी भावना है अगर वह ठीक नहीं है तो फिर लिखने के लिये या सोचने के लिये हम कुछ भी सोचें लेकिन जब तक कि ग्राम सभा के लोगों में रुचि न होगी तब तक कोई भी काम चाहे कितना ही अच्छा फंक्शन क्यों न हो वह पूर्ण नहीं हो सकता । मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन ग्राम पंचायतों का रूप केवल वैज्ञानिक

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

ही न रह जाय, जो नियम बने हैं उन का आदर हो, उन में लोगों की श्रद्धा हो और साथ ही साथ ऐसी परम्परायें भी हम डेवलप करें जो स्वस्थ हों और जो हमारे ग्रामीण विकास के काम को आगे बढ़ावें । अगर हम आप से प्रश्न करें कि क्या इन ग्राम पंचायतों द्वारा हमारी आर्थिक समृद्धि हुई है या वह हमारे सामाजिक जीवन में कोई परिवर्तन ला सकी हैं तो उस का उत्तर यही है कि ५ साल से जब से पंचायत राज की व्यवस्था हुई है तब से कोई आर्थिक समृद्धि नहीं बढ़ी है और न कोई सामाजिक जीवन में ही परिवर्तन हुआ है । एक ओर हम सत्ता को विकेन्द्रित कर रहे हैं और दूसरी ओर ऐसे खतरे भी पैदा कर रहे हैं, जिनकी ओर दुर्लक्ष्य किया जा रहा है । उस खतरे के कारण हम उस मधुर फल की आशा नहीं कर सकते । पहला खतरा तो यह है कि जो सत्ता का विकेन्द्रीकरण हुआ तो गांव के अन्दर उन्हीं लोगों ने फिर सत्ता को अपने हाथ में ले लिया जो उच्च वर्ग के प्रभावशाली लोग थे और उसी दबे हुये वर्ग की अवहेलना हुई, और न शासन की ओर से भूमि सुधार योजना के फलस्वरूप उन को कोई भूमि मिली, न उनको कोई सामाजिक न्याय ही मिला । भारतीय जनसंघ ने आग्रह किया था कि अगर आप गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं तो आप ३० एकड़ की हदबन्दी कीजिये और बची हुई भूमि भूमिहीन किसानों को दीजिये लेकिन उस पर विचार नहीं किया गया । और भी बहुत से खतरे हैं, पार्टी पालिटिक्स हो रही है उसके कारण भी जनजीवन में महान कष्ट और दुख छाया हुआ है । आज हमारे सामने आर्थिक प्रश्न भी है । हम बहुत से प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, हम चाहते हैं कि गांवों के अन्दर आर्थिक उन्नति हो, टैक्स लगाये जायं और उनको लगा कर गांवों की उन्नति करना चाहते हैं । लेकिन क्या आज १५ सालों में शासन ने इस बात पर ध्यान दिया है कि जो टोटल कलेक्शन आफ रेवेन्यू है उसमें से कोई हिस्सा ग्रामों को देने की कोई योजना बनायी है ? भारतीय जनसंघ ने मांग की थी कि गांव से इकट्ठा हुआ भू-राजस्व का १० प्रतिशत ग्रामों के निर्माण के लिये दिया जाय । लेकिन आज तक शासन की ओर से इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया । कल ही मंत्री जी ने कहा था कि हम तो टोटल मोबिलाइजेशन आफ दि मैन पावर और रिसोर्सेज करेंगे । लेकिन क्या आप भू-राजस्व का कुछ हिस्सा ग्राम सभाओं के निर्माण के लिये देने को तैयार हैं ? अगर कुछ हिस्सा दें तो निश्चित रूप से ग्रामवासियों के अन्दर उत्साह उत्पन्न होगा और उनकी आर्थिक भित्ति मजबूत होगी ।

खतरे और भी हैं, कुछ बाहरी और कुछ अन्दरूनी । अन्दरूनी खतरे जैसे गुटबन्दी है, उच्च वर्ग जो दूसरों का शोषण करता है । लेकिन बाहरी खतरे भी हैं जो शासकीय हैं । हमारी पंचायतों के संचालन में जो लोग जुटे हुये हैं, उनके अन्दर भी टेंशन है । ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० में काफी टेंशन है, सब लोग अपने अधिकारों के लिये लड़ रहे हैं । कोई अपने उत्तरदायित्व को नहीं पहचानता । नतीजा यह है कि पंचायतों का काम जिस सुचारू रूप से चलना चाहिये वह नहीं चल पाता है । हमारी अगर ग्राम इकाइयों के अन्दर भ्रष्टाचार फैल गया तो सारे देश में फैलेगा और इसकी शिकायत भी दिखाई पड़ती है और बढ़ रही है । आज जो अनुदान ग्राम सभाओं को मिलता है वह ग्राम सभापति अपनी पास बुक में जमा कर देता है और उसका किस प्रकार से उपयोग करता है यह पता नहीं चल पाता है । तो इन खतरों की ओर भी ध्यान देना होगा ।

जो ग्राम पंचायतें बनायी गई हैं, उनके बारे में भी २, ४ बातें कहना चाहता हूं । यह बात सत्य है कि जो न्याय पंचायतों की व्यवस्था है उससे लाभ हुआ है और उसके कारण जो गांवों के अन्दर कुछ तनाव उत्पन्न हुआ वह कम हो रहा है । लेकिन जो आलोचना की जाती है और जो गांव में दिखाई पड़ता है वह यह है कि जो पंच लोग फैसला करते हैं, उनमें यह भाव नहीं है कि वह यहां न्याय करने के लिये आये हैं । वहां भी पार्टीबन्दी के कारण कुछ लोगों को परेशान करके जुर्माना करना, रिश्वत ले कर दूसरों को परेशान किया जाता है । हमारे यहां पहले पांच पंचों को ईश्वर का स्वरूप माना जाता था और जो लोग न्याय पाने जाते थे, उनमें आस्था रहती थी, लोग पंचों को पंच परमेश्वर मानते थे । लेकिन आज जो व्यवस्था है, उसके पीछे वह भाव नहीं है । लोग समझते हैं कि केवल हमको शासन करना है और लोगों को परेशान

[श्री बिपिन बिहारी तिवारी]

करके अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं । इस अभाव के कारण जो न्याय प्राप्त होना चाहिये था वह नहीं हो रहा है । आज ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों के अन्दर कुछ सीटों का रिजर्वेशन करके ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है उससे कोई लाभ होगा । अगर सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया है तो आर्थिक दृष्टि से आर्थिक विकेन्द्रीकरण भी करना पड़ेगा । भारतीय जनसंघ ने एक सुझाव दिया था कि अगर गांव के अन्दर औद्योगिक कुटुम्ब रहते हैं, लोहार, बढ़ई और कुम्हार रहते हैं तो औद्योगिक कुटुम्ब के परिवारों को एक सोसाइटी बना कर उनको शिक्षित किया जाय ताकि काम मिल सके और उनकी आय बढ़ सके । भारतीय जनसंघ ने सुझाव दिया कि ग्राम के अन्दर हमारे अन्सार भाई हैं, कपड़े का काम करते हैं, उनके लिये कम्पलसरिली यह तय कर लिया जाय कि धोती का जोड़ा मिलों में नहीं बनेगा, गांव में ही बना करेगा तो निश्चित रूप से देहात की आमदनी बढ़ेगी और बुनकर तथा अन्सार भाइयों को काम मिलेगा । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं ।

*श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर) —

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान इस समय सदन के सामने प्रस्तुत है, उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । अभी जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उनको मैंने बड़ी गंभीरता के साथ सुना । उनकी सब बातों को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि उधर के माननीय सदस्य चाहे जितनी सुन्दर बात हो, अच्छी बात हो, चाहे जनता के हित के लिये ही हो, उसका विरोध करने का एक ही साधन उन्होंने अपना लिया है । जो लोग छिन्द्रान्वेषी हैं उन्हें तो छिद्र ही छिद्र दिखाई देते हैं, अच्छाई नजर नहीं आती । गांव हमारे एक नई दिशा की ओर मुड़ रहे हैं । पार्लियामेंट से लेकर गांव सभाओं तक एक नई बात पैदा हो रही है, नई जागृति आ रही है । वे समझ रहे हैं कि सत्ता का विकन्द्रीकरण हो रहा है । उसमें वह भी हिस्सेदार हैं । उनके भी अपने अधिकार हैं । एक माननीय सदस्य ने कहा था कि सभापति और चौकीदार में कोई फर्क नहीं है और चौकादारों जैसा काम सभापति से लिया जाता है । आज सभापति पद का बड़ा गौरव है । उसकी गरिमा है । गांव के लोग उसको इज्जत व आदर की दृष्टि से देखते हैं । तब इस तरह की बात कहना लोकतन्त्र का अपमान है । यह गांव सभापतियों के लिय तीखे तथा कड़ुवे व्यंग हैं । एक प्रकार से उनके ऊपर गलत लांछन लगाना है । निस्संदेह कुछ ऐसी बातें हैं, जिनकी तरफ मैं अपने मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों पर आपने गांव सभाओं की नियमावली का कार्यान्वयन करने के लिये भार डाला है वे ठीक तरह से उनसे सहयोग नहीं करते हैं । कभी तो ऐसा होता है कि जिसने गांव की भूमि पर अनधिकार कब्जा कर रखा है और उस भूमि के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के पास सभापति जाता है तो जो सहयोग उसे मिलना चाहिये वह उसे नहीं मिलता है । कभी-कभी तो यह देखा गया कि एक-एक आदमी कई बार बेदखल हुआ और कानूनी ढंग से उस आदमी को उस जगह से हट जाना चाहिये और वह हटता नहीं है, बराबर कब्जा बनाये रखता है। इस तरह की अव्यवस्था की भावना वहां है । तो अगर आप जिलाधिकारियों को इस तरफ सचेत कर दें कि वे गांव सभाओं को सहयोग दें तो गांव सभायें सचमुच एक आदर्श संस्था बन सकती हैं और उस आदर्श को कार्यान्वित कर सकती हैं । आप सब जानते हैं कि १५ अगस्त सन् १९४७ को मध्य रात में जो हमारे देश के नेताओं के हाथ में ताकत आई थी वह शक्ति गांव में परिवर्तित होकर धीरे-धीरे चली आ रही है । पार्लियामेंट तक में गांव सभाओं का एक ऐसा नक्शा तैयार किया जा रहा है कि अगर हम यह कहें कि गांधी जी के स्वप्नों की जो नये भारत की कल्पना थी, आज वह साकार रूप से मूर्तिमान हो कर हमारे इस प्रदेश में उठ रही है तो कोई गलत नहीं होगा और उस उठती हुई कल्पना में चाहिये तो यह था कि हम जनप्रतिनिधि सहयोग देते गांव सभाओं की तरक्की में और उनकी बहबूदी में हिस्सा बटाते न कि उनकी यहां गलत ढंग से आलोचना कर के उनको निरुत्साहित करें । इससे जनतन्त्र पनपेगा नहीं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं दो-एक बातें सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं और वह यह कि जहां तक पंचायत के मन्त्रियों का सम्बन्ध है, वह बहुत उपेक्षित हैं। वह पंचायत का सब से छोटा कर्मचारी है। उनके तबादले कभी-कभी बहुत दूर किये जाते हैं और उन्हें अपने गांव के करीब रहने की सुविधा भी नहीं दी जाती है। हालांकि मालूम यह हुआ है कि हुक्म तो ऐसा हो गया है, लेकिन उसे कार्यान्वित नहीं किया जाता है। बहुत से ऐसे मन्त्री हैं, जिन्होंने अपनी पंचायतों का पूरा टैक्स अदा कर दिया है, उनका काम बड़ा सुन्दर है लेकिन अगर वहां के अधिकारी उनसे खुश नहीं हैं तो वे वहां नहीं रह सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था किसी को उत्साहित नहीं कर सकती कि कोई ईमानदारी और निष्ठा से काम करे। इसलिये इस दिशा में भी आपको सोचना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ मंत्री अस्थायी हैं। उन्हें स्थायी करने का प्रयास करें।

साथ ही हमारे कानपुर जिले में बरयूगढ़ गांव सभा के सभापति हैं। उन्होंने बहुत-सी जमीन जो पुराने जमींदारों ने अपने कब्जे में कर रखी थीं, उससे उनको बेबदल किया था लेकिन जब चकबन्दी आयी तो फिर उन्होंने गलत ढंग से उस जमीन को लेना चाहा जिस पर वहां के अफसरों, तहसीलदार और हाकिम परगना ने उन्हें उन मुकदमों की पैरवी नहीं करने दी जबकि वे वैधानिक ढंग से उनकी पैरवी करने के अधिकारी थे और उन लोगों से पैरवी कराया जिनके स्वार्थ उसमें सन्निहित थे और हजारों रुपये की वह जमीन जो सार्वजनिक सम्पत्ति थी उन्होंने हड़प ली। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वह खासतौर से इस मामले को देखें।

इसके अलावा सभापतियों को जो आपने अधिकार दिये हैं, वह तो बहुत बड़े हैं, उनके रहते हुये वे सचमुच बहुत बड़े-बड़े काम कर सकते हैं और किये भी हैं। अभी-अभी मंत्री जी ने बताया भी कि उन्होंने कितनी सड़कें बनायीं, कितने खरन्जे बिछाये, इसमें संदेह नहीं कि आज गांवों में एक नया जीवन दिखलायी पड़ता है, लेकिन फिर भी आवश्यकता इस बात की है कि अधिकारी वर्ग भी उन गांव सभाओं को अपना पूरा सहयोग अच्छा काम करने में दें। देखा यह जाता है कि जो अनुदान मिलता है, उसमें बड़ी दिक्कतें पेश की जाती हैं, उसके हिसाब-किताब के मामले में, और जब हिसाब-किताब आता है तो कभी वह गायब हो जाता है और इसलिये काम में काफी नुकसान होता है। इसलिये सरकार को चाहिये कि इस तरफ से पूरी सावधान रहे क्योंकि अभी पंचायतें अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह से सजग नहीं हैं। इसलिये इसका भी कोई प्रबन्ध आपको करना पड़ेगा। जैसे आपने उनके प्रशिक्षण के लिये प्रबन्ध किया है, उसकी अवधि को आप कुछ बढ़ायें, और ज्यादा दिनों तक उन्हें सब बातों से अवगत करायें, जिससे वे अपने कर्त्तव्य को समुचित ढंग से सम्पादित कर सकें।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका विरोध करता हूं।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली) --

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय रियासत हुसेन जी ने रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज हमारे मन्त्री जी ने चौखंभा राज्य की बात की। सोशलिस्ट पार्टी तो बहुत दिनों से इस बात की चर्चा कर रही है कि हमारे देश में चौखम्भा राज्य हो। माननीय मन्त्री जी ने चौखम्भा राज्य की चर्चा तो की लेकिन इस बात की चर्चा नहीं की कि इस चौखम्भा राज्य में सब से पहले जिलाधीश का पद समाप्त किया जायगा। यदि ऐसा किया गया होता तो मैं उनको बधाई देता।

श्रीमन्, आज पंचायतों में क्या क्या कमियां हैं उसकी बाबत मैं मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं। आज पार्टीबाजी के कारण गरीब जनता के ऊपर, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है और जमीन भी नहीं है, उनके ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है। दूसरी बात यह है कि आज जो सेक्रेटरी है उसको तनख्वाह बहुत कम है और जितनी मेहनत और काम वे करते हैं उस हिसाब से उनको तनख्वाह और भत्ता बहुत कम दिया जाता है। एक सेक्रेटरी के पास ५ गांव सभायें

[श्री रतीपाल]

हैं, इस हिसाब से मन्त्री जी को उनकी तनख्वाह और भत्ते की व्यवस्था करनी चाहिये, आज सबसे ज्यादा मजबूत वह दल हुआ है जो शासन कर रहा है। आज बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० भी उन लोगों को ही सुविधा देते हैं जो कांग्रेस के पक्ष में वोट देते हैं और उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं देते जो अपोजीशन को वोट देते हैं। तो श्रीमन्, जो पंचायतें कांग्रेस को वोट देती हैं उनको ४०० / ३०० रुपये का अनुदान दिया जाता है और जो अपोजीशन को वोट देती हैं उनको २० और ३० रुपये का अनुदान दिया जाता है।

श्रीमन्, हमारे क्षेत्र की बात है। मैंने असेम्बली में सवाल उठाया था एक बी० डी० ओ० साहब के बारे में तो उन्होंने मुझे बड़ा प्रोत्साहन दिया और उनको वहां से हटाकर उन्नाव भेज दिया। आजकल बी० डी० ओ० और ए० डी० ओ० की हालत यह है कि जो अपोजीशन का समर्थन करते हैं उनके ऊपर पच्चीसों तरह के टैक्स लगाते हैं। यह मेरी जानकारी में है और कोई भी अफसर मेरे साथ चले तो मैं यह साबित कर दूंगा। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां पर हरिजनों की पापुलेशन बहुत ज्यादा है। वहां पर सरपंच का चुनाव हुआ, उसमें एक भी हरिजन नहीं चुना गया। इसलिये कि वहां पर बड़े-बड़े ताल्लुकेदार हैं और ४४ स्टेट्स हैं उनमें ही से लोगों को चुना गया। जो अमीर थे उनको चुना गया और हरिजनों तथा पिछड़ी जाति के लोगों को नहीं चुना गया। यदि उनके नाम भी आये तो जिलाधीश महोदय ने उनका समर्थन करके नहीं दिया। मैं निवेदन करूंगा कि हरिजनों को और पिछड़ी जाति वालों को पूरी-पूरी सुविधा दी जाय। मैं इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव) —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो मांग माननीय सदन क समक्ष मन्त्री जी ने प्रस्तुत की है, मैं उसका समर्थन करने के लिये एवं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यदि पंचायत राज की स्थापना इस रूप में, जिस रूप में हो रही है, न हुई होती तो मुझे यह कहने में जरा भी संकोच नहीं था कि भारतवर्ष को १५ अगस्त १९४७ को स्वराज्य मिला, लेकिन वह देहात के रहने वालों के लिये बेकार रहा और शहरों में ही अटका रहा। पंचायत राज के रूप में राज्य सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है, जिससे हम सही माने में प्रजातन्त्र का फल भोग सकेंगे।

श्रीमन्, रोज इस सदन में नौकरशाही के विषय में तरह-तरह की बातें सुनने में आती हैं, ब्यूरोक्रेसी के बारे में अनेक प्रकार की बातें कही जाती हैं और उसके अभिशाप की चर्चा की जाती है तो वह खराबी तभी दूर हो सकती है जब हमारे पंचायत राज का जो कदम उठाया गया है, वह सफल हो। पंचायत राज तीन रूप में हमारे सामने आता है। गांव सभा, क्षेत्र समिति और अन्तरिम जिला परिषद्। धीरे धीरे, जो अधिकार ब्यूरोक्रेसी के हाथ में रहते हैं, वह सारे के सारे जन प्रतिनिधियों के हाथ में दिये जा रहे हैं। जिला प्रशासन में कुछ बातों को छोड़ कर बाकी सब अधिकार जिला परिषदों को दिये जा रहे हैं। उसके अन्तर्गत बहुत से अधिकार क्षेत्र समितियों को विकास खंड के अंतर्गत दिये गये हैं और गांव सभाओं के अन्तर्गत गांव पंचायतों को अधिकार दिये गये हैं।

श्रीमन्, अभी माननीय रियासत हुसेन साहब ने ग्राम प्रधान की समस्या को रखा और यह कहा कि वह चौकीदार के समान कार्य करता है। मैं यह मानता हूं कि प्रधानों के सामने कठिनाइयाँ हैं। लेकिन उन कठिनाइयों का मूल कारण यह है कि प्रधान और ग्राम पंचायतें अपने अधिकारों को समझ नहीं पा रहे हैं और उनका ठीक ढंग से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिये जरूरत यह है कि हम सार्वजनिक कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में प्रधानों को और पंचायतों को इस प्रकार से शिक्षित करें ताकि वे अपने अधिकारों को समझें और उनका ठीक से प्रयोग कर सकें। जहां पर शिक्षित प्रधान चुने गये हैं, वहां ऐसी बात नहीं है कि उनके ऊपर लेखपाल या ग्राम सेवक या कोई सरकारी अधिकारी हावी हो, और उन्होंने काफी विकास किया है अपनी ग्राम सभाओं का। मैं यह कहूंगा कि जब चुनाव आये तो यह देखने की चीज है कि उन्हीं

व्यक्तियों को चुनाव के मैदान में आना चाहिये जो यह समझें कि हम ठीक से गांव का प्रशासन चला सकेंगे। श्रीमन्, पंचायत मन्त्रियों के सम्बन्ध में मुझे जरूर कहना है कि जहां दूसरे सरकारी कर्मचारी उसी श्रेणी के हैं उनको जो सुविधायें मिल रही हैं वह पंचायत मन्त्रियों को नहीं मिल रही हैं। पंचायत मन्त्रियों का स्केल भी कम है। यह जरूर है कि उनका डी० ए० साढ़े बारह रुपया बढ़ा दिया गया, उनकी कुछ चीजें जैसे टी० ए० है वह पंचायत राज विभाग से ही मिलने लगा है, लेकिन फिर भी अभी तक उनकी तरक्की का कोई प्रबन्ध नहीं है। जिस प्रकार बी० एल० डब्ल्यू० का प्रमोशन ए० डी० ओ० के पद पर हो जाता है उसी प्रकार पंचायत मन्त्रियों को भी सुविधा मिलनी चाहिये। जैसा कि कहा गया अगर ऐसा सम्भव हो तो ग्राम सेवक, लेखपाल और दूसरे छोटे कर्मचारियों का एकीकरण कर दिया जाय और इस प्रकार से उनका क्षेत्र कम कर दिया जाय तो इससे मेरा खयाल है कि ज्यादा लाभ होगा और विकास कार्यों में अधिक सफलता प्राप्त होगी। माननीय मन्त्री जी ने बताया कि गांव समाज को समाप्त कर दिया गया है। भूमि प्रबन्धक समितियों को ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत कर दिया गया है। यह बहुत ही अच्छा हुआ है। पहले गांव समाज का पैसा ग्राम पंचायतें विकास कार्यों में खर्च नहीं कर सकती थीं। अब यह बाधा दूर हो गयी। मैं अधिक समय न लेकर जो अनुदान सदन के समक्ष है, उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री विजय सिंह (जिला जालौन) —

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत कटौती का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मन्त्री जी ने ग्राम सभाओं को जिन अधिकारों से सुसज्जित किया है वह बहुत बड़े अधिकार हैं। उनका उन्होंने अपने भाषण में पूरा विश्लेषण कर दिया। एक ओर तो इस सरकार की तरफ से जो यह अधिकार दिये जाते हैं और उनको शाही जामा पहनाया जाता है और दूसरी तरफ उस इमारत को जिसको चौखम्भा की इमारत कहा गया है कमजोर किया जाता है। वह प्रधान जो कि ग्राम सभा का मुख्य अंग है और सर्वमान्य प्रतिष्ठित है वह अपने अधिकारों को काम में नहीं ला पाता है। पहले तो जब वह बड़े-बड़े अधिकारों से सम्पन्न नहीं था यह होता था कि प्रधान का सस्पेन्शन डायरेक्टर पंचायत राज के बिना पूछे नहीं हो सकता था। आज एस० डी० एम० को यह अधिकार दिया गया है कि वह प्रधान को सस्पेंड कर सकते हैं, और वह भी कभी-कभी राजनीति के चक्कर में उसको सस्पेंड कर देते हैं। यह उसके साथ ऐसी कमजोरी लगा दी गयी है जिससे वह अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ नहीं कर पाता है, वह सदैव भय खाता रहता है। यह जरूर है कि सरकार ने इस ऐक्ट में जो प्राविजन किया है एक साल के अन्दर अविश्वास का प्रस्ताव प्रधान के खिलाफ नहीं आ सकता है लेकिन यह मुअत्तली की कमजोरी उससे ज्यादा खतरनाक है। उसको सरकारी अफसर दबाये रहते हैं और वह अपने पूरे अधिकार इस्तेमाल नहीं कर पाता है। पंचायत सेक्रेटरी की सर्विसेज को जिला परिषद् के अधिकार में दे दिया गया है जो राजनीति का अखाड़ा है। तो वह राजनीति से कैसे अछूता रह सकता है?

भूमि प्रबन्धक समिति का अलग से फार्मेशन हो गया है। अगर प्रधान समिति से किसी प्रस्ताव को पास करवा के किसी मुकदमे में बयान देने जाना चाहता है तो उसके लिये उसको, अगर तहसीलदार की अदालत में जाना है तो एस० डी० एम० से परमिशन लेनी होती है और अगर एस० डी० एम० की अदालत में जाना है तो तहसीलदार से परमीशन लेनी होती है। यह चक्र हो गया है जिसकी वजह से प्रधान सरकारी अधिकारियों के हाथ में बना रहता है। बिना परमीशन के भूमि प्रबन्धक समिति के मुकदमे में अपनी पंचायत की इच्छा पर पास प्रस्ताव के आधार पर नहीं चल सकता है। माननीय नित्यानन्द पांडेय जी ने भी कहा है कि ग्राम सभाओं में आफीसर के कंट्रोल से बड़ी परेशानी होती है।

अब ग्राम सभाओं की आर्थिक परिस्थिति को देखिये। कोई-कोई ग्राम सभायें ऐसी भी हैं जिनके पास कोष में सौ, दो सौ रुपये ही हैं। वह किस प्रकार अपना काम चला सकती हैं?

[श्री विजयसिंह]

इस के लिये ग्राम सभाओं को जो गांव की मालगुजारी सरकार वसूल करती है उसमें से २० प्रतिशत ग्राम सभा कोष को दिया जाय ताकि वह प्रधान अपने शेअर सें ग्राम की तरक्की कर सके।

मान्यवर, ग्राम पंचायत सेंक्रेटरी को जिला परिषद् के अधिकार में करने से उसको सदैव परेशानी रहती है। उसको सरकारी कर्मचारी की हैसियत सें ही होना चाहिये था नहीं तो वह सदैव गुटबन्दी में बना रहेगा और ग्राम सभाओं का काम ठीक सें नहीं चल सकेगा। मन्त्रियों की Services को Government Service में Transfer होना चाहिये--पंचायत मन्त्री का क्षेत्र बहुत बढ़ा दिया गया है। एक न्याय पंचायत के अन्दर एक सेक्रेटरी रहता है जिसमें १०-१२ ग्राम सभायें होती हैं। इस प्रकार जैसा कि सुझाव आया है कि एक ही गांव सभा के लिये जबकि तीन आदमी हैं वी० एल० डब्ल्यू०, लेखपाल और मन्त्री, तो इनको मिला कर एक गांव सभा के लिये एक मन्त्री कर दिया जाय। तभी इन ग्राम सभाओं का काम सुचारु रूप से चल सकता है। अब ग्राम सभाओं में field पर तथा कागजों पर बहुत कार्य बढ़ गया है।

अक्सर ऐसा होता है कि प्रधानों पर गबन के मामले चल जाते हैं। पंचायत इंस्पेक्टर और सेक्रेटरी प्रधान को कानूनी असलियत नहीं बता पाते। इस सुविधा के लिये यह आवश्यक है कि जब वे पंचायत के कागजों का निरीक्षण करें तो उनको यह प्रमाणित करना चाहिये कि हिसाब सही रूप सें और नियमित रूप से रखा गया है। इस प्रकार इन्स्पेक्टर या मन्त्री ही उसके लिये जिम्मेदार समझा जायगा। अभी ऐसा नहीं होता है केवल यह लिख देते हैं कि हिसाब देखा और सही पाया। इसका अर्थ यह हुआ कि हिसाब का जोड़ बाकी करना ठीक है।

अब कृषि का कार्य भी ग्राम सभाओं को दे दिया गया है। जब कि एक टेक्निकल डिपार्टमेंट, ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खुद मौजूद है ग्राम सभा के लिये जो Non—Technical है क्या उन्नति दिखा सकेंगे? आज ग्राम सभाओं को जो कि पार्टीबन्दी से भी कुछ एक तरह से प्रभावित हो रही है वह काम नहीं दिया जाना चाहिये, वह इस काम को नहीं कर सकती हैं। यह काम एक टेकनिकल आदमी के हाथ में जाना चाहिये जिसके लिये कि ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सरकार का मौजूद है। बाकी और डेवलपमेंट का काम जो है वह दूसरे लोगों को दिया जा सकता है। कई तरह के ए० डी० ओ० तैयार हुये हैं, इनको इकट्ठा कर देना चाहिये। ए० डी० ओ०, ऐग्रीकल्चर और ए० डी० ओ० कोआपरेशन, इनके द्वारा सारा काम कराया जा सकता है। जिस तरह सेक्रेटरी सब काम चला लेता है उसी तरह सें ए० डी० ओ० को भी होना चाहिये। मान्यवर, कम्यूनिटी डेवलपमेंट और ग्राम सभा के काम को इकट्ठा कर देना चाहिये, इससे खर्चे में कुछ कमी पड़ेगी और काम भी दोनों के मिलते जुलते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इसकी ग्रान्ट बहुत थोड़ी है, ठीक है। अगर सन् १९६०-६१ के एप्रोप्रियेशन एकाउन्ट्स की रिपोर्ट को देखें तो १ करोड़ ६४ लाख ८६ हजार २०० रु० ओरजिनल ग्रान्ट थी सन् १९६०-६१ में और उसका ऐक्चुअल १ करोड़ २३ लाख १४ हजार ४०३ रुपया था। इसके माने हैं ४१ लाख ७१ हजार ७९७ रुपये की बचत हुई। यानी २५ परसेंट रुपया बच गया। इससे यह साफ होता है कि सरकार रुपये को इस्तेमाल नहीं कर पाती। वैसे फिजूलखर्ची में इस सरकार का कोई मुकाबिला नहीं कर सकता है। वेतन आये दिन बढ़ा दिया जाता है, कहीं कहीं दुगुना कर दिया जाता है और अपने आदमियों के लिये नई जगहें बना दी जाती हैं। प्रशिक्षण केन्द्रों के नाम पर लाखों रुपया बरबाद किया जाता है। कालपी में एक प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है और वह है सभापतियों का प्रशिक्षण केन्द्र। उसमें उनका केवल पहुंचना ही होता है। कोई कोई तो हस्ताक्षर करके ही चले आते हैं। समझाया या बताया कुछ नहीं जाता। उसका केवल एक नाम मात्र ही है। केवल रुपया ही वसूल किया जाता है। सारा रुपया बेकार बरबाद किया जाता है। इसी तरह मान्यवर, एक और फिजूल खर्ची का नमूना है कि एक और आडिट डिपार्टमेंट खोलने का बजट में प्राविजन किया है। अभी तक तो एक एकाउन्टेंट जनरल होता है जो गवर्नमेंट के विभागों के खर्चे को चेक करता है और लोकल फंड आडिट डिपार्टमेंट लोकल बाडीज के एकाउन्टस को

आडिट करता है जिसे examiner कहते हैं। तो एक नया डिपार्टमेंट खोलकर हर जिले में उसमें स्पेशल एकाउन्ट्स आफिसर, चीफ एकाउन्ट्स और एकाउन्टेंट वगैरह रखना डुप्लीकेशन नहीं तो और क्या है ? इसको तो लोकल फंड आडिट डिपार्टमेंट द्वारा भी examine कराया जा सकता है। यह भी कोई आवश्यक नहीं है कि बड़े बड़े आदमी हों, ५०० से १२०० के स्केल में हों और उनके लिये १०० रुपये स्पेशल पे रखी जाय तभी ग्राम सभाओं का आडिट हो। यह बिलकुल फिजूल खर्ची है।

एक बात और कहनी है। न्याय पंचायत के पंचों के चुनाव जो हुये थे वह एम० एल० एज० और एम० एल० सीज० ने बैठकर चुने थे। उनसे न्याय की आशा नहीं की जा सकती है ? क्योंकि political parties का चुनाव में योग है। मैं समझता हूं उनको उनकी शिक्षा के आधार पर चुना जाना चाहिये बजाय इसके कि इस तरह इसको राजनैतिक कलर दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं माननीय रियासत हुसैन जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ) --

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं ग्राम सभा और न्याय पंचायतों के अनुदान के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं श्री रियासत हुसैन साहब ने जो कुछ बातें रखी थीं और जो क्रिटिसिज्म किया था उनकी बातों का जवाब देना चाहता हूं। आपने सब से पहले तो यह बात रखी कि मुखियों का जो संगठन था किसी जमाने में, वह पुलिस के एजेंट थे और जब शुरू-शुरू में पंचायतें कायम हुईं तो मुखिया और प्रधानों का संघर्ष आरम्भ हो गया। आज इस जमाने में भी उनकी दृष्टि में गांव सभाओं में जो अध्यक्ष लोग चुनकर आते हैं उनका स्थान भी उन्हीं मुखियाओं के रूप में उनको दिखाई पड़ता है। आपका कहना यह भी है कि दस-दस, बारह-बारह अधिकारी जाते हैं और हर एक आदमी दबाव डालकर अपने पक्ष की बात उनसे मनवा लेता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि संसार के इतिहास में यह एक नवीन विशाल और प्रथम प्रयोग भारतवर्ष में हो रहा है जिसमें जनतान्त्रिक आधार पर विकेन्द्रीयकरण हो रहा है। इसके द्वारा इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स अपने मत का उपयोग करते हैं। आज जिस तरह से इस प्रदेश में इन पंचायतों का संगठन हुआ है और उनके द्वारा कम्यूनिटी डेवलपमेंट का काम नीचे से आरम्भ हुआ है वह एक अनुकरणीय चीज है क्योंकि डेवलपमेंट का हमेशा कायदा यह होता है कि Development from below; direction from the top and Co-ordination in between. धीरे-धीरे यह योजना बढ़ रही है। हमारे देश के १५० वर्ष तक अंग्रेजों के शासन में रहने के बाद जनता की कमर टूट गई थी धीरे-धीरे जनतन्त्रवाद द्वारा विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप १२, १३ वर्षों में इस लायक हुए हैं कि आम लोग चुन कर आगे आ सकें और देश को आगे बढ़ा सकें। आज यह जनता अपने अधिकारों का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। अंग्रेज समझते थे कि हिन्दुस्तान में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और दूसरी भी दिक्कतें हैं और हिन्दुस्तान को यह जनतान्त्रिक बालिग मताधिकार मिला है, किस तरह अपनी सरकार बनायेंगे। किन्तु आपने देखा होगा कि हिन्दुस्तान के लोगों ने, पढ़े लिखे न होने पर भी, उन्होंने अपने सच्चे प्रतिनिधियों को वोट देकर अपनी सरकार बना दी और उसको कामयाब किया।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि हमारे गांव का आदमी बड़ी आसानी से धीरे-धीरे उस पार्टीबन्दी से निकल कर इस लायक होता चला जाता है कि वह देश के निर्माण कार्यों को अपने हाथ में ले सके। आपने देखा होगा कि जो गलत प्रधान चुने गये, जिन्होंने कुछ गड़बड़ी की या बेईमानी की थी उनको बेईमान समझ कर जनता ने दूसरी बार नहीं चुना। दूसरी बार जो चुनाव हुआ उसमें और अच्छे आदमी चुने गये हैं। मैं यह मानता हूं कि सब के सब अच्छे आदमी नहीं हैं। पार्टी बन्दी की वजह से कुछ खराबी होती है लेकिन जहां पर इतना बड़ा इलेक्शन हो और जहां पर करोड़ों आदमी इलेक्शन में भाग लेते हों वहां पर कुछ गलत आदमी

[श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ]

भी आ जाते हैं। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि जनता धीरे-धीरे अपने अधिकारों को समझने की कोशिश कर रही है। वह इस बात की कोशिश कर रही है कि अपने अधिकारों को समझे और उन अधिकारों का ठीक तरह से प्रयोग कर सके। श्रीमन्, मैं यह निवेदन करूंगा कि मुखिया के स्थान पर जो प्रधान चुना गया है, चुने हुए प्रतिनिधि का स्वरूप है।

आपने कहा कि चकबन्दी में बहुत सी जमीनें छोड़ दी गईं, कुछ आदमियों ने, हाकिम परगना, तहसीलदार या पटवारी ने प्रधान के बिना पूछे जमीनें नीलाम कर दीं, पक्षपात किया है। यदि इस तरह की कोई घटना हुई है तो उसकी जांच की जायगी और जहां पर गलत काम हुए हैं वहां पर एक्शन लिया जायगा। गांव सभा और भूमि प्रबन्धक समिति को मिलाकर इस बात की शक्ति प्रदान की गई है कि अपने गांव की जो प्रापर्टी है, जायदाद है, उसकी जमीनें और पेड़ हैं ग्राम सभा उन सब की मालिक है। उसका रखना, सम्भालना और बेचना तथा उनका ठीक तरह से प्रयोग करना पूरी तरह से उनके हाथ में है। उनके ऊपर उनका पूरा अधिकार है। वहां पर अगर कोई आदमी अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करता है तो उसकी शिकायत होनी चाहिये। जांच होने पर उसके लिये उचित व्यवस्था की जायगी। यदि कहीं पर इस प्रकार की गलती हुई है तो आप शिकायत करें उसकी पूरी जांच की जायगी।

शिक्षा के सम्बन्ध में कहा गया कि जो इसका ऐडमिनिस्ट्रेशन है वह बहुत खराब है और प्रमुखों को इस प्रकार से अधिकार देकर गलत काम हुआ है। मैं यह समझता हूं कि अभी ३, ४ महीने हुए उनको इस प्रकार के नियन्त्रण के अधिकार मिले हैं। यह नया काम है वह धीरे-धीरे इस काम को कर रहे हैं। पहली बार जब कांग्रेस गवर्नमेंट कायम हुई थी उसके पूर्व अंग्रेजों ने उस समय यह कहा था कि किस तरह से ये लोग शासन सम्भाल पायेंगे। लेकिन आपने देखा कि वह शासन किस खूबी से चल रहा है। इसी प्रकार से प्रमुख, जो क्षेत्र समिति के अध्यक्ष चुने गये हैं, वे धीरे-धीरे ट्रेनिंग पा रहे हैं। जहां-जहां गलती है उनका सुधार किया जायगा। जहां पर इस तरह की शिकायत प्राप्त होगी, उसको सुधारने का प्रयत्न किया जायगा और उसमें संशोधन होता जायगा। एक बात यह कही गई कि प्रधानों को बन्दूक का लाइसेन्स दिया जाय। सामाजिक दृष्टि से यह बात बहुत अच्छी है लेकिन थोड़ी सी जिम्मेदारी यह आ जाती है कि उसका चालचलन आज का और पुराना कैसा रहा है, समाज में बन्दूक रखना आवश्यक है। मोरेल करेक्टर भी देखा जाता है। अगर किसी कमजोर आदमी के हाथ में हथियार पड़ जाय तो वह उसका ठीक प्रयोग नहीं करता जिससे उससे हानि होती है। उसके लिये व्यक्तिगत जांच होती है जब हथियार किसी को दिया जाता है। हम चाहते हैं कि गांव को एक-एक नहीं बल्कि गांव के लोगों को अनेक हथियार दिये जायं। इसी कारण हम विलेज वालन्टियर फोर्स तैयार कर रहे हैं ताकि प्रत्येक नौजवान को, जो एबिल बाडीड हैं, उनको ट्रेनिंग मिले और वह मिलिट्री मैन बन सकें। हम तो मिलिटेन्ट स्प्रिट पैदा करना चाहते हैं, मिलिट्री मैन नहीं बनाना चाहते। लेकिन आप तो मिलिट्री मैन बनाने के लिये ही बन्दूकें दिलाना चाहते हैं।

एक बात यहां पर माननीय रतियाल जी द्वारा कही गई कि कलेक्टर को ही शासन से हटा दिया जाय, ऐडमिनिस्ट्रेशन से उन्होंने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को हटाने का प्रस्ताव पेश किया क्योंकि अधिकार बढ़ते जा रहे हैं। यदि व्यावहारिक रूप से देखें तो हमारे समाज में डेमोक्रेसी पनप रही है और दिन प्रति दिन वह शक्तिशाली होती जा रही है। यह हो सकता है कि कभी और अधिक जनतांत्रिक अधिकार बढ़ें। आज की स्थिति में यह सम्भव नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जब यहां पर सबसे पहले पंचायती राज स्थापित हुआ तो जो १९५४ में पहला पंचायत इन्स्पेक्टर्स ट्रेनिंग कैम्प हुआ था, तो मुझे उसके संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज की इस स्थिति में गांवों में इस बात की व्यवस्था की गई है कि विलेज वालेन्टियर्स द्वारा सुरक्षा का काम हो। हर २५० की आबादी के पीछे ५५ आदमी लिये जा रहे हैं। आप देखें कि इस तरह से एक बहुत बड़े फौजी संगठन का भी जनतांत्रिक ढंग से कार्य होने जा रहा है।

यहां पर पंचायत सैक्रेटरीज की ट्रेनिंग के सिलसिले में जिक्र हुआ। प्रदेश में १९ सेन्टर चल रहे हैं। पहली बार जो योजना बनी, उसमें केवल १,४०० आदमियों को ही तैयार किया जा सका था। लेकिन अब तक आप देखें कि ३,६०० आदमियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और इसके लिये वर्ष १९६३-६४ के लिये ६ लाख १४ हजार १०० रुपया का अनुदान रखा गया है धीरे-धीरे लोगों को रचनात्मक कार्यों की तरफ लगाया जा रहा है तथा उत्पादन को प्रोत्साहन मिल रहा है और तकावी बांटी जा रही है। इधर काम बहुत तेजी से बढ़ा है और लोग स्वत: काम के लिये तकावी लेकर काम करना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में कई लाख रुपये की तकावी बांटी जा चुकी है। मत्स्य पालन, कृषि विकास, औजार खरीद, औद्योगिक प्रोत्साहन के लिये तथा वृक्षारोपण के सिलसिले में ३ लाख रुपया ईयर मार्क्ड कर दिया गया है। आगामी अनुदान इस सम्बन्ध में ५ लाख १० हजार ३०० रुपये की तकावी बांटने की योजना रखी गई है।

क्षेत्र समितियों के लिये आज यह बहुत आवश्यक हो गया है कि छोटे क्षेत्रों में जा कर उनका हिसाब-किताब देखा जाय। इसके लिये दूसरे किस्म के आदमियों की आवश्यकता होती है। एकाउन्टेन्ट जनरल का विभाग बड़े हिसाब के लिये कायम किया गया है। परन्तु छोटे स्तर पर हिसाब-किताब की जांच के लिये, आज दूसरे व्यक्तियों की आवश्यकता है। मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज विलेज लेविल पर जिला परिषदों के लिये अलग एक डिपार्टमेंट स्थापित करने की जरूरत है। इसके लिये तृतीय योजना के इस वर्ष के लिये अनुदान में ९ लाख ३९ हजार रुपया रखा गया है और आगामी वर्षों के लिये इसमें लगभग ३७ लाख रुपये रखे गये हैं। परन्तु अब चूंकि इमर्जेन्सी की स्थिति आ गई है और रुपये की बचत के लिये योजनाओं में कटौती भी हुई है, मैं आपसे यह नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि श्रम बैंकों के द्वारा लोगों के श्रम का प्रयोग करने जा रहे हैं। जनता के हित के लिये, उसके लाभ के लिये हम जनता के ही श्रम का लाभ उसके हित के लिये करने जा रहे हैं। इससे लोगों में प्रोत्साहन पैदा होगा कि वह अपने आप डेवलपमेंट कर सके। इसके लिये ही श्रम बैंकों की योजना बनाई गई है। २१ से ४५ वर्ष की आयु के व्यक्ति हैं वह ९६ घंटे एक वर्ष में काम करें। अर्थात् १२ दिन ८-८ घंटे के हिसाब से अपने काम को पूरा कर सकते हैं।

एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि हमारे यहां जो ग्राम सभाओं के चुनाव हुए उनकी सफलता में आपके सम्मुख पेश करना चाहता हूं। हमारे यहां पर ७२ हजार ३३३ ग्राम सभायें हैं, जिनमें से ७२ हजार ४१ ग्राम सभाओं में चुनाव हुए और २९२ में नहीं हुए। परन्तु बाद में २३८ के और चुनाव हो गए। वोटरों की संख्या ३ करोड़, ११ लाख, ५६ हजार २३ है। इसमें से ७१ हजार ९०० प्रधानों का चुनाव हुआ। जो सदस्य ग्राम सभा चुने गए, उनकी संख्या ९ लाख ८९ हजार १२३ है। जो महिलायें चुनी गयीं उनमें प्रधान महिलाओं की संख्या २१३ है और जो सदस्याय चुनी गई हैं, उनकी संख्या १,२६३ है। जो निर्विरोध प्रधान चुने गए, उनकी संख्या मैदानी क्षेत्रों में ४२ प्रतिशत है और पहाड़ी क्षेत्रों में उनकी संख्या ८१ प्रतिशत है। और उसी तरह से जो निर्विरोध सदस्य चुने गये मैदानी इलाके में ५४ परसेंट और पहाड़ी इलाके में ९७ परसेंट चुनाव हुए। हमारे पक्ष के और विपक्ष के सभी सदस्यों ने मिलकर जहां तक पंचायतों का सम्बन्ध है विकेन्द्रीकरण के ध्येय को सबने स्वीकार किया है, लेकिन जहां तक उसके इम्प्लीमेंटेशन होने का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में अलग-अलग लोगों को शिकायत रही। हम चाहते यह हैं कि आप लोग इस मामले में पोलिटिकल बातों को छोड़ कर एक कंस्ट्रक्टिव कदम उठाने की कोशिश करें ताकि हम नीचे से वातावरण पैदा कर सकें, ताकि जनता के लोग नीचे से उठकर जनतन्त्र की भावना से उठ सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री बाबूसिंह (जिला अलीगढ़)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। इसके सम्बन्ध में सिर्फ यही मुझे कहना है कि जो पंचायतों का चुनाव है और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाबूसिंह]
चौखंभे राज्य की बात जो विधान सभा में हुई है, उसके लिये मन्त्री जी को धन्यवाद। लेकिन उसकी नींव क्या है, उसको किस कदर मजबूर करना है इसपर हमने गौर नहीं किया। इसमें शक नहीं कि इब्तदाई नींव ग्राम सभा हैं और जब तक नींव को मजबूत नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी जो बकिया नींव चल रही हैं, जो उनपर दीवारें खड़ी हो रही हैं वह हिलती रहेंगी।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---
नींव मजबूत है।

श्री बाबूसिंह---
जैसी मजबूत है, आप जानते हैं।

श्री अधिष्ठाता---
कृपया परस्पर बात-चीत न करें।

श्री बाबूसिंह---
ग्राम सभा में, अभी बतलाया गया कि मुखिया की जगह प्रधान ने ले ली है। मैं यह नहीं कहता कि आज कोई फर्क नहीं है, लेकिन उस मुखिया से ही मिलता-जुलता ग्राम-सभा का प्रधान है। कम से कम अक्लियत और अक्सरियत का हिसाब जरूर रखा जाय। चाहे बड़े जनेऊ-धारी पंडित जी हों, या चौधरी हों, जिसका भाई मुखिया था, पिता मुखिया था वही प्रधान है। उसको देख कर किसी की हिम्मत नहीं है कि जो गरीब आदमी है, जो अक्लियत का आदमी है वह अक्सरियत के सामने खड़ा हो सके। मेरा सुझाव है कि कम से कम यह देख कर कि गत वर्ष किस कौम का आदमी प्रधान था, अब गरीब आदमी को भी मौका दिया जाय ताकि लोगों का जो रिजर्वेशन है, उसके हिसाब से रखा जाय।

साथ ही साथ बड़े-बड़े आदमी जो प्रधान बने हुए हैं उसकी वजह से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़े आदमी को अपने कामों से फुर्सत नहीं होती। इसलिये जिले के स्तर पर अगर कोई प्रधान गत वर्ष रहा हो तो वह तभी खड़ा हो जिसने रचनात्मक कार्य या समाज सेवा की है और उसका उसके पास सार्टिफिकेट हो। आज तो केवल एक डिग्री हासिल करनी होती है ताकि रौब रहे कि मैं प्रधान हूं। अगर आपने जो तब्दीली ग्राम सभा में की है, उसमें पटवारी के जिम्मे ही उसका काम रखा भूमि सम्बन्धी तो आपको इस तब्दीली में कामयाबी नहीं हो सकती, क्योंकि पटवारी उसी कड़ी की चेन है, जिसमें तहसीलदार वगैरह पुराने गुनहगार शामिल हैं और पुराने ऐडमिनिस्ट्रेशन से बंधे हुए हैं। इसलिये यह काम पटवारी के बजाय सेक्रेटरी से कराया जाय तो कामयाबी हो सकती है। साथ ही साथ यह भी है कि जितने बड़े-बड़े आदमियों के खेत गांव सभा की सम्पत्ति के करीब हैं उन्होंने उस सम्पत्ति को अपने खेतों में मिला लिया है और आज उनके खिलाफ कुछ करने की किसी को हिम्मत तक नहीं होती। आज देहात की जनता को यह पता तक नहीं है कि स्वराज्य मिला है या नहीं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमने टूटे हुए जनतन्त्र की हड्डी को मजबूत कर लिया है, सही तो यह है कि आपने उसमें और फ्रैक्चर कर दिया है। आजादी आपके चन्द आदमियों को ही मिली है। आजादी मिनिस्ट्रों को और एम० एल० एज० को ही मिली है, गरीबों के घरों तक वह नहीं पहुंची है। आज गरीब उसी तरह लूटा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से पहले।

आज अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन को देखिये, आपके जितने भी आफिसर्स हैं वे सब कोई न कोई दलाल रखे हुए हैं। कोई भी जांच करने के लिये जायं बजाय इसके कि वे गांव में गरीबों के पास जायं और मालूमात करें, वे उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो थाने में तहसीलों में उनके पास आते जाते रहते हैं। आज आपका सब-इन्स्पेक्टर उन्हीं के पास जाता है जिनके पास कमरे होते हैं, जो बड़े-बड़े आदमी होते हैं। कभी कोई गरीब के पास जाकर यह नहीं कहता कि हम आपके सेवक हैं, आपको क्या तकलीफ है। आपका ऐडमिनिस्ट्रेशन तभी सुधर सकता है जब आपके आफिसर्स गरीबों से अपना सम्पर्क रखें और उसी प्रकार उनसे मिलें जिस तरह से बड़े-बड़े आदमियों

से मिलते हैं। उनको चाहिये कि वे उन गरीब आदमियों से पूछ-ताछ करें कि अमुक व्यक्ति चोर है या नहीं। जब आप उनको ऐसी हिदायतें देंगे तभी आपका ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो सकेगा।

इसके अलावा जहां तक सुरक्षा का सवाल है वहां की, आप यह कहते हैं कि उसके लिये जिम्मेदारी गांव सभाओं की है। लेकिन जो प्रतिष्ठित आदमी होते हैं, जिनको बन्दूक आदि के लाइसेंस मिलना चाहिये, उनको उसके लाइसेंस नहीं मिल पाते हैं। मैं अतरौली की मिसाल देता हूं, वहां होता क्या है जो भी सब-इंस्पेक्टर को ५० रुपये दे देता है, उसके लिये तो वे तस्दीक कर देते हैं, भले ही वह उसके लिये काबिल हो या न हो, मगर जो यह रुपया नहीं देता, उसकी सिफारिश वे नहीं करते, भले ही वह कितना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति क्यों न हो।

बंजर जमीन के बारे में मैं क्या कहूं, उसकी बात तो माननीय मन्त्री जी को मालूम ही है। उसके बारे में मैं उनसे कह चुका हूं।

आपने नामजदगी का अधिकार अपने पास क्यों रखा? इसलिये कि आप अपनी रूलिंग पार्टी के ही सदस्यों को नामजद कर सकें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अलीगढ़ जिले में कितने हिस्ट्रीशीटरों को आपने सरपंच बनाया। वे आपके दबाव से सरपंच बने हैं। मैं यह नहीं कहता कि उसके लिये कौन जिम्मेदार है, मन्त्री जी हैं, या पार्लियामेन्ट्री सेक्रेटरीज हैं, मगर जिनको ऐडवाइजरी कमेटी ने रिकमेंड नहीं किया उनको सरपंच बनाया गया। शाम को ६ बजे लिस्ट पहुंचती है, नाम लिस्ट में बढ़ाये जाते हैं, कहा जाता है कि गुप्ता जी के आदेश हैं, हमें तो पालन करना है। जब यह गलती आप मानते हैं तो इसे बदल देना चाहिये आपको। और नहीं तो इस पक्षपात से जो अदालती पंचायतों में हो रहा है, उससे क्या आप समझते हैं कि कि इंसाफ होगा? वहां इंसाफ का खून होगा।

एक बात मुझे यह कहनी है कि यह जो आपने ५ सौ रुपये तक डिग्री करने का अधिकार दे दिया है, यह बहुत बड़ा अधिकार है। गांवों में जो ५ सौ रुपये देने वाला होता है वह अमीर आदमी होगा, वह किसी हैसियत का आदमी होगा जिसके डंडे में बल होगा। आज ही इसके विपरीत यह हो रहा है कि न ५ सौ कोई देता है न ४ सौ कोई लेता है। सिर्फ फर्जी कार्यवाही हो रही है। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरे सारे इन सुझावों पर ध्यान रख कर अमल कराने की कृपा करें।

श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)--

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुदान संख्या ११ पर, जो ग्राम सभाओं और पंचायतों का है, बोलने का अवसर दिया है। श्रीमन्, आज के कटौती के प्रस्ताव को सुनकर मुझे बड़ी निराशा हुई और ऐसी कभी भी नहीं हुई थी। इसलिये निराशा हुई क्योंकि उनके पास कुछ कहने को नहीं था। उन्होंने अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए कोई खास बात नहीं कही। ग्राम सभाओं पर कटौती का प्रस्ताव आना और उस पर कुछ न कहना यह कोई अच्छी बात नहीं थी। हमारा सिद्धांत है गांव उठेंगे तो देश उठेगा और हम इसलिये गांवों के विकास के लिये जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं। यदि हम गांव को नहीं उठा सके तो हमारे देश का उत्थान हो नहीं सकता। इसी दृष्टिकोण को लेकर हमने इस प्रजातन्त्र की स्थापना की। हमारे प्रजातन्त्र की गांव एक इकाई है और वह पत्थर की बुनियाद है जहां पर गांव सभा के प्रत्येक नागरिक को हमने विकास का काम दिया है। गांव सभाओं की स्थापना के बाद कोई चीज ऐसी रह नहीं जाती कि जो मानव समाज के उत्थान में बाकी रह जाती हो। कौन-सा ऐसा कार्य है जो गांव समाज को नहीं करना है। गांव की सफाई, उसका विकास, उसके सड़कों का निर्माण, सारा भार हमने गांव समाज पर डाला है और गांव समाज को अपना उत्थान अपनी जनता के बल पर करना है। अब इसके बाद कौन सी बात रह जाती है ? फिर यह बात कही जाय कि यह नहीं हुआ और यह कार्य बाकी रह गया है।

[श्री जसरामसिंह]

बहुत बार चर्चा इस बात की की गयी है कि गांवों की जो भूमि है उस पर कुछ लोगों का अनाधिकार कब्जा है। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में करीब ढाई लाख अनधिकार कब्जे हैं जो ग्राम समाज की भूमि पर हैं। यह कब्जे कैसे हटें यह एक समस्या हमारे सामने है। बहुत बड़ा सवाल है। ढाई लाख आदमियों से प्रधान मुकदमेबाजी में लगें और किस प्रकार इन ढाई लाख आदमियों को हटाया जाय। इस का कारण मैं एक ही समझा हूं और उसकी तरफ मैं खास तौर से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमने अब पट्टा करने के अधिकार गांव समाज के प्रधानों को दिये हैं। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण कानून है कि जो आदमी पट्टा करने का प्रस्ताव करे वही आदमी पट्टा कराने के लिये जाय मैं ऐसा मानता हूं कि ग्राम समाज के प्रधान को पट्टा कराने का अधिकार नहीं होना चाहिये। अधिकार यह होना चाहिये कि वह अपना प्रस्ताव पास करे और उसको पालन करने वाले हमारे ग्राम समाज के सेवक हैं वह और एस० डी० एम० और तहसीलदार वगैरह उसको करें, प्रधान नहीं, जैसे कि हम विधान सभा में कानून बनाते हैं, लेकिन उनका पालन करने वाले अधिकारी दूसरे होते हैं उसी प्रकार से ग्राम सभा के प्रधान को केवल प्रस्ताव पास करना चाहिये कि फलां आदमी को भूमि मिलनी चाहिये। अब ग्राम सेवक, तहसीलदार अथवा एस० डी० एम० इस बात को देखें कि आया वह प्रस्ताव उचित है या नहीं और अगर अनुचित हो तो उसका पट्टा न किया जाय और अगर उचित समझा जाय तो पट्टा कर दिया जाय। आशा है मन्त्री जी इस ओर ध्यान देंगे।

दूसरा ५०० रुपये की डिग्री का प्रश्न है, उसमें गरीब आदमी ही ज्यादा पिस रहा है। यह अधिकार मुंसिफ या उससे अधिक के अधिकारी को है। मेरा विचार है यह अधिकार न्याय पंचायतों से ले लिया जाना चाहिये। अगर कोई गरीब आदमी किसी शक्तिशाली का कोई कार्य नहीं करता है और अगर उसका न्याय पंचायत में असर है तो वह गलत सलत डिग्री करा कर गरीब आदमी को दबाने का प्रयत्न करता है। इसलिये इस अधिकार को न्याय पंचायतों से ले लिया जाना चाहिये। इन शब्दों क साथ इस अनुदान का मैं समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका विरोध करता हूं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, उधर से कहा जाता है कि हम लोग केवल विरोध के लिये ही विरोध करते हैं परन्तु वास्तव में हम लोग कुछ सुझाव दे रहे हैं, मन्त्राणी जी उनके ऊपर कार्य करें, इसी के लिये यह कटौती का प्रस्ताव लाया जाता है। श्रीमन्, मन्त्री जी ने कहा कि इधर से और उधर से जो डिफिकल्टीज बतायी जाती हैं, जो सुझाव दिये जाते हैं, उन पर अमल करने का प्रयत्न किया जाता है। वास्तव में किसी हद तक यह ठीक ही है और गांव समाज और गांव सभाओं का जो एकीकरण हुआ है, वह ठीक ही हुआ है।

इसके अतिरिक्त गांव सभा में जो श्रम बैंक की स्थापना की गयी है, यह भी बहुत अच्छा कदम उठाया गया है और उसमें जो श्रम के बदले में उसका मूल्य देने की बात रख दी गयी है यह भी बहुत अच्छा कर दिया गया है। इससे लोगों को मिल कर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। सरकार का यह निर्णय प्रशंसा करने योग्य ही है।

यह निर्विवाद सत्य है, चाहे ग्राम सभा को चौखंभा राज्य का एक यूनिट कहें, या पंचखंभा राज्य का एक यूनिट कहें अथवा जनसंघ की एकात्मक शासन की जो कल्पना है उसका एक यूनिट कहें, यह गांव सभा की जो इकाई है वह सदा-सर्वदा रहने वाली है और उस योजना के अन्दर यह सबसे महत्व की इकाई है। साथ ही वर्तमान कानून के अन्तर्गत गांव सभा का जो प्रधान होगा, उसे केवल गांव सभा की सम्पत्ति के डिस्पोजल का ही अधिकार नहीं होता बल्कि अन्य प्रकार के जो अनुदान होते हैं उनके समायोजन करने का भी उसे अधिकार है। उसे क्षेत्र समिति में खड़े होने के लिये, स्वयं चुनने और चुने जाने के लिये, जिला परिषद् का सदस्य स्वयं चुन जाने के लिये वर्तमान कानून में व्यवस्था है और इस तरह से गांव सभा के प्रधान का पद सबसे महत्वपूर्ण पद

हो गया है और वास्तव में देखा जाय तो गांव सभा का प्रधान ही आगे चल कर सारी की सारी राजनीति को चलाने वाला होगा। क्योंकि भविष्य में यह भी नहीं कहा जा सकता कि विधान सभा और लोक सभा का चुनाव इसकी तरह से इनडायरेक्ट होगा। गांव सभा प्रधान के पद के सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक विचार करना होगा कि गांव सभा का प्रधान जितना निष्पक्ष हो उतना ही अच्छा है। उनका क्या कर्तव्य है उनका अधिकार क्षेत्र क्या है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिये साथ ही उसके विषय में योग्य शिक्षा भी हो। योग्य शिक्षा का जहां तक सम्बन्ध है, उसके लिये कोई योग्यता जरूर निर्धारित होनी चाहिये जिसके आधार पर वह काम कर सकें। उसका ठीक प्रकार से निरूपण किया जाना चाहिये। यह बात सत्य है कि गांव सभा के चुनाव के द्वारा हमारे शासन का विकेन्द्रीकरण हुआ है और हमारा अधिकार क्षेत्र बढ़ा है, लेकिन अगर आप गांव-गांव में जाकर देखें तो मालूम होगा कि चुनाव की वजह से गांव-गांव में बहुत पार्टी बन्दी भी कायम हुई है, दलगत स्वार्थ बहुत बढ़ गया है और जातीयता का भी काफी बोलबाला हुआ है। तो सरकार गांव सभा के प्रधान के पद को बहुत महत्व का समझती है और जनसंघ ने भी इस बात को कहा है और कई अन्य विचारकों का यह कहना है कि जहां तक सम्भव हो सके गांव सभा के प्रधान का चुनाव निर्विरोध होना चाहिये। वैसे यह बात सही है कि ४२ प्रतिशत प्लेन में और ९० प्रतिशत और जगह चुनाव ग्राम प्रधानों के निर्विरोध ही होते हैं। तो गांव सभाओं को अधिक अनुदान देकर तथा और दूसरे तरह का आकर्षण देकर इस बात के लिये प्रोत्साहित किया जा सकता है कि उनके यहां चुनाव निर्विरोध ही हों, जिससे आपस में लड़ाई-झगड़े न हो सकें। इसके लिये चुनाव पद्धति में परिवर्तन करने की विशेष आवश्यकता है।

जिस प्रकार से चुनाव पद्धति में परिवर्तन करना चाहिये, ठीक उसी प्रकार से न्याय पंचायतों के चुनाव की पद्धति में भी परिवर्तन होना चाहिये। क्योंकि हमने देखा कि जो न्याय पंचायतों के चुनाव हुए वह सेलेक्ट कमेटी द्वारा बतलाये गये सुझावों के अनुसार ही हुए, लेकिन उसमें भी जानबूझ कर सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया गया। साथ ही जहां-जहां कांग्रेस हार गयी थी वहां हारे हुए व्यक्ति को ही कमेटी का सदस्य बना दिया गया और पक्षपातपूर्ण काम करने को प्रोत्साहित किया गया। कुछ ऐसे भी स्थान हैं, जहां के जिलाधीश ने या और अधिकारियों ने इन्टरफियर नहीं किया, जिससे वहां पक्षपात नहीं हो सका लेकिन कई जगह ऐसे भी पंच हैं जो दलगत स्वार्थ की वजह से पार्टीबन्दी के आधार पर चुने गये। बुलन्दशहर की तो एक जगह की बात मुझे मालूम है कि वहां पूरी की पूरी सूची ही बदल दी गयी, जिसके सम्बन्ध में श्री हिम्मतसिंह जी ने सदन में प्रश्न भी किया था। यह जो सरकार की तरफ से हस्तक्षेप किया गया है वह वास्तव में प्रजातांत्रिक ढंग व विकेन्द्रीकरण की नीति के खिलाफ है। न्याय पंचायत की कोई मीटिंग होती है तो अक्सर उसमें किसान बेचारे जा ही नहीं पाते क्योंकि उनको अपने काम से मरने तक की फुर्सत नहीं होती। ऐसी हालत में जो सरपंच होता है वही विशेष इंटरेस्ट दिखाता है और पूरी कार्यवाही करने के बाद उनसे कागज पर हस्ताक्षर करवा लेता है। इतना ही नहीं, वहां पक्षपात के साथ ही लेन-देन करने वाली बात भी बहुत होती है। इस प्रकार से जो व्यवस्था चल रही है, उस के अन्दर ऐसा किया जाय, वैसे तो पिछले साल एक हमारे वरिष्ठ सदस्य ने कहा था कि जब सभी स्थानों पर न्याय करने वालों को पैसा दिया जाता है तो इन लोगों को कोई पारिश्रमिक ही क्यों नहीं दिया जाता। मैं उन के लिये किसी वेतन दिये जाने की बात नहीं कहता लेकिन जो किसान घर के काम को छोड़ कर वहां जाकर बैठता है दिन भर के लिये उस को उस के लिये भत्ता ही दिया जाय तो वह कम से कम उस के द्वारा अपनी गैरहाजिरी में किसी मजदूर को रखकर उससे अपना काम तो करा सकेंगे, इस से वह काम में भी इन्टरेस्ट लेंगे और ज्यादा ईमानदारी से वह काम कर सकेंगे। एक और संशोधन की बात जो इस कानून में है वह यह है कि हमारे यहां जो न्याय पंचायतों के फैसले होते हैं उन का केवल रिवीजन ही होता है और उसके बाद कोई अपील नहीं है, उस में अपील की व्यवस्था होनी चाहिये और हाकिम परगना और मुन्सिफ के फैसले के खिलाफ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये और किसी जज के यहां अपील का मौका दिया जाना चाहिये।

[श्री रक्षपालसिंह]

इस के अलावा प्रधानों का जो चुनाव हुआ है और पेटीशनों में हाकिम परगना द्वारा जो जल्दी के नाम पर और समय के नाम पर बहुत ज्यादती हुई हैं, वह कहते हैं कि आप हाई कोर्ट में जायें, लेकिन वह गांव के लोग जो इतनी हैसियत और समय नहीं रखते वह हाई कोर्ट नहीं जा सकते इसलिये वह मनमाने और बिना सबूत लिये ही फैसले किया करते हैं। अगर हाकिम परगना के निर्णय के विरुद्ध जज के यहां एक अपील हो तो मुनासिब होगा। हाई कोर्ट में जो रिवीजन की गुंजायश है, उससे लोगों को लाभ नहीं होता। जो नियम २५ है पंचायत राज का वह हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किया गया है, इसलिये उस के लिये भी अब सरकार की तरफ से कोई प्राविधान होना चाहिये जिससे जिलाधीश ज्यादती होने पर हस्तक्षेप कर सकें।

५०० रुपये तक के फैसलों का जो जुरिसडिक्शन है उस के बारे में यहां कहा गया, उस में कमी होना चाहिये। दफा ५५ के अन्तर्गत जिस मुकदमे को हाकिम परगना ले ले उसमें वह चाहे तो जेल की सजा कर दे लेकिन पंचायत में जाय तो केवल जुर्माना हो, पंचायत के ऐसे मुकदमे जायं तो उन्हें भी वही पावर होना चाहिये। (लाल बत्ती जलने पर) दो एक और बातें हैं, कांस्टीट्यूशन जो गांव सभाओं का है उन में कुछ कमी देखने में आई है, यह कि गांव सभाओं का जो क्षेत्र है वह कान्टिन्युअस नहीं है, २ गांव इधर के ले लिये और फिर ३ उधर के ले लिये गये हैं, एक सिलसिला होना चाहिये। इसके अलावा पंचायत मन्त्रियों का वेतन बढ़ाया जाय क्योंकि उनका क्षेत्र अधिक है और काम भी अधिक करना पड़ता है।

(श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

अधिष्ठाता जी, यह कांग्रेस सदस्य के रूप में इन का पहला भाषण होगा।

श्री मुकुन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

अधिष्ठाता महोदय, शायद आप को ज्ञात होगा कि भारतवर्ष में ही संसार में सब से पुराना पंचायत राज का संगठन रहा है। सातवीं शताब्दि में और बौद्ध काल में हमारे यहां गणतन्त्र राज्य थे और ऐसी रिपब्लिक्स थीं और उन के विषय में बहुत-सी किताबें लिखी गई हैं। थोड़ा सा मैंने भी इस विषय में लिखा था। मेरा मतलब यह है कि कोई नई बात नहीं है। हम प्राचीन काल से गणतन्त्र और पंचायत राज के आदी हैं। समाज और मानव जीवन में सम्बन्धित सारी व्यवस्थायें और समस्यायें पंचायतों के द्वारा हल हो सकती हैं। प्राचीन गणराज्यों (पंचायतों) को सबसे पहले चाणक्य ने नष्ट किया क्योंकि वह चन्द्रगुप्त का मंत्री था और यह चन्द्रगुप्त सम्राट को गद्दी पर बिठाना चाहता था, उस ने सोचा कि जबतक यह गणराज्य रहेंगे तब तक उसका काम नहीं बनेगा। इसलिये उसने सबसे पहले उन गणतंत्रों को नष्ट किया और उसके बाद फिर ब्रिटिश राज के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उनको नष्ट किया। परन्तु यह बड़ी खुशी की बात है और हमारा अहोभाग्य है कि इस कांग्रेस के राज्य में अब फिर हमारी पंचायतों का पुनर्निर्माण हुआ है। उनका संगठन हुआ है, उन्हें शक्ति दी गई है। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वह इस विभाग का संचालन कर रही है जिसका जनता से सबसे ज्यादा संबंध है। उन्होंने सुचारुरूप से समझाया कि हमारा गणतंत्र राज्य है, ग्राम राज्य है। एक बात मुझे बहुत पसन्द आयी कि वे इस बात पर सहमत हैं कि हमको अपनी जनता को मजबूर करना होगा कि वह अपनी सेवा करें। हर एक व्यक्ति को साल भर में ९६ दिन मजबूरन काम करना पड़ेगा चाहे वह काम सड़क या स्कूल निर्माण का हो या अन्य कोई कार्य उनके हित का हो। मैं तो चाहता हूं कि ९६ दिन नहीं बल्कि कम से कम १५० दिन हमको अपने हाथों से समाज सेवा करनी चाहिये। मैंने देखा है कि यात्री या समाज सेवा के कार्यकर्ताओं को बोझा ले जाने के लिये आदमी नहीं मिलता है। नियोजन विभाग में काम करने वालों को नियमानुसार कुछ भत्ता मिलता है लेकिन ५, ६ मील जाने के लिये उनको ४, ५ रुपया कुली का देना पड़ता है।

उन्हें अपना सामान ले जाने के लिये मजदूर नहीं मिलेगा । इसलिये ग्राम पंचायत का यह फर्ज होना चाहिये कि जब कोई यात्री, कोई अहलकार आये तो उससे माकूल मजदूरी ले कर उसके सामान का ढुलान करा दें । इस समय १ मील के लिये १ रुपया कुली को देना पड़ता है तब कोई सफर कर सकता है ।

जैसा मैंने पहले भी इस सदन म कहा है मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि न्याय करने का अधिकार पंचों को अधिक दिया जाय । पंचायतों को जो यह अधिकार दिया गया है यह बहुत खतरनाक है । मेरा अनुभव है कि पंचों ने कहीं कहीं अपनी दुश्मनी निकालने के लिये लोगों पर अन्याय किया है । अपने दुश्मनों को बरबाद कर दिया है । इसलिये विचार करना होगा कि न्याय की शक्ति उनको देनी चाहिये कि नहीं। मेरा सुझाव है कि ५०० रु० के बजाय उनको सिर्फ १०० रु० तक दीवानी का अधिकार हो और केवल ३२३ दफा के मुकदमे करने के अतिरिक्त और कोई अधिकार उनको न हो । इतने काम को अगर पंचायतें अच्छी तरह करती हैं तब अधिक शक्ति न्याय की उनको दी जाय । मगर इस समय उनको ज्यादा अधिकार नहीं मिलना चाहिये । मंत्री जी ने कहा कि पंचायतों के जरिये पंचायती जंगल बना सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं । इसमें मेरा एक सुझाव है । मेरा अनुभव है पहाड़ों का, कि वहां बहुत सारे पंचायती जंगल पंचायतों के अधिकार में हैं और पंचायतें अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिये पेड़ों को कटवा कर सस्ते दामों पर उनको दे देती हैं । होना यह चाहिये कि पंचायत जिन पेड़ों को कटवाना उचित समझे उनको कटवाये लेकिन कीमत उनकी उसी रेट से पंचायतों को मिलनी चाहिये जो जंगलात की हो, यानी पेड़ों का नीलाम डी० एफ० ओ० के अधीन किया जाय । पंचायती जंगलों के पेड़ों को बेचकर जो कुछ रुपया मिले वह पंचायतों को मिलना चाहिये, लेकिन इस समय पूरी कीमत नहीं मिलती है पंचायतों को ।

दूसरे जब कोई पंचायत अपने जंगलों को कटवाना चाहती है तो यह भी देखना होगा कि उन पेड़ों को कटवाने से या उनकी रक्षा करने से ज्यादा फायदा पंचायत और जनता का होगा या कटवाने से । इस प्रकार का कोई नियंत्रण होना चाहिये और पंचायत को वह शक्ति नहीं होनी चाहिये जो उनको मिली हुई है जिसके कारण वे अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिये पंचायती जंगलों के पेड़ों को कटवा देते हैं । श्रमदान के जरिये गढ़वाल में पंचायतों ने बड़े-बड़े काम किये हैं । गढ़वाल में दुगड्डा से पौड़ी तक जो सड़क जा रही है, सतपुली से नौगोंखाल और चौबटाखाल तथा रामनगर से धूमाकोट तक जो सड़क जाती है वह श्रमदान से शुरू हुई है, और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये हमारे मंत्री जी को इसमें हाथ बटाना होगा । नैनीडांडा में ब्लाकों में जो सड़कों के लिये रुपया दिया गया उसमें से उन्होंने २० हजार रुपये में ५ मील मोटर सड़क बनाई है । तो यह आजादी हमारी पंचायतों को मिलनी चाहिये जो सड़क के लिये रुपया उनको मिलता है उन्हें अधिकार हो कि बजाय गांवों की सड़कों बनाने के बदले अगर मोटर सड़क बनाना चाहें तो बना लें । यह भी कानून के अन्दर होना चाहिये कि गांव के अन्दर जो रास्ते हैं उन्हें भी पंचायतों को बनाना होगा । श्रमदान ९६ दिन का साल में है उसे वह उस काम में ला सकती हैं ।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेशन में और उनके संचालन, उनकी देख रेख में बड़ी त्रुटियां हैं । पंचायतें राज्य की बुनियादी इकाइयां हैं । अगर उनमें दोष आने लगे तो कुछ नहीं हो सकेगा । जब तक हम दोषों को, करप्शन को बुनियाद से नहीं हटायेंगे तब तक हम ऊपर से उसे दूर नहीं कर सकते । लिहाजा इस ओर भी हमको कोशिश करना चाहिये ।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

अधिष्ठाता महोदय, गांव पंचायतें हमारे शासन में सबसे छोटी इकाई मानी जाती हैं परन्तु इसके हिसाब को रखने के लिये हमेशा इस सदन में आवाज उठाई जाती है । हम लोगों की तरफ से बराबर इस बात की मांग की गयी है कि गांव पंचायतों के आय-व्ययक का आडिट सालाना क्यों नहीं कराया जाता है लेकिन सरकार हमेशा इसमें फेल रही है और केवल एक जवाब सरकार की

[श्री छंगुर]

तरफ से मिलता है कि विभाग में आडिटरों की कमी है । आखिर इस विभाग में आडिटरों की कमी क्यों रही है ? क्या कारण है कि और जगह एक आदमी की मांग की जाती है तो सैकड़ों उम्मीदवार पहुंचते हैं लेकिन गांव सभा का आडिट संगठन जो १९५६ में कायम किया गया था उस समय १६५ आडिटर पर्याप्त समझे गये थे लेकिन आज तक ये जगहें पूरी नहीं की जा सकीं ? क्यों नहीं सरकार आडिटरों की संख्या बढ़ा कर गांव सभाओं के लेखों का आडिट कराती है ? हमेशा यह आवाज उठती है लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती । आडिटर न मिलने का मुख्य कारण यह है कि जितना परिश्रम उनको वहां करना पड़ता है, उसको देखते हुये सरकार ने उनका स्केल बहुत पुअर रखा है । जब पंचायत आडिटरों की नियुक्ति हुई थी तो उनकी ड्यूटी को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक समझा गया था कि एक चपरासी उनको दिया जाय लेकिन आज वह सुविधा छीन ली गयी । इस तरीके से हर आडिटर को अनेक प्रकार की कठिनाइयां उठानी पड़ती हैं । कागजात के लिये उसको गांव गांव जाना पड़ता है । प्रधान से जब कागज मांगे जाते हैं तो वह कहते हैं कि कागज दुरुस्ती के लिये सभी कागज पंचायत मंत्री के पास गये हैं और जब पंचायत मंत्री से मांगे जाते हैं तो वह कहता है कि सभी कागजात प्रधान के पास रहते हैं । इस तरह से आडिटर को बहुत दौड़ना पड़ता है और आडिट भी ठीक तरह से नहीं हो पाता । इसलिये मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि अगर गांव सभाओं के एकाउन्ट्स ठीक ढंग से रखना चाहती हैं तो यह आवश्यक है कि हर साल आडिट किया जाय तभी एकाउंट्स की हालत सुधर सकती है । मंत्री जी ने बताया कि गांव पंचायत हमारी सबसे छोटी इकाई है । उसको बहुत अधिकार दे दिये गये हैं और तमाम अनुदान दिये जाते हैं निर्माण के लिये, कुएं बनाने के लिये, सफाई के लिये, इत्यादि, लेकिन जो अनुदान उनको दिये जाते हैं या जो टैक्स आदि से उनको आय होती है उसका यूटिलाइजेशन ठीक ढंग से होता है या नहीं उसके लिये यह आवश्यक है कि गांव सभाओं के लेखों का सालाना आडिट हो और जबतक यह नहीं होगा तबतक उनके एकाउंट्स सुधारे नहीं जा सकते । आजतक जो आडिट हुआ है, उससे उनके एकाउन्ट में कोई सुधार नहीं हुआ । सन् १९५६ में गांव सभाओं के एकाउन्ट के आडिट के लिये आडिट संगठन कायम किया गया था । हमारे सूबे भर में ७२,९०९ गांव सभायें हैं और ८,५८५ न्याय पंचायतें हैं । इनमें से १९५९-६० तक यानी चार साल के अन्दर ६,८८४ गांव सभाओं और १,५२२ न्याय पंचायतों का आडिट हो पाया था । १९६०-६१ में २४,७३७ गांव सभाओं और २,९३६ न्याय पंचायतों का आडिट हुआ । १९६१-६२ में ४०,९१९ गांव सभाओं और ६,४३४ न्याय पंचायतों का आडिट हुआ । इस प्रकार के आडिट से एकाउन्ट्स में कोई सुधार नहीं हो सकता । यही नहीं जो आज तक आडिट हुआ है, उसकी कम्पलाइन्स नहीं हुई । इसके लिये कई बार लिखा पढ़ी की गई और शिकायत भी की गई कि जो आडिट रिपोर्ट सबमिट की जाती है, उसकी कम्पलायस नहीं होती है । लेकिन पंचायती अधिकारियों द्वारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि गांव पंचायतों के हिसाब का लेखा-जोखा ठीक करने के लिये या गांव सभा के कागजात को दुरुस्त करने के लिये एक पंचायत सेक्रेटरी रखा जाता है, लेकिन इसके साथ ही साथ गांव समाज की जो सम्पत्ति होती है उसका सेक्रेटरी लेखपाल होता है । इसका गांव के कामों से कोई संबंध नहीं होता । जिन कामों में गांव समाज की सम्पत्ति का प्रयोग किया जा सकता है उनमें न करके अपने तरीके से उसका वह इस्तेमाल करता है । गलत तरीके से प्रधान की बगैर जानकारी के जो उसको रुपया देता है, उसके नाम में दर्ज कर देता है । इस तरह गांव समाज की सम्पत्ति गांव सभाज के फायदे में न जाकर दूसरे की जेब में जाती है । इसलिये मैं चाहूंगा कि गांव समाज की सम्पत्ति का जो सेक्रेटरी लेखपाल हैं उसके बजाय गांव सभा का सेक्रेटरी होना चाहिये । गांव सभा की सम्पत्ति काफी होती है लेकिन उसका प्रयोग गलत तरीके से होता है । गांव सभा की जो फालतू जमीन होती है उसको गांव सभा भूमिहीनों को दे सकती है । लेकिन इससे उल्टा होता है । जिसके पास जमीन नहीं है, जो खेती करना चाहता है, उसको फालतू जमीन नहीं दी जाती है बल्कि उसको दी जाती है, जिसके पास जमीन है, जो खुद खेती न करके दूसरों से खेती करवाता है, वह गांव सभा के प्रधान से मिलकर, लेखपाल से मिलकर जमीन ले लेता है ।

श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)--

श्रीमन्, माननीय मंत्री महोदय ने जो अनुदान इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । प्रजातंत्र की प्रणाली में पंचायत का बड़ा भारी महत्व हुआ करता है । वास्तव में जब से जमींदारी और ताल्लुकेदारी का उन्मूलन हुआ तब से गांवों में न तो कोई ऐसी संस्था थी और न कोई व्यक्ति विशेष था जो गांवों के आये दिन के झगड़ों को तय करे। शायद इसी आधार को लेकर पंचायतों का यहां निर्माण हुआ । जब नियम बनाये जा रहे थे और जो बातचीत हो रही थी तो उस समय वास्तव में यह देखा गया कि कोई ऐसी कमी न रहे, जिससे कोई अड़चन पड़े। लेकिन आप जानते हैं कि गांव के लोगों में प्रायः शिक्षा की कमी है और यह कमी कुछ दिनों बाद दूर होगी । इसी के अनुसार जो नियम हैं उनको गांव के लोग समझते नहीं हैं। इसी आधार पर हमारे सदस्यों ने अपना सुझाव दिया है कि जो न्याय पंचायतों को ५०० रुपये तक के अधिकार दिये गये हैं वे अधिक हैं। वास्तव में कुछ दिनों बाद दिये जाते तो अच्छा होता। माननीय मुकन्दीलाल जी की बात का मैं भी समर्थन करता हूं। जन्म और मृत्यु का रजिस्टर जो गांव में रखा जाता है उसका ह्रास हो गया है । हमारा खयाल है कि उसकी तालिका ठीक से तैयार नहीं की जा रही है बहुत सी पंचायतों में जन्म-मृत्यु का रजिस्टर लिखा ही नहीं जा रहा है । पहले चौकीदार की डियूटी होती थी कि थाने में जाकर लिखाता था । अब शायद ही कोई सभापति रियासत हुसैन साहब की तरह होंगे जो तैयार करते हों । सब लोग तैयार नहीं करते हैं । मैं यह सुझाव देता हूं कि यह सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वह जाकर उस रजिस्टर को सभापति के यहां लिखे । बहुत से सभापति पढ़े-लिखे नहीं हैं, या केवल नाम मात्र को पढ़े हैं और लिख नहीं सकते । माननीय मंत्री ने कहा कि गांवों में बहुत से हैंड पम्प लगाये गये । लेकिन मैं अपने जिले की बात कहता हूं । जहां-जहां लगाये गये वह बिल्कुल बेकार हैं । अगर वहां पर कुएं बना दिये जाते तो ज्यादा अच्छा होता । इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि इस की जांच पड़ताल कर ली जाय और वहां पर बजाय हैंड पम्प के कुएं बनवा दिये जायं तो ज्यादा अच्छा होगा ।

यह भी प्रायः देखा जाता है कि ग्राम सभा की जमीन सभापति लोग अपने भाई या रिश्तेदारों के नाम कर देते हैं । इसलिये इस चीज की विशेष देख-रेख होनी चाहिये और उनके पट्टे कैंसिल होने चाहियें । नियम तो यह है कि भूमिहीनों को भूमि दी जाय लेकिन बहुत से भूमिहीन बेचारे ऐसे हैं जो अदालतों में नहीं जा पाते । नतीजा यह होता है कि वही लोग उस भूमि पर कब्जा किये रहते हैं । यह होना चाहिये कि जो ग्राम सभा के पेड़ हैं, जंगल हैं, जमीन है उसकी एक तालिका होनी चाहिये सभापति के पास ब्यौरा होना चाहिये कि इतनी चीजें ग्राम समाज की उसके पास हैं । नीलाम के समय गिरदावर कानूनगो को रहना चाहिये । अक्सर देखा जाता है कि सैकड़ों की चीज चार आने, आठ आने में नीलाम कर दी जाती है । प्रायः यह देखा जाता है कि जहां पर जमींदार लोग सभापति हो गये हैं वहां नीलाम ही नहीं करते । वह अपने कब्जे में उसी प्रकार पेड़ और भूमि रखे हुए हैं जैसे उस गांव में जमींदारी समाप्त हुई ही न हो । होना यह चाहिये कि ग्राम सभा के रजिस्टर में यह दर्ज होना चाहिये कि जमींदारी उन्मूलन के बाद ग्राम समाज में इतनी भूमि निहित हुई ।

सेक्रेटरी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता । न न्याय पंचायत के अन्दर उसकी उपस्थिति होती है हालांकि सम्मन तैयार करके भेजवाने की उसकी जिम्मेदारी है । बहुत से सरपंच बिलकुल पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन चुन लिए गये । चाहिये यह कि वहां पर सेक्रेटरी हाजिर रहे और वह लिखे । बहुत सी जगह सरपंचों ने शिकायत भी की है कि सेक्रेटरी उपस्थित नहीं रहता है । यह होना चाहिये कि सेक्रेटरी और ग्राम सेवक का पद एक कर देना चाहिये । इनको अलग रहना ठीक नहीं है ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है । कुछ ऐसा लगता है कि बार बार माननीय कृष्णानन्द जी, बनारसी दास जी से पूछकर आपके कान में कुछ कहते हैं यह सदन का अपमान लगता है इस तरह से ।

श्री अधिष्ठाता--

कृपया शांति रखें ।

श्री रामबली मिश्र--

श्रीमन्, प्रायः जो कार्यकर्त्ता हैं वह अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं करते हैं । उनको चाहिये कि अपने कर्त्तव्यों का पालन करें । यह जरूर है कि हमारे देश में नैतिकता का ह्रास हो गया है, धीरे धीरे वह नैतिकता आयगी और पंचायतों के जरिये से वह ज्यादा आ सकती है । जहां तक शिक्षा का संबंध है सभापतियों को चाहिये कि वह अपने यहां लिस्ट तैयार करें कि कितने शिक्षित हैं, कितने अशिक्षित हैं ? कितने बालिग अशिक्षित हैं और कितने नाबालिग अशिक्षित हैं ? और नाबालिगों में किस उम्र के कितने अशिक्षित हैं । इसी प्रकार से स्त्रियों में भी होनी चाहिये । प्रायः देखा जाता है कि जो गांवों में ग्राम लक्ष्मियां काम करती हैं वह उन्हीं लड़कियों को अपने यहां पढ़ाती हैं जो स्कूलों में पढ़ा करती हैं । यह ऐसे स्थानों पर होना चाहिये कि जो लड़कियां स्कूल न जाती हों, वही उसमें रखी जायं और प्रौढ़ स्त्रियों के लिये भी व्यवस्था होनी चाहिये । इन चन्द सुझावों के साथ मैं आशा करता हूं कि इनके ऊपर ध्यान दिया जायगा ।

श्री मैनेजरसिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान की मांग प्रस्तुत है, उसे घटाकर एक रुपया कर देने का जो प्रस्ताव पेश है उसका मैं समर्थन करना चाहता हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह कोई फर्ज अदायगी के लिये मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा हूं बल्कि सोच-समझकर इसका समर्थन करना चाहता हूं । जो अनुदान की मांग आदरणीय सदन में प्रस्तुत है उस पर यदि गौर किया जाय तो देखने को मिलेगा कि जहां गत वर्ष १७ हजार सौ रुपया निदेशन के वेतन में व्यय हुआ वहां वह रकम ३१,९०० रुपया बढ़ाकर कर दी गई है। दो ही बढ़ोत्तरी नजर आयी। एक तो निदेशन के व्यय में और दूसरा जो सबसे एक गलत तरीका विकेन्द्रीकरण के तौर पर आडिट आर्गेनाइजेशन के नाम से एक संगठन कायम किया जा रहा है उस पर ३७ लाख रुपये का एक प्रोपोजल है और उसको क्रमवार व्यय करने की बात कही गई है । इस आडिट आर्गेनाइजेशन को जिस रूप में रखा गया है, उसको देखने से ऐसा लगता है कि प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का जो नक्शा हमारे देश के विचाकों के दिमाग में है और जिनकी वजह से प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का कार्य इस देश में चल रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश उत्तर प्रदेश की सरकार ने नहीं की है । हमारे क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम में वित्त अधिकारी की व्यवस्था है और उस वित्त अधिकारी को इस आडिट आर्गेनाइजेशन में आप रखते हैं, उसका वेतन देते हैं और जो सर्विसेज हैं उनका अलग एक कैडर आप बनाना चाहते हैं । एक तरफ तो क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम में आप कहते हैं कि एक वित्त अधिकारी होगा परिषद् का और फिर यहां कहते हैं कि राज्य का वित्त अधिकारी के अन्तर्गत जिले का वित्त अधिकारी होगा । उसके लिये एक ढांचा आपने खड़ा किया और यह भी कहा कि वह परामर्श देगा, जांच करेगा और पता नहीं क्या-क्या करेगा । परिषद् को परामर्श देना और परिषद् के एकाउन्ट और क्षेत्र समिति के एकाउन्ट की जांचकरना इनका कार्य होगा । यह स्पष्ट नहीं है कि उनके कार्य का किस तरह से वर्गीकरण होग क्यं कि उनका पद जो आपने दिया है वह अधिनियम में जिला परिषद् के मातहत दिया है जहां विकेन्द्रीकरण का अधिकार दिया गया है वहां आपने उसका नियंत्रण स्टेट स्तर पर रखा है। यह प्रजातांत्रिक नियम के विरुद्ध है । इसलिये मैं इस मांग का विरोध करता हूं ।

मैंने देखा कि साइकिल और फर्नीचर आदि पर खर्च है । इस इमर्जेंसी के समय में जब कि एक पाई के व्यय पर अंकुश होना चाहिये इस प्रकार के खर्चे में कटौती होनी चाहिये थी । ऐसे अनावश्यक व्ययों को आज इस बजट में नहीं रखना चाहिये था किन्तु मुझे खेद है कि इस मांग में कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है कि पंचायतों की आर्थिक हालत को दुरुस्त किया जायगा पंचायतों के अनुदान को बढ़ाने के लिये इसमें कोई व्यवस्था नहीं है । पंचायतों की माली हालत दुरुस्त करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । कहा गया कि पंचायतों को कर्जे देने की व्यवस्था पिछले दो साल से प्रारम्भ की गई है । वह व्यवस्था उचित है और सराहनीय है, लेकिन उस मद मेंजितना पैसा रखा जाता है वह बिलकुल ही कम है । उसमें बढ़ोत्तरी की गई होती तो मैं उसका स्वागत करता ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश की बदकिस्मती है कि इस प्रदेश में पंचायती राज को पकड़ने की कोशिश नहीं की गई है । आदरणीय बलवन्त राय मेहता, डे साहब और श्रद्धेय ज प्रकाश नारायणजी के प्रभाव से पंचायती राज का जो दौर प्रारम्भ हुआ है, उसको पकड़ने का प्रयास इस प्रदेश के अन्दर नहीं किया गया है । इच्छा से नहीं बल्कि अनिच्छा से उस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की कोशिश है । जो सरकार के नियम और कायदे हैं वह मत्स्य विधान की तरह से हैं जिसमें बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है और छोटी मछली उससे छोटी मछली को निगलने की कोशिश करती है । उसी तरह का यह आपका विधान है। जिस प्रकार से नये अधिनियम के अन्तर्गत जिला परिषद् और क्षेत्र समिति का संगठन किया गया है, उसके एक-एक शब्द में सरकारीकरण की गन्ध आती है । इस अधिनियम के ३३(१) में इस बात का अधिकार दिया गया है कि जिला परिषद् जिले के मेलों का वर्गीकरण करेगी । वह क्या वर्गीकरण करेगी ? वह पंचायत की आय वाले मेले का वर्गीकरण करेगी। उसको मेले के वर्गीकरण करने का अधिकार देकर । गांव सभा के अधिकार का अपहरण किया गया है । पंचायत मेले का वर्गीकरण आपने जिला परिषद् के हाथ कर दिया है । चाहे परिषद् क्षेत्र समिति को दे या जिला परिषद् स्वयं ले ले । पंचायत को पहले जो हक प्राप्त था उसको आपने नये प्रजातांत्रिक अधिकार के नाम पर उससे छीन लिया है । ३३ (१) में मेले का वर्गीकरण है और ३६ (ख) में पंचायत की आय को लेने का अधिकार परिषद् को दिया गया है । जितनी प्रतिशत में सरकार नियत करे उतनी प्रतिशत में जिला परिषद् अपने जिले की तमाम पंचायतों से आय ले सकती है । यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं है बल्कि यह सत्ता का केन्द्रीकरण है। नीचे की संस्था के अधिकार को आपने ऊपर लिया है । वही हालत जिला परिषदों की है । जिला परिषद् के ऊपर नाना प्रकार का अंकुश प्रांतीय सरकार का है । मैंने निवेदन किया कि यह विधान मत्स्य विधान की तरह से है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है और उससे छोटी मछली अपने से छोटी को खा जाती है । उसी तरह का विधान यह सरकार देने का प्रयत्न कर रही है ।

(इस समय ४ बजकर ९ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

गांव समाज की चर्चा हमारी आदरणीया मन्त्राणी जी ने की । गांव समाज के विलिनीकरण की बात हम वर्षों से सुन रहे हैं । आज हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में गांव समाज को गांव पंचायत के अधीन किया जाय । इसमें बहुत सी गड़बड़ी है। आपने लेखपाल को भूमि प्रबन्धक समिति का सेक्रेटरी बनाया है। पंचायत के लोगों की मांग थी कि आप पंचायत के सेक्रेटरी को उसका सेक्रेटरी बनायें । सब जानते हैं कि रेविन्यू विभाग उत्तर प्रदेश में बहुत प्रभावशाली विभाग है । लेखपाल को संयुक्त सेक्रेटरी बनाते लेकिन यह आपने नहीं किया । मैं चाहता हूं कि लेखपाल को संयुक्त सेक्रेटरी बनाये और पंचायत के सेक्रेटरी को भूमि प्रबन्धक समिति का सेक्रेटरी बनायें । साथ ही उसमें १५ प्रतिशत तक एक कन्सालिडेटेड गांव समाज कोष की उसमें व्यवस्था कर दी । आप देखें कि उसका क्या सदुपयोग होगा । इसका फल केवल मुकदमें बाजी ही होगी। यह पैसा गांव समाज की आय का कन्सालिडेटेड गांव समाज फन्ड में जायगा। वह मुकदमेंबाजी में ही खर्च होगा। इसलिये मेरा आपसे यह अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार होना चाहिये हैं। गांव समाज के जो वकील हैं वह गांव समाज के मामलों में ईमानदारी से काम करना नहीं चाहते हैं। इस तरह से आप देखें कि जो गांव सभाओं के चेयरमैन हैं, उनको कठिनाइयां होती हैं। इसलिये आप इस व्यवस्था को खत्म कर दें।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अदालत पंचायतों के चुनावों में बड़ी गडबड़ी हुई है। हम बराबर यह चाहते हैं कि एम० एल० ए०, एम० पी०, इस सेलेक्शन कमेटी में न रहें। परन्तु मुझे बहुत खेद है कि आदरणीय मंत्री जी के कार्यकाल में उनसे एक पार्टीबाजी की बात कराई गई। जो हारे हुये लोग थे, सरकारी पक्ष के उसमें से एक सदस्य बढ़ा दिया गया। इस साल पहिले एम० एल० ए० और एम० एल० सी० को रखा गया था और अब हारे हुये लोंगों को भी पार्टीबाजी के ही कारण शामिल कर लिया जाता है। यह नहीं होना चाहिये। जो हारे हुये लोग पार्टीबाजी के आधार पर लिये गए हैं, वह भी

[श्री मैनेजरसिंह]

पार्टीबाजी को ही बल देंगे। इस तरह से कार्य सुचारुरूप से नहीं चल सकेगा। हमारी सुचेता बहन ने माननीय चन्द्रभानु गुप्त की सरकार के अन्तर्गत माननीय बनारसीदास जी के दबाव में आकर यह काम किया है। अब, मैं निदेशालय के बारे में कुछ कह देना चाहता हूं। सर्वप्रथम भ गव जी हमारे पंचायत राज के संचालक थे, उस समय जो आव ज पंचायत की इस प्रदेश में थी और जो रुतबा था वह आज नहीं है। उसके बाद हमारे श्री चूड़ामणि जी आये और किसी हद तक सम्भाला। और टन्डन साहब ने तो सत्यानाश ही पंचायत विभाग का कर दिया। उसके -ाद श्री भगवन्तसिंह जी ने उसमें फिर प्राण डालने की कोशिश की। हमारे श्री चूड़ामणि जी कुछ संचार करेंगे, इस प्रकार की कुछ आशा थी परन्तु वह भी पूरी नहीं हुई निराशा ही हाथ लगी। इस पंचायत राज में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है, जिनमें तेज हो, जिनमें स्फूर्ति हो, जिनमें यह गुण न हों उनकी आज आवश्यकता इस विभाग में नहीं है और ऐसे व्यक्ति को पंचायत का प्रधान कार्याधिकारी नहीं बनाया जाना चाहिये। मैं मंत्राणी जी से चाहूंगा कि वह किसी योग्य व्यक्ति को जिसमें कि स्फूर्ति हो, तेज हो, और योग्यता हो और जो पंचायत राज के सिद्धांतों को पकड़ता हो, ऐसे व्यक्ति को आप पंचायत राज का निदेशक बनायें जो कि प्राण डाल सके और जो निर्माण कार्य करा सके। इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिसा झांसी)--

श्रीमन्, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। परन्तु बड़ा अफसोस हुआ कि विरोधी पक्ष की ओर से विरोध करने के लिये ही इस अनुदान को घटाकर केवल एक रुपया कर देना चाहते हैं। और वह सारे पंचायत राज का संचालन केवल एक रुपये से करवाना चाहते हैं। परन्तु मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस सरकार से उनको ऐसी आशा नहीं करनी चाहिए। इस प्रदेश में ग्राम पंचायतों की और पंचायती राज को स्थापना करके हमने उन लाखों लोगों को जो इसमें काम कर रहे हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में और दूसरे रूप में, उनको शासन के विकेन्द्रीकरण का मार्ग सिखाया है। जिला परिषद् और क्षेत्र समिति हमारे शासन का एक मुख्य अंग हैं और यदि इनको नींव का पत्थर कहा जाय तो अत्योक्ति न होगी। हम गांव के लोगों के सहयोग से उनकी शक्ति के अनुसार उनको अधिकार दे रहे हैं। लेकिन यह अत्यन्त आवश्यक हैं कि उनको उनके पद के अनुसार कार्य दिया जाय। परन्तु आज इतनी शिक्षा नहीं है और पढ़े लिखे लोगों की संख्या कम है। परन्तु जो कुछ भी है, उनके ही सहयोग से यह कार्य किया जा रहा है। इसलिये यह आवश्यक है कि जो अधिकारी हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन सब के सहयोग से ही और सलाह मशविरे से ही, उनको आगे आने वाली जिम्मेदारी के लिये तैयार करना है। यह अत्यन्त आवश्यक है। मैं नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले चन्द महीनों से जो माननीय सदन में यह प्रदर्शन हमने किये हैं और कार्यवाहियां की हैं उनसे गांव सभाओं और पंचायतों में यह प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है कि लोग कहते हैं कि इससे अच्छा तो हम अपनी पंचायतों का संचालन करते हैं। तो हम तो विरोधी पक्ष से आशा करते हैं कि वह हमारी खामियां बताये और शासन में किस प्रकार सुधार की आवश्यकता है इसकी ओर ध्यान आकर्षित करें, बजाय इसके कि यह कहें कि बजट एक रुपया कर दिया जाय। इससे तो स्पष्ट है कि आप के पास कोई दलील या सुझाव नहीं हैं, केवल विरोध करने के लिये आप इस तरह का कटमोशन लायें हैं। एक निवेदन और है कि आगामी चुनाव हो तो विधान सभा की मतदाता सूची के आधार पर ग्राम पंचायतों का चुनाव होना चाहिए। न्याय पंचायतों के संबंध में मेरा निवेदन है कि न्याय पंचायतों की जो कमेटी बनी है वह समाप्त करदेनी चाहिए। न्याय पंचायतों का चुनाव वहां के लोगों पर छोड़ देना चाहिए, जिसको वह चुनना चाहते हैं चुनें। केवल इतना मैं निवेदन करूंगा कि सरपंच जज के द्वारा नामिनेट होना चाहिए। किसी न्याय के हैड का चुनाव कराना कोई उचित बात नहीं होगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्रधानों की कुछ शर्तें होनी चाहिए खड़े होने के लिये जैसे सामाजिक सेवा इत्यादि । तो जब शर्त की बात आप करते हैं, उसका मतलब है कि चन्द लोगों में आप उस पद को बांध देना चाहते हैं। आजादी के बाद देश के संचालन का भार सभी लोगों के कन्धों पर होगा। आज जिस गांव में जाइये वहां मिलेगा कि रास्ते बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, पंचायत घर और कुंए बन रहे हैं। गांव में घुसते ही पंचायत राज की स्थापना का चिन्ह अवश्य मिलेगा। जिन लोगों का प्रशासन से संबंध सैकड़ों वर्षों से नहीं रहा, धीरे धीरे १० वर्षों में उनको शिक्षा दी गयी है। एक बच्चा हाई स्कूल पास करता है, उसके बाद बड़ी ट्रेनिंग इत्यादि के पश्चात कहीं मुंसिफ और मैजिस्ट्रेट बनता है और १० वर्ष की स्थापना के बाद आप चाहते हैं कि सारे कायदे कानून का उसको ज्ञान हो जाय और आप और हम एक दूसरे की नुक्ताचीनी करें और गिराने का प्रयत्न करें। विधान सभा के सदस्यों की उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि अधिकारी और कार्मचारी की। केवल यह कह कर कि सरकार खराब है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को यह अख्तियार न हो, बी० एल० डब्ल्यू को यह अधिकार न हो इससे कोई काम नहीं चलने वाला है। जिस जनता ने इस सरकार को बनाया है और हमको चुनकर भेजा है उसको हमें मजबूत करना है और आने वाले समय में इस देश की बागडोर जिनके कन्धों पर जानी है, उनके मार्ग को प्रशस्त करना है। हम इस संबंध में अड़ंगे वाली नीति को न मानकर आपकी उस नीति को रोकने का प्रयत्न करेंगे।

माननीय मैनेजर जी ने कहा कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती चली जाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब से हमारा क्षेत्र परिषद् बिल पास हुआ है, क्षेत्र समितियां की स्थापना हुई है, जिला परिषद् के अधिकारों को हमने क्षेत्र समिति को दे दिया, क्षेत्र समिति के अधिकारों को गांव सभाओं को दिया और प्रदेश की सरकार के अधिकारों को जिला परिषदों को दिया है। खाने वाली नीति आपके विचारों की बात हो सकती है, हम तो बल देना चाहते हैं और उतना बल देना चाहिये जितना वे बर्दाश्त कर सकते हैं।

श्रीमन्, जहां तक अदालतों की बात है, जो यह कहा गया कि उनको ५०० रुपये के फैसले का अधिकार नहीं देना चाहिये, मैं इसके विपरीत राय रखता हूं। मैं कहता हूं कि उनको यह अधिकार होना चाहिये। वहां जो न्याय होता है वह सही न्याय होता है। पंचायती अदालतों के होने से जो लोग झूठी नालिश करके गरीबों को परेशान किया करते थे, अब वह नहीं हो पाता। अदालतों में जो गवाहियों और कानून की किताबों के आधार पर न्याय होता है वह न्याय नहीं होता है। फिर वहां पर कितना खर्चा और परेशानी होती है, उससे भी लोग अब बच जाते हैं। इन पंचायती अदालतों से लोगों को सस्ते में न्याय मिल जाता है। कहीं कोई गलती हो सकती है। मगर उससे ज्यादा तर लोगों को सहूलियत ही मिली है। फिर अपील का भी राइट दिया गया है। ट्रान्सफर एप्लीकेशन का भी अधिकार है। अगर किसी पंचायत अदालत में किसी पंच पर किसी का विश्वास नहीं है, तो वह अपने केस को वहां से दूसरी पंचायत अदालत में ट्रान्सफर भी करा सकता है। यह कहना कि सब लोग अवैधानिक काम करेंगे, ऐसा कह कर आप एक अविश्वास का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। वास्तव में उनकी सफलता हम सब के सहयोग पर ही निर्भर है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको ट्रेन्ड करें। मेरा आपसे निवेदन है कि हम सब मिलकर के इस नयी प्रणाली में विश्वास रख कर अपना सहयोग दें और इनको सफल बनायें। आज तक जिनको कोई मौका नहीं मिला, जनता की सेवा करने का, उनको वह मौका मिले। अंग्रेजी शासन काल में भी हमारे यहां पंचायतें थीं। प्राचीन परम्परा के अनुसार भी हमें उनको बल देना है। इन पंचायतों की स्थापना करके हमारी सरकार ने जनता की सबसे बड़ी सेवा की है।

श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनुदान की कटौती के समर्थन में बोल रहा हूं जिस समय स्वराज्य अपने हाथों में आया तो सबसे पहले मुसलमानों ने यह सोचा कि चूंकि हमारे हाथों से अंग्रेजों के हाथों में राज्य आया था, इसलिये महात्मा गांधी हमको यहां का राजा बना देंगे। मराठी

[श्री लोकपालसिंह]

लोगों ने सोचा कि उस समय हम बहुत शक्तिशाली थे, संभव है महात्मा गांधी हमको राजा बना दें। राजपूतों ने सोचा कि चूंकि महाराणा प्रताप का त्याग सर्वोपरि था, संभव है गांधी जी हमको देश का राज्य सौप दें। सिक्खों ने सोचा कि रणजीत सिंह का त्याग सर्वोपरि था, संभव है गांधी जी देश का राज्य हमारे हाथों में सौंप दें। हमारे कांग्रेसी भाइयों ने सोचा कि जेलें हमने काटी हैं, हमें उसका पारितोषिक मिलना चाहिये, गांधी जी हमारे हाथों में देश का राज्य अर्पित कर देंगे किन्तु उन्होने ऐसा नहीं किया उन्होंने किसी को देश का राज्य नहीं दिया, बल्कि उन्होंने जन-जन को देश का राज्य दिया। किस तरह से उन्होंने राज्य का वितरण किया, यह सोचने की बात है। यह साधारण मनुष्य का काम नहीं था यह उसी महान पुरुष का काम था। उसने पंचायतों का निर्माण करके जन जन को देश का राजा बना दिया। न मुसलमान को राज्य दिया, न राज्यपूतों को राज्य दिया, न सिखों को राज्य दिया और न कांग्रेसियों को राज्य दिया। उसने सब में बराबर बांट दिया। ग्राम पंचायतों का निर्माण हुआ। जिला अन्तरिम परिषद् भी एक पंचायत है, जहां हम लोग बैठे हुये हैं वह भी एक पंचायत है और दिल्ली में भी एक पंचायत है। इस प्रकार पंचायतों का रूप देकर इस महान पुरुष ने यह राज्य बांटा। यह उसकी देन है। उसकी रक्षा करना, अपने कर्त्तव्यों का पालन करना अब हमारा कर्त्तव्य रह जाता है। सोचिये, चाहे अर्वाचीन और चाहे प्राचीन किसी भी इतिहास को देखिए। वही राजा सर्वमान्य रहता है जिसने पंचायतों के महत्व को माना है। महाराज भोज, महाराज विक्रमादित्य और अकबर का राज्य इसीलिए सराहनीय रहा कि उनके राज्य में नवरत्न हुआ करते थे। भोज, विक्रमादित्य और अकबर सब के यहां नवरत्न थे। वे क्या थे? एक पंचायत थी। परन्तु वह जो नवरत्न थे राजा उनको अपने बराबर बैठाता था, उनके भरण पोषण का पूर्ण ध्यान रखता था। उनकी उपेक्षा नहीं होती थी जैसी यहां पर है। एम० एल० ए० को २०० रुपये, एम० पी० को ५०० रुपये लेकिन गांव का पंच एक पैसा भी नहीं पाता।

"कान्ता वियोगः स्वजनापमानो रणस्यशेषः कुनपस्य सेवा।
दरिद् भावो विषमा सभा च विनाग्निमेते प्रदहन्ति कायम्॥

जब सभा में विषम भाव होता है तब दुख का कारण उत्पन्न हो जाता है। एम० एल० ए० को २००, एम० पी० को ५०० और उन्हें भरपेट भोजन भी न मिले यह बात उनके लिये दुख की होती है। हमारे यहां पंचों की छांट इस प्रकार होती है कि जब वे सत्तारूढ़ हो जाते हैं तो सभा के हित के बजाय जनता का शोषण करते हैं। प्राचीन समय में वृद्ध लोगों को छांटा जाता था। कुछ पंचों को नारद की उपाधि दी जाती थी अर्थात जिसके रदन नहीं है। जिस राज्य में खराबी होती थी नारद उपाधिधारी लोग जाकर उनको इंगित करते थे कि तेरे राज्य में यह कमी है। पंच को इसीलिए परमेश्वर कहा जाता है। पंचों के बीच में अवश्यमेव परमेश्वर विराजमान होते थे। "पांच पंच मिलि कीजिए काजा, जीते जीत न हारे लाजा।" यह गांवों में लोकोक्ति थी कि "नरक पड़ें उनके पुरखा जो पंच बनें और प्रपंच करावें।" जो पंच होते थे वे न्याय की तुला पर तुले हुए व्यक्ति होते थे परन्तु आज खेद है कि मूर्ख पंचों से सरकार पंचायत कराती है और इसी कारण पंचायतों में यह असफलता है। मैं एक सुझाव देता हूं कि हमको २०० रु०, एम० पी० को ५०० तो गांव के पंचों के पेट का भी ध्यान रखा जाय अन्यथा पंचायतें आपकी सफल नहीं हो सकतीं। लालबत्ती मुझे भय दिखा रही है इसलिये आज्ञा का पालन करते हुए मैं अपने भाषण को बीच में ही समाप्त करता हूं। किन्तु ध्यान रखिये यदि पंचों को गुजारा न मिलेगा तो पंचायतों का भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, क्योंकि।

विवस भये नर चलत है, जो त्यागि सुरीति कुरीत।
भूख सिखावति श्वान को, मड़ियाई सुन मीत॥

अतः मैं अनुदान की कटौती का समर्थन करता हूं।

*श्री सत्यवीर कुंवर (जिला बिजनौर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर दिया। मैं विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित मांग के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, हमारे देश के २ महान् गुण हैं। एक तो हममें ऐब्जार्पशन की शक्ति यानी जो दूसरों के बिचार हैं उनको ग्रहण करने की शक्ति और दूसरे इंडिविजुअल लिबर्टी यानी व्यक्ति स्वतंत्रता को विशेष स्थान देना। इसी कारण हमारे देश में अनेक जातियां द्रविड़, आर्य, शक, हुंण आदि आये। यह कहां गये। सब हमारी सभ्यता में समा गये। जब अंग्रेज भारत से गया तो हमने उसकी शासन-प्रणाली को स्वीकार किया और पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे लिये केवल दो ही रास्ते थे। एक तो वह जो जल्दी ही हमारे सैकड़ों वर्षों के पिछड़ेपन को दूर कर सकता था और हमारे आर्थिक स्तर को बढ़ा सकता था जिसके उदाहरण रूस और चीन हैं लेकिन हमारे देश की परम्परा शक्ति अपनाने के विरुद्ध रही है और महात्मा गांधी भी, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता का पथ दिखाया, शक्ति के विरुद्ध थे। उन्होंने एक जगह कहा है कि Economic equ lity is the master-key to non-violent independence. समानता के वह समर्थक थे, लेकिन वह शक्ति के द्वारा नहीं आ सकती थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि The spirit of democr cy c nnot be imposed, it has to come from wit in. इसी प्रकार हमारे राष्ट्र के कर्णधार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी और वेलफेयर स्टेट को अपनाया। आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये हमारे यहां पंचवर्षीय योजनाओं की स्थापना हुई। हमारा गणतंत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता था यदि हम पंचवर्षीय योजनाओं में पंचायत राज को शामिल नहीं करते। पंचायती राज्य में हमारे यहां हर ग्राम में एक रिपबलिक जैसी, एक विधान सभा की तरह से, स्थापित कर दी है, जिसके कारण डैमोक्रेसी की जड़ें गांव-गांव में व्याप्त हो गई हैं।

श्रीमन्, हमारी ग्राम सभायें एक तरीके से हमारी सरकार को जनता का सहयोग दिलाती हैं जो कि हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिये परम आवश्यक है। हमारी ग्राम पंचायतें, ब्लाक कमेटीज और कम्यूनीटी प्रोजैक्ट्स वह रास्ता दिखाते हैं जिससे जनत का सहयोग प्राप्त हो सके। ग्राम सभाओं ने जो योग दिया है वह अत्यन्त प्रशंसनीय है। हमारे ही जिले में एक एक ग्राम सभा ने एक एक हजार रुपया सहर्ष युद्ध के लिये दिया है। मैं समझता हूं कि इन्हीं ग्राम सभाओं के द्वारा हमारा विकास का कार्य बहुत बढ़ चुका है और आगे बढ़ सकता है।

एक विरोधी दल के सदस्य ने कहा कि पंचों के द्वारा हम लोग अपनी ब्रह्मसत्ता स्थापित करना चाहते हैं। उसका जवाब मैं दे रहा हूं कि पंचों का चुनाव जिलाधीश की कमेटी के द्वारा होता है और उसमें हर सदस्य को अधिकार होता है कि अपनी राय दे। इस प्रकार पंच किसी पार्टी के नाते चुन कर नहीं आते हैं बल्कि सदस्यों की और जिलाधीश की राय से आते हैं।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, आज मंत्री जी द्वारा जो पंचायत राज विभाग का अनुदान पेश किया गया है, मैं उस पर अपने विचार प्रकट करने केलिए खड़ा हुआ हूं। दिन भर दोनों पक्षों की ओर से और मंत्री जी की ओर से जो विचार व्यक्त हुए उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना। इन पंचायतों की स्थापना सन् १९५० में की गयी थी। अब देखना यह है कि उनमें जो चेतना उनकी स्थापना के समय थी वह अब भी है अथवा नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि १९५० से लेकर १९५५ तक पंचायतों ने जो निर्माण कार्य किया था, उसके मुकाबले में सन् ५६ से लेकर सन् ६० तक किये हुए निर्माण कार्यों में कुछ शिथिलता आ गयी। इसके बाद तिबारा जो पंचायतों के चुनाव हुए, उनमें बिलकुल ही उस प्रेरणा का अभाव पाया जाता है, वह भावना अब मृतप्राय हो गयी है। अब इसका कारण क्या है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामकिशोर वर्मा]

इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि जनतंत्र में पंचायतों का मुख्य स्थान है । चाहे कोई पक्ष का सदस्य हो या विपक्ष का, पंचायतों की स्थापना की सभी सराहना करते हैं। अब हमें यह देखना है कि पंचायतों का ह्रास कब से शुरू हुआ। जब तक पंचायतों का कार्य पंचायत निदेशक के जरिये से होता रहा तब तक पंचायतों में गतिशीलता रही लेकिन उसके बाद जब विकास आयुक्त के पद का निर्माण हो गया और पंचायतों को विकास आयुक्त के नीचे कर दिया गया तो उससे पंचायतों के कार्य में शिथिलता आ गयी। होना तो यह चाहिये था कि पंचायत निदेशक के अधीन ही विकास, सहकारिता आदि विभाग कर दिये जाते।

आज आप देखें कि जो पंचायतें बनी हुई हैं, उनमें पंचायत मंत्री और ग्राम सेवक दो आदमी हैं लेकिन एक का वेतन ज्यादा है और दूसरे का कम है क्योंकि एक प्रान्तीय स्तर का कार्यकर्त्ता है दूसरा जिले स्तर का है जब कि उनकी योग्यता और कार्यक्षमता आदि में कोई भेद नहीं है। सरकार की ओर से ही गोविन्द सहाय कमेटी की स्थापना इनका मूल्यांकन करने के लिये की गयी थी। उसने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि ग्राम सेवकों और पंचायत मंत्रियों के पद को एक में मिला दिया जाना चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे इस असमानता को दूर करें। ७ से ११ तक एक क्षेत्र में ग्राम सभायें होती हैं और ग्राम सेवक उस क्षेत्र में कार्य करता है और उतना ही कार्य पंचायत सेक्रेटरी के पास होता है। पंचायत सेक्रेटरी गांव पंचायतों की बैठकों को बुलाता है, उनका संचालन करता है और न्याय पंचायतों की बैठकों में भी जाता है, जब कि ग्राम सेवक के पास इतना कोई कार्य नहीं है। हां, केवल अन्तर यह है कि सेक्रेटरी राजनैतिक विचारधारा का व्यक्ति होता है और उसके अन्दर देश सेवा की भावना होती है और ग्राम सेवक का पद सरकार के द्वारा सृजन किया गया है, वह सरकारी नौकर है। मेरा विचार है उनकी तनख्वाहों में जो अन्तर है उसको दूर किया जाना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि प्रधानों को जगह जगह पर अपमानित किया जाता है। दूसरे अधिकारियों द्वारा उसको सहयोग नहीं मिलता है। जब आपने उसको अधिकार दिये हैं तो फिर आपको यह भी देखना चाहिये कि तहसीलदार आदि अधिकारी उसका उचित सम्मान करते हैं, उसको उचित सहयोग देते हैं या नहीं। जो एक बिलकुल उल्टा काम है वह यह कि एक तो ग्राम सेवक है जिसका अर्थ है जनता की सेवा करने वाला और दूसरा सेक्रेटरी है जिसका अर्थ मंत्री है। जितने भी मंत्री हैं चाहे वे विधान सभा में हों या और कहीं भी हों, वे लम्बा वेतन पाते है और सेवक को कम वेतन मिलता है लेकिन ग्राम पंचायत का जो मंत्री है उसका वेतन तो कम है और ग्राम सेवक का वेतन ज्यादा है। तो इस प्रकार की भावना जो आपने बना रखी है, इसको आप देख लें और सेवक का वेतन तो कम करें और मंत्री का वेतन ज्यादा करें।

आज पंचायत राज की स्थापना हुए १४ साल से भी ज्यादा हो गये। हमारी जो पंचायतें हैं वे तो प्रान्तीय स्तर पर हैं, लेकिन जो पंचायत सेक्रेटरी हैं उनको जिला स्तर का कार्यकर्त्ता माना गया है। मैं चाहता हूं कि आप इस दिशा में प्रयास करें कि पंचायत मंत्रियों का स्थायीकरण करें और उनको प्रदेश के स्तर का कार्यकर्ता मानें।

दूसरी चीज यह कि जो हमारे विकास आयुक्त हैं, उनके जिम्मे आपने कृषि, सहकारिता और दूसरे तरह के और विभाग एकीकरण के लिये सौंप रखे हैं। मैं दरख्वास्त करता हूं कि पंचायत राज निदेशक के आधिपत्य में ही यह विभाग होना चाहिये। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो हमारी पंचायतों का कार्य है वह प्रगति नहीं कर पायेगा और पंचायतों की दशा बिलकुल खराब होती जायगी। ग्राम सेवक और सेक्रेटरी के पद को विलीनीकरण करने के संबंध में मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं और इस विश्वास के साथ करता हूं कि दोनों पदों का विलोनीकरण कर दिया जायगा।

मैं देखता हूं कि सब विभागों में पदोन्नति होती है । ग्राम सेवक से ए० डी० ओ० और ए० डी० ओ० से बी० डी० ओ० होता है, लेकिन पंचायत विभाग ही ऐसा है जहां पदोन्नति का कोई अवसर कर्मचारियों को नहीं मिलता है । आज से १५ वर्ष पहले भी जो जिस जगह पर था, उसी जगह पर बना हुआ है । पंचायत विभाग के कामों में कमी आने के कई कारणों में से यह भी एक विशेष कारण है । तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इनकी पदोन्नति की दिशा में आप विशेष प्रयास करें ।

जहां तक विकास आयुक्त का संबंध है नियोजन के कामों में उनका बड़ा हाथ रहता है और वे वहां के लिये सीधे नियुक्ति कर लेते हैं जब कि पंचायत विभाग के अन्दर जो आदमी १०-१५ वर्ष से लगातार काम कर रहा है, उसे तरक्की का कोई अवसर नहीं दिया जाता । अगर छोटे आदमी की पदोन्नति की जाय और १५ वर्ष से काम करने वाले के साथ इन्साफ न किया जाय तो इससे उनके दिल में एक टीस सी होती है और काम करने के लिये जो लगन उनमें होनी चाहिये वह नहीं हो पाती । इसलिये जहां भी पदोन्नति का कोई अवसर ब्लाक्स के अन्दर हो उनको मौका देना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्रम मन्त्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—

उपाध्यक्ष महोदय, आज इस पंचायत के अनुदान के ऊपर इधर और उधर के माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी राय व्यक्त की और मैं श्री रियासतहुसेन जी का सचमुच ही आभारी हूं । यह सही ही मालूम होता है कि वे स्वयं भी प्रधान हैं और उन्होंने वहां का व्यावहारिक स्वरूप बतलाया कि प्रधानों को क्या क्या कठिनाइयां होती हैं और उसी का उन्होंने चित्रण किया है । जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि पंचायती राज का जो नक्शा है उसके बारे में हमारे मैनेजर सिंह जी ने कहा कि यहां पर जो पंचायती राज का नक्शा है उसमें बलवन्त राय मेहता कमेटी और भारत सरकार की जो मंशा है, उसकी नब्ज को पकड़ने की कोशिश नहीं की गई है । मैं निवेदन करूंगा कि मैं अभी पंचायती राज मिनिस्टर्स कांफ्रेन्स में दिल्ली गया था वहां पर इस विषय में चर्चा हुई, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि यू० पी० का जो क्षेत्र समिति और जिला परिषद् ऐक्ट है या यहां जिस तरह से पंचायती राज की व्यवस्था की गई है आज हमारे संशोधन के बाद भारत के सारे सूबों से उसका स्थान ऊपर है, वहां के जो डे साहब हैं, ऊंचे अधिकारी हैं, पंचायत कमश्निर हैं वह कहते हैं कि यू० पी० का जो ऐक्ट है उसमें काफी समन्वय और सामंजस्य है पांचों सरकारों के बीच में । यह सही बात है कि अभी हमारी यह गांव पंचायतें एक नई इकाइयां हैं हम सब से ऊपर और नीचे के स्तर पर गलतियां होती हैं । यह जन्तन्त्र की सब से छोटी इकाइयां हैं और उनकी उतनी ही जल्दी प्रगति होगी जितनी जल्दी हमारे प्रधान पढ़े लिखे आयेंगे, ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम वहां ठीक नहीं होता, मैचिंग ग्रान्ट्स के रुपया का ठीक से उपयोग नहीं होता, सेनिटेशन का काम है, शिक्षा का काम है, हैंड पाइप का काम है, सड़कों के निर्माण का काम है, श्रमदान का काम है, माइनर इरिगेशन का काम हैं, कम्पोस्ट का काम है, छोटे उद्योगों का काँम है और विकास सम्बन्धी पंचायतों के जितने भी काम हैं उन सब के लिये आवश्यक है कि हम उन के द्वारा साम्पातिक व्यवस्था को आगे बढ़ा सकें । इन सब कामों के लिये इस बजट में व्यवस्था की गई है । एस० डी० ओ० को पावर देने के बारे में कहा गया। इस से कोई अन्तर नहीं पड़ता है और न इस का कोई बुरा प्रभाव हुआ है । आप देखें कि हमारे यहां ७२,३३३ ग्राम सभायें हैं और उन में इस टर्म में केवल २८ प्रधान, २० उपप्रधान, ३ सरपंच और ६ उपसरपंच अलहदा किये गये हैं, अगर आप इसको जोड़ें तो मुश्किल से .१ रिकारिंग भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एस० डी० ओ० इस पावर का कोई दुरुपयोग बिना सोचे समझे करेंगे। वह कोई फाइनल अथारिटी भी नहीं हैं, उस की अपील है। कभी किसी विषम परिस्थिति में जब कोई रिपीटेडली कोई कार्य करते होंगे तभी वह एक्शन लेने पर मजबूर होते होंगे।

[श्री बंशीधर पाण्डेय]

पंचायतों के फंड की बात आई कि उन को मालगुजारी का २० प्रतिशत दिया जाय। सरकार के सामने यह चीज विचाराधीन है, लेकिन जो हमारा सारा रेवेन्यू का ढांचा तीसरी प्लान में प्लेज्ड है वह एक-एक पाई थर्ड प्लान की आय की साइड में निर्धारित है। इस के अलावा काफी अनुदान पंचायत सेक्रेटरीज के टी० ए०, डी० ए० के रूप में और वेतन के रूप में भी है।

आडिट की बात कही गई। हमारे यहां ७२ हजार से ज्यादा पंचायतें हैं और यह सही बात है कि हम उतना एफीशियेंट आडिट नहीं करा पाये हैं जितना कि होना चाहिये लेकिन अब ऐक्ट के बन जाने के बाद इस तरह से तीनों का एक लिन्क बन गया है। एक वहां पर वित्त अधिकारी होगा, एक यहां पर मुख्य वित्त अधिकारी होगा और एक चीफ एकाउन्टेंट होगा और उस के नीचे एक अकाउटेंट होगा और इस तरह से आगे गांव सभाओं का अकाउन्टेंट भी ठीक हो जायगा। पंचायतों की मीटिंग्ज समय पर न होने की शिकायत की गई। सही बात है कि उन की बैठकें जितने अच्छे ढंग से और जिस जिस समय पर होनी चाहिये वह नियमानुसार नहीं होती हैं। लेकिन इस की जिम्मेदारी हमारी आप की सब की है, जो हमारे लोक सभा और विधान सभा के सदस्य हैं और जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उन का बहुत बड़ा श्रेय है कि वह अपना इन संस्थाओं में योग दें और उन को जो वहां काम करते हैं एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग दें। आन्ध्र और राजस्थान में जो नकशा पंचायत राज का है वह यहां नहीं है वहां पर वह सलाहकार के रूप में काम करती हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर जिला परिषद् एक स्टेट्यूटरी बाडी है, उसे काफी अधिकार हैं। जिला परिषद् को नीचे के कार्यों के लिये जिला स्तर पर कैडर बनाने का अधिकार है। गांव समाज और गांव सभा दोनों को एक इसलिये कर दिया गया कि संगठन अलग-अलग था, लेकिन अधिकारी दोनों का एक ही था। इसलिये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिये ऐसा कर दिया गया। आप कहते हैं कि पतरौल, अमीन, लेखपाल, सेक्रेटरी, वी० एल० डब्ल्यू० में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। ठीक बात है। आज कोआर्डिनेटिव ऐडमिनिस्ट्रेशन के लिये जिला स्तर से शुरूआत की गई है। जितने डिस्ट्रिक्ट लेविल के अधिकारी हैं, उनको सेक्शन ३९ के अनुसार जिला परिषद् के अधीन कर दिया गया और सेक्शन ९५ में 'बी' सूची के अधिकारी हैं और सरकार को अधिकार है कि समय-समय पर उन की सेवाओं को जिला परिषद् के हवाले कर सकती है।

एक भाई ने कहा कलेक्टर को हटा दिया होता चौखम्भा राज्य लाने के लिये। उसका कलेक्टर से क्या मतलब? कलेक्टर और कमिश्नर के जितने दैनिक कार्य क्रम थे, वे काट कर जिला परिषद् के अध्यक्ष को, फंक्शनल कमेटीज को और समितियों को दिये जायेंगे। इसी प्रकार से क्षेत्र समिति की फंक्शनल कमेटीज होंगी कल्याण की, कृषि की तथा राज्य सरकार के निर्देश पर क्षेत्र समिति के स्तर पर और कमेटीज भी बनायी जा सकती हैं, जैसे शिक्षा की हो, सफाई की हो। इन सारी स्कीम्स को क्षेत्र समिति के स्तर पर करेंगे। कहा जाता है गांवों में पार्टी-बन्दी होती है। विकास मन्त्री जी ने शुरू में ही कहा था कि गांव पंचायतों के कितने चुनाव निर्विरोध हुये। एक मास मोबिलाइजेशन की भी भावना है। १९४७ में पंचायत राज ऐक्ट बना और उसके बाद १९४९ में पहला चुनाव हुआ, दूसरा १९५५ में और तीसरा १९६०-६१ में हुआ। आप देखें काफी जागृति गांवों में है।

न्याय पंचायतों के चुनाव की बात आयी। नियम में परिवर्तन कर दिया गया है। पहले यह था कि एम० एल० ए० और सरकार द्वारा नामीनेटेड व्यक्ति बैठकर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और जिला परिषद् के अध्यक्ष बैठ कर न्याय पंचायत के लोगों को चुनते थे अब गांव पंचायतें स्वयं अपने में से निर्धारित संख्या के अनुसार पंचों को चुनेंगी। न्याय पंचायतों की जो गवर्नमेंट आफ इंडिया ने स्टेडी टीम बनायी है, उससे इस सरकार ने अपनी सहमति प्रकट की है और आल इंडिया लेविल पर जब विचार होगा तो सम्भवतः न्याय पंचायतों का अलग से ऐक्ट एक लाना पड़े। और पंचायत राज ऐक्ट में भी काफी संशोधन हो चुके हैं। क्षेत्र समिति, गांव पंचायत और जिला परिषद् तीनों के ऐक्ट को मिला कर हम कोशिश कर रहे हैं अगले सेशन में पंचायती राज ऐक्ट के नाम से

एक विधेयक लायें और जितनी कोआर्डिनेशन में कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के सम्बन्ध में जितने आप के सुझाव हैं उन पर विचार किया जायगा ताकि उसमें कोआर्डिनेशन हो। गांवों के स्तर पर नया ऐडमिनिस्ट्रेशन है, इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिये।

बहुत से प्रधानों को मैंने देखा जो काफी पढ़े-लिखे हैं। लेखपाल, सेक्रेटरी, बी० डी० ओ० की उनके सामने कुछ नहीं चलती। हल्द्वानी ब्लाक के एक प्रमुख एल० एल० एम० हैं उस ब्लाक के लोगों ने कहा कि उनके सामने किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उनसे बहस करे सारी व्यवस्था उनको याद है। तो अशिक्षा भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से दुरुपयोग हो जाता है उसकी जिम्मेदारी हम सब पर है। एक साथी ने कहा कि आप सीटों का रिजर्वेशन कर दें। गांव प्रधान बड़े ही आदमी हो जाते हैं। मैं तो असेम्बली में देखता हूं कि काफी बड़े-बड़े राजा महाराजा चुन कर चले आते हैं। जयपुर की रानी और महारानी चुन कर चली आती हैं। यह तो जनता का न्याय है। कोई चुनता है तो बड़े और छोटे का सवाल नहीं होता। प्रधान गांव का एक अधिकारी है। उसकी सीट का रिजर्वेशन नहीं हो सकता। वैसे हर गांव में सदस्यों की संख्या कांस्टीट्यूशन में जब तक रिजर्वेशन है उसी रूप से वहां भी हरिजनों की संख्या के अनुपात से उनका रिजर्वेशन है। अधिकारियों ने सुझाव दिया है कि औरतों का, कुछ मायनारिटीज का, स्पेशल इंटरेस्ट्स का भी प्राविधान कर दिया जाय।

न्याय पंचायतों के लिये कहा कि ५०० से १०० कर दिया जाय। हमने पढ़ा था कि जब एक बार विकास के कार्य से इवोल्यूशन होता है तो जो वर्ग एक चीज का नारा देता है उसके खिलाफ आवाज उठती है। ब्यूरोक्रेसी की बात आई और बहुत से साथी अक्सर कहा करते हैं कि यह सरकार अपने सेक्रेटरीज के बल पर चलती है। मिनिस्टर की हिम्मत नहीं पड़ती कि सेक्रेटरीज की बात उलट दें। यह बात गलत है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि प्रधान, अध्यक्ष और सभापति को ज्यादा अधिकार दिये जाते हैं तो यह दोनों अप्रासंगिक बातें हैं। कौनसी चीज कहां सूट करती है वह बात कही जाती है और पुरानी बातों से वह मेल नहीं खाती। आज डिसेंट्रलाइजेशन अनिवार्य है। डेमोक्रेसी में किसी हद तक आप सेंट्रालाइजेशन कर भी नहीं सकते। जो अधिकार पंचायतों को सन् १९४७ में, फिर १९५५ में और बाद में १९६२ में दिया और देने की बात कर रहे हैं, उनको किसी तरह से भी सेंट्रलाइज नहीं किया जा सकता। आज जनता समझ चुकी है कि उसके अधिकार क्या हैं। पहले पंचायतों में कोई जाता नहीं था। क्षेत्रीय समितियों में कोरम पूरा नहीं होता था। लेकिन जब से प्रमुख अधिकारी हो गया, प्रधान अधिकारी हो गया तब से देखिये कि एक-एक मीटिंग में काफी बहस-मुबाहिसा होता है। ब्लाक्स के हेडक्वार्टर पर देखें वहां भी काफी लोग एकत्रित होते हैं। जनतन्त्र में कहीं पर क्षति हो सकती है, कहीं छाया हो सकती है।

आडिट के बारे में कहा गया सरकार सचेष्ट है। वहां का हिसाब किताब अच्छे से अच्छा रखा जायगा। आडिट कड़ाई से किये जायेंगे। लेकिन गांव सभाओं का फंड होना चाहिये। मैंने पहले निवेदन किया कि सरकार के यह विचाराधीन है गांव सभाओं के फंड के बारे में। जिला परिषद् को तो अधिकार है ही और क्षेत्रीय समिति की निधि भी जरूर रहे। गांव समाज और चीजों पर टैक्शेसन करेगा। क्षेत्रीय समिति की निधि का निर्माण कैसे होगा इस पर विचार किया जायगा।

गांव पंचायतों का जहां तक सवाल है जनता के सहयोग पर सत्ता का विकेन्द्रीयकरण हो रहा है। डाइरेक्टर की बात कही गयी कि ऐसे हैं, वैसे हैं। डाइरेक्टर कोई हो वह क्या करेगा नियम पंचायतों के बने हुये हैं। उन्होंने केवल निर्देश कर दिया विभागों को लेकिन उनके अनुसार संचालन की क्षमता स्वयं गांव पंचायतों के अन्दर नहीं होगी तो किन में होगी। मैं फतेहपुर सीकरी ब्लाक में गया। नत्थू सिंह को पद्म श्री की उपाधि मिली हुई थी। जब मैं भाषण कर रहा था तो तीन-चार लोग तमगे लगाये हुये थे। इसी तरह से प्रतापगढ़ गया तो फर्स्ट प्राइज वहां मिला हुआ था। ५४ और ६१ मन गेहूं वहां पैदा किया गया है जहां कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। कालाकांकर का ब्लाक भी ऐसा ही है।

[श्री बंशीधर पांडेय]

कहीं पर हैंड पम्प के असफल होने की बात कही गई तो कहीं कोई प्लांट फेल भी हो सकता है। यह कैसे हो सकता है कि कोई योजना चले तो कोई गड़बड़ी कभी होगी नहीं हैंड पम्प असफल हो गया, उसे ठीक किया जा सकता है। रूरल ड्रिंकिंग वाटर के सप्लाई के लिये काफी रुपया जो है उसकी व्यवस्था की गई है। हमारे एक सोशलिस्ट साथी तथा रक्षपालसिंह ने वी० वी० एफ० के बारे में कहा और पी० आर० डी० स्कीम का स्वागत किया। वी० वी० एफ० ऐसी फोर्स है जिसका पंचायत राज ऐक्ट में प्राविधान है। पबलिक यूटीलिटी के कार्य को लेकर ९६ घंटे साल में अनिवार्य श्रमदान की व्यवस्था है। लेकिन हमारे केंद्रीय विकास मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी ने भी जो उस वी०वी०एफ०कमेटी के चेयरमैन हैं, कहा कि यद्यपि उत्तर प्रदेश पंचायतराज ऐक्ट में ऐसा प्राविधान है लेकिन जहां वालन्टरी काम करने की व्यवस्था है वहां ऐसी भावना पैदा की जाय कि लोग अपने से ही तैयार हो जाय। उसमें एक बड़ा भारी पंचायतों का कोष बनेगा। ९६ घंटे श्रम के हिसाब से किसी गांव सभा की सारी आबादी का गुणा करें और कितने घंटे का कार्य हुआ ऐसे प्रोजेक्ट लेना यह बहुत बड़ा कार्य होगा। ऐसे प्रोजेक्ट हम तैयार करेंगे कि पूरी गांव सभा की आबादी के अनुसार ९६ घटे डिफेंस लेबर बैंक को प्रोजेक्ट किया जाय और अगर कोई व्यक्तिगत आदमी का कोई कार्य है तो वहां पर भी हम डिफेंस लेबर को लगायेंगे और जो रुपया उससे प्राप्त होगा उसको भी हम लेबर बैंक में जमा करेंगे। इससे हमारे गांवों में बड़ी भारी जागृति आयेगी। पी० आर० डी० की जो हमारे प्रदेश में सन् १९४८ से योजना चली थी बीच में किन्हीं कारणों से वह ठप्प हो चुकी थी। यह योजना सचमुच हमारे प्रदेश की बहुत अच्छी योजना थी और इस इमरजेन्सी में यह वरदान स्वरूप आया कि जहां पर और प्रदेशों में कहीं पर होमगार्ड, कहीं पर रक्षक दल हैं वहां हमने पी० आर० डी० के रूप में विलेज वालेंटियर फोर्स का कार्यक्रम तैयार किया जो हर गांव सभा में होगा और डिफेंस, मास एजुकेशन, प्रोडक्शन आदि कार्यक्रमों को देखेगा।

आज पंचायत सेक्रेटरी की सचमुच बड़ी जिम्मेदारी है। वह तो गांव सभा के सचिवालय का सेक्रेटरी है। अभी हम लोग जब दिल्ली गये थे, तो यह चर्चा आयी कि पंचायत सेक्रेटरी को सरकारी अधिकारी क्यों न किया जाय। कहीं पर अध्यापक पंचायत सेक्रेटरी है, कहीं पर पार्ट टाइम सेक्रेटरी है, कहीं पर पूरा सरकारी अधिकारी है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने अनुदान दे कर क्षेत्र समिति और जिला परिषद् ऐक्ट में यह जिला परिषद् को ही अधिकार दे रखा है। लेकिन यह बात कहना सही नहीं है कि पंचायत सेक्रेटरियों को उन्नति का कोई साधन नहीं है। आप देखेंगे कि हमारे बहुत से पंचायत इंस्पेक्टर सेक्रेटरियों में से आये हैं। जो बहुत से सेक्रेटरी हाई स्कूल और बी० ए० पास थे।

अन्त में मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि यह तो पंचायत राज की स्कीम है, कुछ त्रुटियां भी अगर होंगी ही, लेकिन एक नये कार्यक्रम को सफल करने के लिये हमें बड़ी तपस्या करनी होगी। इस कार्यक्रम में अगर कहीं धक्का लगेगा तो जैसा कि हमारे एक साथी ने कहा कि यह तो कच्ची तलवार आपने टांग दी है तो मैं इस शब्दों में कहना चाहता हूं कि सही माने में यह कच्ची तलवार है और यह हमारी इमानदारी और मेहनत से ही चलेगी।

इन शब्दों के साथ माननीय विकास मंत्री जी ने पंचायत राज विभाग का जो अनुदान पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और रियासतहुसेन साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है वह तो उन्होंने एक रस्म अदायगी की है। वह स्वयं एक प्रधान हैं और उन्होंने अपनी स्पीच में कहा भी है कि यह तो बहुत कम रुपया आपने दिया है। तो वे मेरी बातों को स्वीकार करेंगे और अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें तो अच्छा है।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मैं सभी उन मोहतरिम मेम्बरान का जिन्होंने कि मेरे प्रस्ताव के ऊपर बहस में हिस्सा लिया, शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे यह खुशी है कि जो बातें मैंने रखी थीं, दोनों ही तरफ के मेम्बरान ने उसी बात की ताईद की और वह बातें बहुत हद तक सही हैं। सिर्फ एक दो मामलों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में कुछ माननीय सदस्यों को गलतफहमी हो गई जैसे कि मुखिया और चौकादीर वाली बात थी। मेरा यह मतलब नहीं था कहने का प्रधान मुखिया बन गया या प्रधान चौकीदार बन गया, यह बातें नहीं थीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रधानों और ग्राम पंचायतों की आप रक्षा कीजिये वरना नौकरशाही और सरकारी कर्मचारी उनके इर्दगिर्द इस तरीकोसे फैले हुये हैं और इस तरीके से उन्हें ढालना चाहते हैं कि प्रधान वही रोल अदा करने लगें कि जो पहले मुखिया अदा करते थे। आपको रक्षा करनी है प्रधान की। दूसरी बात, जो चौकीदार वाली थी वह यह थी कि प्रधान को आपने हुकूक इतने दिये हैं कि वह बहुत लम्बे चौड़े हैं,लेकिन उन हुकूक को पूरा करने में, अपने फरायज की अन्जामदेही में वह अपने को सफल नहीं पा रहा है और सरकारी अधिकारियों की ओर से इतना तक इन्तजाम और इतनी तक व्यवस्था नहीं है कि वह पूरे तरीके से अपने फरायज को अन्जाम दे सके और इस वक्त ऐसी स्थिति उसकी होती जाती है कि वह ग्राम सभा की प्रापर्टी का सिर्फ चौकीदार ही चौकीदार हो। यह मेरे कहने का मतलब था। इसके बाद में भी वाशिष्ठ जी के दो वाक्यों की सफाई करूंगा। मैंने जो लाइसेंस वाला प्रस्ताव रखा था कि प्रधानों को क्योंकि वह डेवलपमेंट के कामों के लिये रुपया वगैरह लेकर चलते हैं, इसलिये उनकी रक्षा के लिये उनको लाइसेंस दिया जाय तो अच्छा होगा, उस पर उन्होंने कहा कि उसमें उसका चाल-चलन भी देखने की जरूरत होगी। बिलकुल सही बात है, चाल-चलन अच्छा है या बुरा है यह देखा जाना चाहियें। लेकिन चुनाव के पहले जब चुनाव के मैदान में वह कूदे तो उनके कायदे ऐसे बनने चाहियें कि कोई बुरे चाल-चलन का आदमी कोई बदमाश आदमी, आपकी ग्राम सभा का नुमाइन्दा या प्रधान न चुना जा सके। जब एक दफा गांव के आदमियों ने बिला मुकाबिला या अकसरियत राय से अपने में से एक आदमी को प्रधान चुन लिया तो फिर यह कहना कि वह बदचलन है, वह बदमाश है, या गुन्डा है, यह उस प्रधान के लिये या सभी प्रधानों के लिये कुछ मुनासिब नहीं होगा। ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था अगर की जाय तो ज्यादा मुनासिब होगा।

इस सिलसिले में एक माननीय सदस्य ने एक मिसाल दी थी कि जिस तरीके से मंत्री के यहां जो कानून बनते हैं विधान सभा के अन्दर उनका पालन करते हैं या हमारे सरकारी अधिकारी, डाइरेक्टोरेट वगैरह उसका पालन करते हैं, उसी तरह से गांव सभा के प्रस्ताव के बाद जैसे कोई जमीन के उठाने का प्रस्ताव पास हो तो वह फिर हाकिम परगना और तहसीलदार के पास भेजा जाय। लेकिन माननीय सदस्य भूल गये कि इस सदन में आज जो कानून बनते हैं, वह आपके किसी सरकारी अधिकारी के पास इसलिये नहीं जाते कि वह राय दे कि वह उचित है या अनुचित है। वह इसलिये भेजा जाता है कि जो कानून बना वह कैरी आउट हो। लेकिन माननीय सदस्य ने ग्राम सभा से यह अधिकार छीन लिये, उन्होंने कहा कि उनके पास ग्राम सभा या लैंड मैनेजमेंट कमेटी के प्रस्ताव इसलिये भेजे जायं कि वह देखें कि वह उचित है या अनुचित है। तो इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क पड़ गया।

गोस्वामी जी ने एक बात कही कि अपोजीशन वाले तो आलोचना के आदी हैं। लेकिन अगर वह प्रस्ताव की दूसरी लाइन पढ़ लेते तो शायद उनको यह कहने की जरूरत न होती। उसमें यह लिखा हुआ है कि नीति की आलोचना करना और सुझाव देना, इसके लिये कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। इसके बाद दो तीन सुझाव मैं और देना चाहता हूं। एक मेरा सुझाव यह है कि जो डेवलपमेंट वर्क है, जो विकास के काम हैं उनके बारे में हर ६ महीने में प्रधान से एक रिपोर्ट ली जाय कि वह अपने गांव में क्या क्या डेवलपमेंट चाहते हैं। आज ऐसी बात नहीं है। सेक्रेटरी ऊपर से लिख देता है या ४, ५ साल के बाद जब वह प्लान बनता है तो सेक्रेटरी अपना बड़ा रजिस्टर लेकर आता है और वह प्लान भर देता है कि ५ साल में क्या-क्या चीज बनेंगी। मेरा सुझाव यह है कि छठे महीने हर गांव के प्रधान से, वहां के ग्राम सेवक से यह सुझाव लिया जाय कि आपके गांव में क्या-क्या विकास का काम होना चाहिये। फिर जो अधिकारी हो वह उनका मुकाबिला करे कि क्या सुझाव पिछली दफा आये थे और क्या सुझाव अब की बार आये हैं, क्या काम हुआ है और क्या काम होना चाहिये।

[श्री रियासत हुसैन]

एक बात में औरतों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह ग्राम सभा के प्रधान की तादाद जो उन्होंने बतलाई है वह कुछ ऐसी नहीं है, जिससे हम यह समझें कि औरतें इसमें बहुत दिलचस्पी के साथ, कामयाबी के साथ ग्राम सभाओं के एलेक्शन में या प्रधान के एलेक्शन में हिस्सा लेती हों। इसमें मेरा सुझाव यह है कि एलेक्शन के वक्त कुछ ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिस ग्राम सभा में औरत कैन्डीडेट हो, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हो, उसको यह प्रिविलेज मिलना चाहिये कि उसके मुकाबले में जो कंडीडेट हो उसको टू थर्ड मेजारिटी वोट हासिल करने चाहिये। औरत को एक स्पेशल रियायत मिलनी चाहिये। यदि एक पढ़ी लिखी औरत मैदान में आना चाहती तो उसे डाइरेक्ट एलेक्शन में कुछ प्रिविलेज उनको मिलना चाहिये। आज डाइरेक्ट एलेक्शन होता है जहां पर औरत आ गई वहां तो आ गई, लेकिन आपने उनको कोई रियायत नहीं दी। कहीं औरत एलेक्शन लड़ती है तो उनको मुश्किल होती है डाइरेक्ट एलेक्शन लड़ने में। इसलिये उसमें यह प्रिविलेज उनको मिलना चाहिये कि उनके मुकाबले में जो आदमी खड़ा हो जब तक वह टू थर्ड मेजारिटी हासिल न कर ले, तब तक उसको कामयाब न माना जाय।

एक कोआर्डिनेशन वाली बात है। पांडेय जी ने भी उसको दोहराया। उस सिलसिले में मैं इस बात पर जोर दूंगा कि आज सेक्रेटरी के पास एक टूटी-फूटी साइकिल, १३ गांव, एक दिन अदालती पंचायत में हाजिरी, एक दिन हेड क्वार्टर पर हाजिरी और अब उसके लिये यह जरूरी हो गया है कि वह अपनी जगह से २० मील के फासले पर रहे। एक दो दिन के लिये अपने घर भी जाना। तो नतीजा यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको २, ३ दिन मिलते हैं। वह १३ गांव में पहुंच नहीं पाता है। बाज बाज ऐसे गांव हैं, मैं आपको इतमिनान दिलाऊं कि जहां पर ४, ४ महीने तक सेक्रेटरी पहुंच नहीं पाता है। वह तब जाता जब उसको पैसे की जरूरत होती है। जब वह सोचता है ४ महीने हो गये तो दो महीने का मासिक भत्ता वसूल करने के लिये अपनी जरूरत पूरा करने के कारण वह जाता है। थोड़ी बहुत देर वहां रहकर वह चला आता है। दूसरी तरफ लेखपाल जो सेक्रेटरी माना गया है लैंड मैनेजमेंट कमेटी का, वह जमीन का प्रबन्ध करेगा। जो आपकी पंचायत का सेक्रेटरी है वह पंचायत का प्रबन्ध करेगा। जो ग्राम सेवक हैं वह डेवलपमेंट का काम करेगा। जो विलेज लेविल वर्कर हैं वह तीसरा काम करेगा। यह सब प्रधान से ताल्लुक रखते हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है वक जितनी जल्दी हो सके ऐसी व्यवस्था की जाय कि अगर एक गांव सभा के ऊपर एक कर्मचारी नहीं रहे तो दो गांव सभा के ऊपर एक कर्मचारी आप रखें लेकिन वह वहां रहे और प्रधान से मिलकर वहां विकास का काम करें। पांडेय जी ने बतलाया कि जो अदालती पंचायतों के चुनाव हुये थे और उस समय जो कमेटी बनी थी, उसमें कुछ संशोधन कर दिया गया है। उससे हमारा काम नहीं हुआ है। वह चुनाव तो हो गया और अदालती पंचायतें बन गईं। अब आप उसमें अमेंडमेंट करते हैं तो उससे क्या फायदा ? जब नया चुनाव होगा तो आप नया अमेंडमेंट लायेंगे। जब एक कमेटी बनी और आपने अपना नुमायन्दा नामिनेंट कर दिया तो फिर उस कमेटी की बात को आपने नहीं माना। जब सरकार ने चुनाव करा दिया कि इस शख्स को बनाया जाय पंच तो फिर उसमें क्या तब्दीली की वजह हो गई ? आप यह जांच करें कि कितने पंच बाद में तब्दील हुये। उस कमेटी के चुनाव को कलेक्टर के असर से तब्दील कर दिया गया यह मेरी समझ में बात नहीं आई। जब कमेटी बनाई थी तो उसके मन को रखते हुये उसके फैसले को रखना चाहिये था उसमें मोटी सी मिसाल आपको बताऊं। ठाकुरद्वारे में जो पार्टी बन्दी हुई, उसमें एक शख्स के बारे में हाकिम परगना ने लिखा। He is not rccommended because he receives stolen cattes for slaughtering. इसलिये सिफारिश की जाती है। उसका मतलब यह हुआ कि वह चोरी के मवेशी हासिल करता है और उन्हें काटता है। लेकिन कुछ हमारे माननीय सदस्य उसमें इन्टेरेस्टेड थे। उसका चुनाव हुआ और वह चुने गये। फिर भी आप देखें कि वह झगड़ा आज भी गांव पंचायत से लेकर हाई कोर्ट तक चला रहा है। तो यह प्रेशर डालना एक व्यक्ति के ऊपर कि चाहे वह कुछ

भी हो, लेकिन वह चुना जाय और उसको इतनी इम्पारटेन्स देना, एक लेविल के ऊपर, यह नहीं होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह उम्मीद करूंगा कि वह मेरे सुझावों में से कुछ तो जरूर मान लेंगी ।

(व्यवधान)

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

श्रीमन्, उनका दूसरा उद्देश्य कटौती का प्रस्ताव पेश करना और आलोचना करना है और सुझाव देंगे तो क्या मैं यह समझूं कि अब अपन इस प्रस्ताव को वापस लें रहे हैं । क्योंकि दूसरा उद्देश्य आपका पूरा हो गया है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—·

श्रीमन्, मुझे कुछ बहुत कहना नहीं है, क्योंकि हमारे सभा सचिव जी ने बड़े सुन्दर ढंग से और काफी विस्तार से सब बातों का जवाब दे दिया है । आज काफी लोगों ने दिलचस्पी के साथ इस डिसकशन में भाग लिया । मैं तो समझती थी कि बहुत कम लोग इसमें भाग लेंगे । इसके लिये मैं आप सब लोगों की आभारी हूं । इससे इतना तो कम से कम प्रतीत होता है कि पंचायत राज व्यवस्था जो चल रही है, वह काफी अहमियत रखती है । आज वाद-विवाद के समय सदन में काफी रचनात्मक वातावरण रहा है । जो भी समालोचना हुई, वह काफी क्रियात्मक रही है । बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों का जिक्र किया, जैसा कि हमारे माननीय रियासत हुसैन जी ने । मैं इस प्रकार की समालोचनाओं का स्वागत करती हूं । मैं कभी भी समालोचना, आलोचना और प्रत्यालोचना से डरती नहीं हूं । सदस्यों ने जो भी काम करने के सिलसिले में दिक्कतें आती हैं, उनका जिक्र किया और हमने उन पर गौर किया है । जो समालोचना हुई है, उनमें एक तो लेखपाल और प्रधान से संबंधित है । प्रधान को जो अपनी सभा की संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार है, हम यह समझते हैं कि उसमें उनको परेशानी है । हम यह जानते हैं और चाहते हैं कि उसकी दिक्कत को दूर किया जाय । यह दूर करने के लिये हम लोगों ने ग्राम समाज को हटा दिया और पंचायत के नीचे भूमि प्रबंधक कमेटी को कर दिया ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि लेखपाल के बजाय भूमि के सारे रिकार्ड्स सभापति के पास रहें क्योंकि लेखपाल और सभापति के बीच में जैसा coo·dination होना चाहिये वैसा नहीं है । बहुत से सभापतियों को पूरी सूचना भी नहीं रहती है और अगर एकाएक रिकार्ड्स की जिम्मेदारी गांव सभापति को दे दी गई तो और दूसरी तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं । सारे रिकार्ड्स उलझ सकते हैं । इसीलिये इस समय लेखपाल रिकार्ड्स रखेंगे । मगर इस व्यवस्था में सुधार लाया जायेगा ताकि गांव सभापति गांव सभा की सम्पत्ति सुरक्षित रखने में सफल रहे ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं कि गांव सभा की संपत्ति कुछ बड़े और जोरदार लोगों का असर डालकर और धांधली करके ले ली जाती है । यह सही बात है । हो सकता है क्योंकि अभी जो गांव स्तर की जनता है, वह अभी इतनी शक्तिशाली नहीं हुई है कि वह अपने हक को सुरक्षित रख सके । यह असर डाल कर धांधली वाली बात कुछ हद तक चलती है । हो सकता है कि इसमें अफसर भी कभी मिल जाते हों । पंचायतीराज जो कि नीचे स्तर की समाज की व्यवस्था है, जो कि गरीबों की समाज व्यवस्था है, उस समाज व्यवस्था को आज शक्तिशाली किस प्रकार बनाया जाय और उसको कैसे शक्ति दें ताकि वह ठीक से काम कर सकें, यही चीज आज है जिसको कि ध्यान में रखकर काम करना है । किसी को व्यक्तिगत रूप से शक्ति नहीं मिल सकती है मगर सामूहिक रूप से संगठन को शक्तिशाली बनाया जा सकता है । इसी के लिये यह सारी रचना की गई है । यह ट्रांजिटरी स्टेज है । मैं आपको यह बता देना चाहती हूं कि अब गांवों में भी जनता अपना हक धीरे-धीरे पहचानने लगी है । इस कार्य के पूरा होने में

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

अभी थोड़ा समय लगेगा । अगर हमें कानून में और अपने इन्तजाम में परिवर्तन करना है, तो वह खुशी से करना चाहिये । क्योंकि यह हमारा उद्देश्य है कि जो गरीब है, उनको हम को कारपोरेट अधिकार देना है । उनके हाथ में शक्ति देना है ताकि वह व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से अपने अधिकारों को सुरक्षित रख सकें । म जो भी यहां पर सदन में समालोचना हुई हैं उनको बड़े गौर से सुनती रही हूं । इसमें जहां तक हो सकता है, सुधार किया जायेगा।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यहां पर ग्राम के बारे में भी उनके लाइसेन्सेज देने के बारे में भी कहा गया कि वह प्रधान को मिलनी चाहिये । मेरे विचार में यह कोई बेजा बात नहीं है । जहां जरूरत होगी वहां पर दी जायगी । परन्तु आजकल बन्दूक मिलने की ही परेशानी है और बड़ी मुश्किल है । मगर जहां ठीक समझा जायगा, अगर सुरक्षा की जरूरत हो तो गवर्नमेन्ट सुधार कर सकती है ।

एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया गया कि प्रधान से ६ महीने में काम की रिपोर्ट ली जाय । जहां तक हो सकेगा इसको भी अमल में लान की कोशिश करेंगे ।

आपने अभी कहा कि स्त्रियों को जो चुनाव में खड़ी हों मदद दी जाय । यह बड़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत पसन्द है । अगर पुरुष मेम्बर चाहें कि वह हैंडीकैप लेकर स्त्रियों के मुकाबले में इलेक्शन लड़ें तो बड़ी अच्छी बात है, आप मैजारिटी में हैं आप इसे अवश्य करें ।

पंचायत सेक्रेटरी के बारे में जो कहा गया तो हमें मालूम है कि उनके पास काम ज्या दा है और सर्किल बड़ा है और इस साल हमने २०० और सेक्रेटरीज एप्वाइंट किये हैं और कोशिश की जा रही है कि धीरे-धीरे सर्किल को छोटा किया जाय ताकि वह सुचारु रूप से अपने इलाके में काम करें।

जहां तक चुनाव का संबंध है पहले जो कुछ हुआ है, आइंदा के लिये परिवर्तन कर दिया गया, अब पंचायत खुद पंचों को चुनेगी और अगर उसमें कोई अनडिजायरेबिल या अनक्वालिफाइड हों तो डी० एम० नाम काट देगा ।

न्याय पंचायतों के काम के बारे में सुझाव दिया गया । गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से स्टडी टीम जो अप्वाइंट हुई थी, उसकी रिपोर्ट आ गयी, बहुत थाटफुल रिपोर्ट है और बहुत अच्छे सुझाव दिये गये हैं । एक तो वह कैसे चुनी जाय और दूसरे उनका जुरिस्डिक्शन क्या हो, यह भी एक टेक्निकल मैटर है । स्टडी टीम ने पंचायतों का जो सिविल, क्रिमिनल और रेवेन्यू का जुरिस्डिक्शन है, उसमें परिवर्तन लाने को कहा है । उस पर सोच-विचार किया जा रहा है और उम्मीद है कि परिवर्तन हो जायगा-। यह भी सुझाव है कि पंचों को ट्रेनिंग कैसे दी जाय जिससे वह एविडेंस रेकार्ड कर सकें और जो कि अदालतों को भेजा जा सके । इन सुझावों पर स्टेट गवर्नमेन्ट विचार कर रही है और जल्द ही फैसला कर लिया जायगा ।

इसके अलावा बहुत से माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं, मैं उन पर अधिक नहीं कहूंगी मैं उनका स्वागत करती हूं । मुकुन्दीलाल जी ने जो फारेस्ट पंचायत के बारे में कहा उसका भी स्वागत करती हूं और हम इस संबंध में हिदायत भेज देंगे । मैं धन्यवाद देती हूं कि आपने इतनी दिलचस्पी लेकर हमारे इस अनुदान पर विचार-विमर्श किया और भाग लिया। उपाध्यक्ष जी मैं अनुदान संख्या ११ वोट के लिये आपके सामने प्रस्तुत करती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ११—गांव सभाओं और पंचायतों के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ११––गांव सभायें और पंचायतों के अन्तर्गत १,३५,२७,००० रुपये की मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २५ मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
१५ मार्च, १९६३

विधान मण्डल

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३१ पर ।)

गत ५ वर्षों का परीक्षाफल निम्नवत है

सन्	हाई स्कूल	इन्टरमीडियेट
	प्रतिशत	प्रतिशत
१९५८	३१.६	२५.००
१९५९	२२.७	३६.३६
१९६०	२३.९	३३. ३
१९६१	२१.६	२५.००
१९६२	३९.१	३३. ३

गत ५ वर्षों में स्वीकृत अनुदान का विवरण :

	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१—अनुपालन अनुदान ..	१०,११६	१४,४१२	१७,१७२	१९,०२०	२१,२८८
२—महंगाई अनुदान ..	४६०	५२०	६००	६२८	८००
३—हरिजन छात्रों की फीस माफी के फलस्वरूप घाटे की पूर्ति ..	५,६५१	५,९७३	४,८८१	३,९६०	४,५१७.३८
४—कक्षा ६ में निःशुल्क शिक्षा के कारण फीस के घाटे का अनुदान ..	७३५	१९५९–६० से यह अनुदान विद्यालय के अनुपालन अनुदान में सम्मिलित कर दिया जाता है ।			

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३४ पर ।)

तालिका "क"

राम भरोसे आर्य इन्टर कालेज, राजा का रामपुर (एटा) को गत ५ वर्षों में दिये गये अनुदान का विवरण :

विद्यालय का नाम	वर्ष	आवर्तक अनुपालन अनुदान	अतिरिक्त अनुपालन अनुदान	महंगाई अनुदान
१	२	३	४	
राम भरोसे आर्य इन्टर कालेज, राजाका रामपुर (एटा) ..	१९५७–५८	२,९८८	..	३९०
	१९५८–५९	५,८४४	२,०००	५२०
	१९५९–६०	७,५२४	२,०००	६१०
	१९६०–६१	९,६१२	..	५०२
	१९६१–६२	१,१८२०	१,५००	९६०

प्रति पटल पर

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३४९–एल० ए०–१९६३––(प्रो०) ८५० ।